

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 जुलाई 2018—आषाढ़ 15, शक 1940

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2018

क्र. ई-5-769-आयएस-लीव-5-(एक).—(1) श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, भाप्रसे प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को दिनांक 16 जुलाई से 4 अगस्त 2018 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-896-आयएस-लीव-5-(एक).—(1) श्री राजेन्द्र सिंह, आयएस., सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 13 से 15 जून 2018 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 एवं 17 जून 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

4435

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र सिंह, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र सिंह, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1094-आयएस-लीव-5-(एक).—(1) श्री शिवराज सिंह वर्मा, आयएस., अपर कलेक्टर, जिला ग्वालियर को दिनांक 13 से 21 जून 2018 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शिवराज सिंह वर्मा, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री शिवराज सिंह वर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिवराज सिंह वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 8 जून 2018

क्र. ई-5-864-आयएस-लीव-5-(एक).—(1) श्री विशेष गढ़पाले, आयएस., कलेक्टर, जिला खण्डवा को दिनांक 11 से 15 जून 2018 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 10 जून 2018 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री विशेष गढ़पाले, की अवकाश अवधि में श्री डी. के. नागेन्द्र, राप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, खण्डवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला खण्डवा का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विशेष गढ़पाले, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला खण्डवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री विशेष गढ़पाले द्वारा कलेक्टर, जिला खण्डवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री डी. के. नागेन्द्र, कलेक्टर, जिला खण्डवा के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री विशेष गढ़पाले को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विशेष गढ़पाले अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-979-आयएस-लीव-5-(एक).—(1) श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़, आयएस., उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दिनांक 11 से 15 जून 2018 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9, 10 एवं 16, 17 जून 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 12 जून 2018

क्र. ई-1-144-2018-5-(एक).—श्री अजय कुमार सिंह, भाप्रसे (2010), संचालक, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश तीर्थ-स्थान एवं मेला प्राधिकरण का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-570-आयएस-लीव-(एक)-5.—(1) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को दिनांक 14 से 28 जून 2018 तक, पन्द्रह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-649-आयएस-लीव-5-(एक).—(1) श्रीमती रश्मि अरूण शमी, आयएस., प्रमुख सचिव (कार्मिक), मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 22 मई से 1 जून 2018 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती रश्मि अरूण शमी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रश्मि अरूण शमी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-897-आयएस-लीव-5-(एक).—(1) श्री जे. के. जैन, आयएस., आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल को दिनांक 16 से 20 जुलाई 2018 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 एवं 21, 22 जुलाई 2018 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री जे. के. जैन की अवकाश अवधि में श्री अमर सिंह बघेल, भाप्रसे, अपर आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री जे. के. जैन द्वारा आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमर सिंह बघेल, भाप्रसे, आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री जे. के. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. के. जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1039-आयएस-लीव-5-(एक).—(1) श्री सिद्धार्थ जैन, भाप्रसे, सहायक कलेक्टर, जिला बैतूल को दिनांक 1 से 6 अक्टूबर 2018 तक, छह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 मितम्बर 2018 एवं 7 अक्टूबर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश अवकाश से लौटने पर श्री सिद्धार्थ जैन, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला बैतूल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सिद्धार्थ जैन, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिद्धार्थ जैन, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 13 जून 2018

क्र. ई-1-365-2017-5-(एक).—श्री दीपक खंडेकर, भाप्रसे (1985), अध्यक्ष प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की सेवाएं भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सचिव, भारत सरकार, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, नई दिल्ली के पद पर नियुक्ति के लिये सौंपी जाती है।

क्र. ई-5-475-आयएस-लीव-5-(एक).—श्री रजनीश वैश, आयएस, उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कं. लि. विकअ-सह-सदस्य (पुनर्वास) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को समसंख्यक आदेश दिनांक 31 मई 2018 द्वारा दिनांक 11 से 23 जून 2018 तक, तेरह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

क्र. ई-5-975-आयएस-लीव-5-(एक).—(1) श्री अंकित अस्थाना, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बड़वानी को दिनांक 2 से 24 जुलाई 2018 तक, तेईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। (उक्त अवकाश में से दिनांक 9 से 19 जुलाई 2018 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश सम्मिलित रहेगा) उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 जुलाई 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अंकित अस्थाना, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बड़वानी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अंकित अस्थाना, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंकित अस्थाना, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 15 जून 2018

क्र. ई-5-837-आयएस-लीव-5-(एक).—(1) श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, आयएस., सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल को दिनांक 21 से 26 मई 2018 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई-5-899-आयएस-लीव-5-(एक).—(1) श्री महेश चन्द्र चौधरी, आयएस., आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा को दिनांक 25 से 30 जून 2018 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 जून एवं 1 जुलाई 2018 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री महेश चन्द्र चौधरी, भाप्रसे की अवकाश अवधि में आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा का प्रभार श्री जे. के. जैन, भाप्रसे, आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री महेश चन्द्र चौधरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री महेश चन्द्र चौधरी, भाप्रसे द्वारा आयुक्त, रीवा संभाग रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जे. के. जैन, भाप्रसे आयुक्त, रीवा संभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री महेश चन्द्र चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेश चन्द्र चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-911-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती अनुग्रह पी., आयएस., कलेक्टर, जिला अनूपपुर को दिनांक 18 से 23 जून 2018 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 एवं 24 जून 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती अनुग्रह पी. भाप्रसे, की अवकाश अवधि में श्रीमती सलोनी सिडाना, भाप्रसे., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचतायत, अनूपपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला अनूपपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुग्रह पी. भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला अनूपपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती अनुग्रह पी. भाप्रसे, द्वारा कलेक्टर, जिला अनूपपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सलोनी सिडाना, कलेक्टर, अनूपपुर के प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती अनुग्रह पी. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुग्रह पी. अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई-5-938-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मधुकर अग्नेय, आयएस., अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा को दिनांक 18 से 30 जून 2018 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 एवं 1 जुलाई 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मधुकर अग्नेय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री मधुकर अग्नेय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मधुकर अग्नेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-973-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अरूण कुमार तोमर, आयएस., सचिव, राजस्व, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 28 जून से 7 जुलाई 2018 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 जुलाई 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार तोमर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अरूण कुमार तोमर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कुमार तोमर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2018

क्र. ई-5-893-आयएस-लीव-5-एक.—श्री आशुतोष अवस्थी, भाप्रसे., आयुक्त, जबलपुर संभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 23 मई 2018 द्वारा 31 मई से 4 जून 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता गया था एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 22 जून 2018

क्र. बी-1-79-2018-2.-एक.—श्रीमती वंदना शर्मा, राप्रसे (आर.आर. 2006) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शाजापुर द्वारा स्वयं की नियुक्ति के समय सेवा अभिलेखों में अंकित गृह जिला भोपाल के स्थान पर गृह जिला धार करने का अनुरोध करते हुए प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न कर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।

(2) राज्य शासन परीक्षणोपरान्त एतद्वारा श्रीमती वंदना शर्मा, राप्रसे (आर.आर. 2006) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शाजापुर के अनुरोध को स्वीकार करते हुए वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 17 नवम्बर 1972 के परिप्रेक्ष्य में उनका गृह जिला भोपाल के स्थान पर गृह जिला धार परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

(3) उपरोक्तानुसार गृह जिला परिवर्तन करने की प्रविष्टि श्रीमती वंदना शर्मा, राप्रसे (आर. आर. 2006) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शाजापुर के सेवा अभिलेखों एवं पदक्रम सूची में की जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव 'कार्मिक'.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जून 2018

क्र. एफ 1(ए)40-2003-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे., पुलिस महानिरीक्षक, सागर रेन्ज सागर को दिनांक 21 से 30 जून 2018 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश तथा 01 जुलाई 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री राकेश जैन, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, सागर रेन्ज, सागर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, सागर रेन्ज सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

संशोधित आदेश

क्र. एफ 1(ए) 69-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री संजय तिवारी, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (सामान्य) वि. शा. पु. मु. भोपाल को खण्डवर्ष 2014-17 (2016-17) के विस्तार वर्ष 2017 में (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए) परिवार सहित कुल्लु-मनाली (हिमाचल प्रदेश) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 21 से 30 मई 2018 तक दस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण सहित कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- | | | |
|---------------------------|---|--------|
| 1. श्री संजय तिवारी | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती श्रद्धा तिवारी | — | पति |
| 3. प्रज्ञान तिवारी | — | पुत्र |
| 4. कु. आराधिका तिवारी | — | पुत्री |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय तिवारी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (सामान्य) वि. शा. पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री संजय तिवारी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय तिवारी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 21 जून 2018

क्र. एफ 1-53-2018-ब-2-दो.—श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, (शिकायत) पुलिस मुख्यालय भोपाल को मिड-केरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेस (MCTP) फेस-4 वर्ष 2018 में

सम्मिलित होने के लिए नामांकित किया गया है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 14 मई से 1 जून 2018 तक एन.पी.ए. हैदराबाद में एवं दिनांक 3 से 9 जून 2018 तक, London (U.K.) में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण होने के उपरान्त श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे, को दिनांक 10 से 13 जून 2018 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश (Ex-India Leave) निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस उप महानिरीक्षक (शिकायत) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. जी. पाण्डेय भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 22 जून 2018

क्र. एफ 1-23-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय को दिनांक 22 से 23 जून 2018 तक, दो दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 24 जून 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में काठमांडू (नेपाल) की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के तहत प्रदान की जाती है:-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुराधा शंकर भापुसे, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनीं रहतीं।

क्र. एफ 1(बी) 35-17-बी-4-दो.—राज्य सेवा परीक्षा 2015 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर के पत्र क्र. 3615/59/2016/चयन, दिनांक 28 मई 2018 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुपूरक सूची के वरिष्ठता क्र. 04 (अनुक्रमांक 158741) (अनारक्षित-पुरुष) पर चयन उपरांत नियुक्ति हेतु अनुशंसित श्री अंकुर रवि गुप्ता, परिवीक्षाधीन उप जिलाध्यक्ष, आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी 103, हास्टल क्र. 02, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा दिनांक 1 जून 2018 को गृह विभाग को लिखित में यह सूचित किया गया है कि राज्य सेवा परीक्षा-2017 में उप जिलाध्यक्ष के पद पर चयनोपरांत वे वर्तमान में प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्रशिक्षणरत हैं। अतः उप पुलिस अधीक्षक के पद पर ज्वाइन नहीं करेंगे अतः उक्त पद पर उनका चयन निरस्त कर प्रतीक्षा सूची के अन्य प्रतिभागी को लाभ दिये जाने की कार्यवाही की जाये।

(2) राज्य शासन द्वारा श्री अंकुर रवि गुप्ता के लिखित आवेदन पत्र दिनांक 1 जून 2018 के अनुसार उप पुलिस अधीक्षक के पद पर से उम्मीदवारी वापस लिये जाने के आधार पर उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुपूरक सूची से इनकी नियुक्ति संबंधी दावा सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है।

क्र. एफ 1(बी) 159-16-बी-4-दो.—राज्य सेवा परीक्षा 2014 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर के पत्र क्र. 3904/81/2016/चयन, दिनांक 31 मई 2018 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुपूरक सूची के वरिष्ठता क्र. 08 (अनुक्रमांक 198255) (अपिव-महिला) पर चयनित सुश्री फरहीन खान, पुत्री श्री मुईद खान, प्लॉट नं. 401, नर्मदानगर कालोनी, आधारताल, जबलपुर, मध्यप्रदेश 482004 द्वारा दिनांक 26 नवम्बर 2017 को गृह विभाग को लिखित में यह सूचित किया गया है कि राज्य सेवा परीक्षा 2015 में उप जिलाध्यक्ष के पद पर चयनोपरांत वे उक्त पद पर ज्वाइन करेंगी और उप पुलिस अधीक्षक के पद पर ज्वाइन नहीं करेंगी अतः उक्त पद पर उनका चयन निरस्त कर प्रतीक्षा सूची के अन्य प्रतिभागी को लाभ दिये जाने की कार्यवाही की जाये।

(2) राज्य शासन द्वारा सुश्री फरहीन खान के लिखित आवेदन पत्र दिनांक 26 नवम्बर 2017 के अनुसार उप पुलिस अधीक्षक के पद पर से उम्मीदवारी वापस लिये जाने के आधार पर उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुपूरक सूची से इनकी नियुक्ति संबंधी दावा सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 23 जून 2018

क्र. एफ 1 (ए) 152-95-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री आशुतोष राय, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (योजना), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 21 मई से 2 जून 2018 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश तथा दिनांक 3 जून 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशुतोष राय, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (योजना), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आशुतोष राय, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशुतोष राय, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(बी) 60-2017-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2016 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये अनुपूरक सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+ ग्रेड पे 5400/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/ स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	03	सुश्री पूजा पाण्डे, 611, खत्रीवाड़ा, महाकौशल स्कूल के पीछे, गोलबाजार जबलपुर (म. प्र.) 482002.	जबलपुर

(2) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अंदर उपर्युक्त कॉलम (4) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौरी, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

(3) इन परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षकों द्वारा प्रथम चरण का बुनियादी प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरंत द्वितीय चरण के जिले का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी इन्हीं जिलों में पूर्ण किया जायेगा.

(4) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण, कार्यक्रम आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षाएँ उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

(5) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे.

(6) नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

(7) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

(8) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवाएँ बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(9) परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक "बाण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.

(10) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजाँच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

(11) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.

(12) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

(13) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम,

1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 जून 2018

फा. क्र. 17-(ई)-44-2013-इक्कीस-ब-(एक)-2672-18.—राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 3, 7, 12, 29, 34 तथा 38 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

क्रमांक	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)
“3.	बैतूल	श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, सेशन न्यायाधीश, बैतूल
7.	छिन्दवाड़ा	श्री काशिफ नदीम खान, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा
12.	पूर्वी निमाड खण्डवा	श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, पूर्वी निमाड खण्डवा.
29.	रतलाम	श्री मसूद अहमद खान, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रतलाम
34.	सिवनी	श्री अवनिन्द्र कुमार सिंह, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सिवनी.
38.	शिवपुरी	श्री ब्रम्ह शंकर दीक्षित, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शिवपुरी.”

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

F. No. 17(E)-44-2013-XXI-B (One) 2672-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this department's Notification

F-No. B(1) 3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial numbers 3, 7, 12, 29, 34 and 38 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No. (1)	Name of the District (2)	Name and Designation of the Judge (3)
“3.	Betul	Shri Bhoopendra Kumar Nigam, Sessions Judge, Betul.
7.	Chhindwara	Shri Kasif Nadeem Khan, 1 st Additional Sessions Judge, Chhindwara.
12.	East Nimar Khandwa	Shri Surendra Kumar Shrivastava, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, East Nimar, Khandwa.
29.	Ratlam	Shri Masood Ahmad Khan, 1 st Additional Sessions Judge, Ratlam.
34.	Seoni	Shri Avnindra Kumar Singh, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Seoni.
38.	Shivpuri	Shri Bramha Shankar Dixit, III rd Additional Sessions Judge, Shivpuri.”

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

भोपाल, दिनांक 21 जून 2018

फा. क्र. 3(ए) 1-2018-इक्कीस-ब (एक), 2940.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री गंगा चरण शर्मा, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, अशोकनगर को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक, अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करता है.

फा. क्र. 17-(ई)-83-03-इक्कीस-ब-(एक)-2677-018.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग—1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 3, 10, 23, 53, 55, 64, 72, 83, 89, 91, 100, 102 एवं 102-ए तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं अर्थात्:—

सारणी

स. क्र.	मिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
“3	अनूपपुर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर	श्री वारिन्द्र कुमार तिवारी, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर.

(1)	(2)	(3)	(4)
10	बैतूल	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बैतूल.	श्री कमलेश कुमार इटवादिवा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बैतूल.
23	दमोह	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह.	श्री देवेन्द्र देव द्विवेदी, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह.
53	झाबुआ	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, झाबुआ के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.	श्री सुनील मालवीय, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश झाबुआ के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.
55	मंडला	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंडला.	श्री प्रकाश कसेर, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंडला.
64	नरसिंहपुर	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नरसिंहपुर.	श्री विवेक पटेल, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नरसिंहपुर.
72	राजगढ़	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, राजगढ़.	श्री संजय श्रीवास्तव, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, राजगढ़.
83	सतना	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना.	श्री राकेश मोहन प्रधान, तृतीय अतिरिक्त सेशन, न्यायाधीश, सतना.
89	सिवनी	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिवनी.	श्रीमती इन्द्रा सिंह, प्रथम अतिरिक्त सेशन, न्यायाधीश, सिवनी.
91	शहडोल	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश शहडोल.	श्री अविनाश चन्द्र तिवारी, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शहडोल.
100	पिछोर शिवपुरी	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिछोर.	श्री संजय गोयल, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिछोर.
102	सिंगरौली	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिंगरौली.	श्री जय शंकर श्रीवास्तव, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिंगरौली.
102-ए.	सिंगरौली	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, देवसर.	श्री सुजीत कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, देवसर."

F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(one)-1769, 1783-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September, 2010 namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial numbers 3, 10, 23, 53, 55, 64, 72, 83, 89, 91, 100, 102 and 102-A and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
"3	Anuppur	II nd Additional Sessions Judge, Anuppur.	Shri Varindra Kumar Tiwari, II nd Additional Sessions Judge, Anuppur.

(1)	(2)	(3)	(4)
10	Batul	I st Additional Sessions Judge, Batul.	Shri Kamlesh Kumar Itawadiya, I st Additional Sessions Judge, Batul.
23.	Damoh	II nd Additional Sessions Judge, Damoh.	Shri Devendra Deo Dwivedi, II nd Additional Sessions Judge, Damoh.
53.	Jhabua	II nd Additional Judge to I st Additional Sessions Judge, Jhabua.	Shri Sunil Malviya II nd Additional Judge to I st Additional Sessions Judge, Jhabua.
55.	Mandla	II nd Additional Sessions Judge, Mandla.	Shri Prakash Kaser, II nd Additional Sessions Judge, Mandla.
64.	Narsinghpur	III rd Additional Sessions Judge, Narsinghpur.	Shri Vivek Patel, III rd Additional Sessions Judge, Narsinghpur.
72.	Rajgarh	I st Additional Sessions Judge, Rajgarh.	Shri Sanjay Shrivastava, I st Additional Sessions Judge, Rajgarh.
83.	Satna	III rd Additional Sessions Judge, Satna.	Shri Rakesh Mohan Pradhan, III rd Additional Sessions Judge, Satna.
89.	Seoni	I st Additional Sessions Judge, Seoni.	Smt. Indira Singh, I st Additional Sessions Judge, Seoni.
91.	Shahdol	I st Additional Sessions Judge, Shahdol.	Shri. Awinash Chandra Tiwari I st Additional Sessions Judge, Shahdol.
100.	Pichore Shivpuri	Additional Sessions Judge, Pichore.	Shri. Sanjay Goyal, Additional Sessions Judge, Pichore.
102.	Singrauli	I st Additional Sessions Judge, Singrauli.	Shri. Jai Shankar Shrivastava, I st Additional Sessions Judge, Singrauli.
102-A.	Sangrauli	II nd Additional Sessions Judge, Deosar.	Shri. Sujeet Kumar Singh, II nd . Additional Sessions Judge, Deosar.”

फा. क्र. 17-(ई)-83-03-इक्कीस-ब-(एक)-2677-018.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-2003-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग—1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 3, 10, 23, 53, 55, 64, 72, 83, 89, 91, 100, 102 एवं 102-ए तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
“3	अनूपपुर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर	अनूपपुर, कोतमा एवं राजेन्द्रग्राम का विद्युत् क्षेत्र
10	बैतूल	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बैतूल	सिविल जिला बैतूल तथा भेंसदेही का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 11 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).

(1)	(2)	(3)	(4)
23	दमोह	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह.	सिविल जिला दमोह का समस्त विद्युत् क्षेत्र अनुक्रमांक 23-ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
53	झाबुआ	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, झाबुआ के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.	सिविल जिला झाबुआ, पेटलावद एवं थांदला के समस्त विद्युत् क्षेत्र.
55	मंडला	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंडला.	सिविल जिला मंडला का समस्त विद्युत् क्षेत्र
64	नरसिंहपुर	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नरसिंहपुर.	सिविल जिला नरसिंहपुर का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 65 में दिए गए विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
72	राजगढ़	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, राजगढ़.	सिविल जिला राजगढ़ का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 73, 74 एवं 74-ए में दिए गए विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
83	सतना	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना.	सिविल जिला सतना का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 84, 84-ए, 85 एवं 85-ए में दिए गए विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
89	सिवनी	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिवनी.	सिविल जिला सिवनी का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 90 में दिए गए विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
91	शहडोल	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शहडोल.	सिविल जिला शहडोल का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 92 में दिए गए विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
100	शिवपुरी	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिछोर.	पिछोर एवं खनियाधाना का विद्युत् क्षेत्र
102	सिंगरौली	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिंगरौली.	सिविल जिला सिंगरौली का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 102-ए में दिए गए विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
102-ए.	सिंगरौली	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, देवसर.	देवसर का विद्युत् क्षेत्र."'

F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(one)-2677-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September, 2010 namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial numbers 3, 10, 23, 53, 55, 64, 72, 83, 89, 91, 100, 102 and 102-A and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area).
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Anuppur	II nd Additional Sessions Judge, Anuppur.	Electricity Area of Anuppur, Kotma and Rajendragram.
10.	Batul	I st Additional Sessions Judge, Batul.	All Electricity Area of Civil District Batul and Bhainsdhai (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 11).
23.	Damoh	II nd Additional Sessions Judge, Damoh.	All Electricity Area of Civil District Damoh (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 23-A).
53.	Jhabua	II nd Additional Judge to I st Additional Sessions Judge, Jhabua.	All Electricity Area of Civil District Jhabua, Petlad & Thandla.
55.	Mandla	II nd Additional Sessions Judge, Mandla.	Electricity Area of Civil District Mandla.
64.	Narsinghpur	III rd Additional Sessions Judge, Narsinghpur.	All Electricity Area of Civil District Narsinghpur (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 65).
72.	Rajgarh	I st Additional Sessions Judge, Rajgarh.	All Electricity Area of Civil District Rajgarh (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 73, 74 and 74-A).
83.	Satna	III rd Additional Sessions Judge, Satna.	All Electricity Area of Civil District Satna (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 84, 84-A, 85 & 85-A).
89.	Seoni	I st Additional Sessions Judge, Seoni.	All Electricity Area of Civil District Seoni (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 90).
91.	Shahdol	I st Additional Sessions Judge, Shahdol.	All Electricity Area of Civil District Shahdol (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 92).
100.	Shivpuri	Additional Sessions Judge, Pichore.	Electricity Area of Pichore and Khaniyadhana.
102.	Singrauli	I st Additional Sessions Judge, Singrauli.	Electricity Area of Civil District Singrauli (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 102-A).
102-A.	Singrauli	II nd Additional Sessions Judge, Deosar.	Electricity Area of Deosar.

फा. क्र. 2939-2018-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी, श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है।

भोपाल, दिनांक 23 जून 2018

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब (एक) 2828.—(मेरिट क्र. 32), राज्य शासन श्री सोम पाण्डेय पिता श्री राधाकान्त पाण्डेय को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 (यथासंशोधित) के नियम-5(1) (ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517-2018 में दिये गये आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2018 के पालन में इस रिट याचिका में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अध्याधीन रहेगा।

अभ्यर्थी का गृह जिला लखनऊ, उत्तरप्रदेश है। उसकी जन्मतिथि 2 अक्टूबर 1973 है।

भोपाल, दिनांक 26 जून 2018

फा. क्र. 2609-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, XIV अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को श्री अजय कुमार सिंह, उपसचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के स्थान पर, आगामी आदेशपर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर में उपसचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर एतद्वारा नियुक्त करता है।

फा. क्र. 2609B-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, श्री अरविंद श्रीवास्तव, III व्यवहार न्यायाधीश, II गुना को उपसचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर में रिक्त पद पर आगामी आदेशपर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर में उपसचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर एतद्वारा नियुक्त करता है।

फा. क्र. 2998-2018-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की स्थापना पर विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने हेतु न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की सेवाएं उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है:—

1. श्री दिनेश प्रसाद मिश्रा,
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, होशंगाबाद.
2. श्री मोहम्मद नियामत हुसैन रजवी,
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2,
बड़नगर, जिला उज्जैन.

भोपाल, दिनांक 27 जून 2018

शुद्धि पत्र

फा. क्र. 3(ए) 2016-इक्कीस-ब (एक) 3862.—(मेरिट क्र. 59), इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2017 के प्रथम पैरा की पंक्ति क्र. 2 में "श्री रामअचल पाल पिता श्री जगन्नाथ पाल" के स्थान पर "श्री राम अचल पाल पिता श्री जगन्नाथ पाल" पढ़ा जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 मई 2018

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब (एक) 2036.—(मेरिट क्र. 25), राज्य शासन श्री राज कुमार गुप्ता पिता श्री सत्य प्रकाश गुप्ता को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 (यथासंशोधित) के नियम-5(1) (ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में एतद्वारा, नियुक्त करता है।

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517-2018 में दिये गये आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2018 के पालन में इस रिट याचिका में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अध्याधीन रहेगा।

अभ्यर्थी का गृह जिला हापुड़ (उत्तरप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 1 मार्च 1972 है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जून 2018

क्र. 966-410-2016-अ-तेहत्तर.—राज्य शासन, एतद्वारा, निर्णय लिया गया कि वर्ष 2017-18 के लिये निर्धारित छूट/रियायत वर्ष 2018-19 तथा उसके पश्चात् आगामी आदेश तक के लिये यथावत रखी जावे, अर्थात् मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 की कंडिका 10.1 के तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग तथा उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक उपयोग हेतु आवंटित भू-खण्डों के लिये वित्तीय वर्ष 2018-19 तथा उसके पश्चात् आगामी आदेश तक भूमि के मूल्य में निम्नानुसार छूट प्रदान की जावे:—

(1) सभी इकाइयों के लिए—

क्र.	भूमि का क्षेत्रफल	भूमि के मूल्य में छूट का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
1	500 वर्गमीटर तक	90 प्रतिशत
2	5000 वर्गमीटर तक	80 प्रतिशत
3	2 हैक्टेयर तक	65 प्रतिशत
4	6 हैक्टेयर तक	50 प्रतिशत
5	20 हैक्टेयर तक	25 प्रतिशत

(2) सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए—

क्र.	भूमि का क्षेत्रफल	भूमि के मूल्य में छूट का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
1	500 वर्गमीटर तक	95 प्रतिशत
2	5000 वर्गमीटर तक	90 प्रतिशत
3	2 हैक्टेयर तक	80 प्रतिशत
4	6 हैक्टेयर तक	50 प्रतिशत
5	20 हैक्टेयर तक	25 प्रतिशत

नोट.—प्रब्याजि की उपरोक्त दरें केवल औद्योगिक उपयोग हेतु आवंटित भूखण्डों के लिए लागू होंगी तथा भूमि के मूल्य में छूट की गणना स्लेब (टेलिस्कोपिक) पद्धति से की जावे।

क्र. एफ-5-19-2017-अ-तेहत्तर.—राज्य शासन, एतद्वारा, निर्णय लिया गया कि:—

1. उद्योग संवर्धन नीति 2014 अन्तर्गत टेक्सटाइल उद्योगों हेतु विशेष पैकेज प्रदान करने हेतु एमएसएसई प्रोत्साहन

योजना 2014 जारी की गई है. अतः उद्योग संवर्धन नीति 2010 (यथासंशोधित 2012) के 'टेक्सटाइल उद्योगों हेतु विशेष पैकेज' अन्तर्गत पात्र एमएसएसई टेक्सटाइल उद्योगों को टेक्सटाइल अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम (TUFS) में अनुमोदित यंत्र-संयंत्र में निवेश पर निवेश अनुदान और टेक्सटाइल अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम (TUFS) से लिंक लॉग टर्म लोन पर ब्याज अनुदान एमएसएसई प्रोत्साहन योजना 2014 में दी गई प्रक्रिया अनुसार प्रदाय की जावे.

2. दिनांक 1 अक्टूबर 2014 से दिनांक 30 जून 2015 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम टेक्सटाइल उद्योग द्वारा यदि 2010 की उद्योग संवर्धन नीति का चयन कर वेट एवं सीएसटी प्रतिपूर्ति सुविधा के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा/सहायता प्राप्त की गई हो तो उसकी वसूली नहीं की जावे.

3. जिन टेक्सटाइल इकाइयों द्वारा उपरोक्त उल्लेखित अवधि में 2010 की उद्योग संवर्धन नीति का चयन कर वेट एवं सीएसटी प्रतिपूर्ति सुविधा प्राप्त की गई है, उनकी सुविधा/सहायता की पुनर्गणना 2014 की उद्योग संवर्धन नीति अन्तर्गत की जावे एवं आधिक्य की स्थिति में पात्रता शेष रहने पर समायोजन और पात्रता शेष न रहने पर वसूली की जावे.

4. उक्त टेक्सटाइल इकाइयों को जो सहायता/सुविधाएं 2010 की उद्योग संवर्धन नीति अन्तर्गत प्राप्त नहीं की गई हैं, वह सुविधा पात्रता अनुसार 2014 की उद्योग संवर्धन नीति अन्तर्गत देय की जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एल. कान्ताराव, प्रमुख सचिव.

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जून 2018

क्र. एफ-06-16-2002-तीन-जेल.—जेल प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा (3) के अंतर्गत, प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा, पुरानी जेल परिसर एवं टी. टी. नगर, दशहरा मैदान, भोपाल को विधान सभा बैठक दिनांक 25 जून 2018 से दिनांक 29 जून 2018 के दौरान अस्थायी जेल घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय नथानियल, अवर सचिव.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट-एक

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 20/22 जून 2018	स. क्र.	पदनाम	पद संख्या
	(1)	(2)	(3)
क्र. एफ-02-01-2018-एस. एण्ड टी-इकतालीस-1.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत कार्यरत मध्यप्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद् का विलय मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् में करता है.	1	सलाहकार	01
	2	अधीक्षण यंत्री	01
	3	प्रबंधक	02
	4	सहायक प्रोग्रामर	01
2. मध्यप्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद् अन्तर्गत संलग्न परिशिष्ट-एक अनुसार स्वीकृत 11 पदों पर कार्यरत अमले की सेवाएं मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर सौंपी जाती हैं.	5	कार्यालय सचिव	02
	6	लेखापाल-सह-केशियर	01
	7	वाहन चालक	01
3. मध्यप्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद् की संपूर्ण चल-अचल सम्पत्ति और दायित्वों का विलय मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् में किया जाता है.	8	भृत्य	02

योग . . 11

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्दा भलावे कुशरे, उपसचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जून 2018

क्र. 1444-1970-2018-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिला का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	शहडोल	शहडोल	श्री जितेन्द्र नारायण सिंह, ACJM

No. 1444-1970-2018-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shahdol	Shahdol	Shri Jitendra Narayan Singh, ACJM

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जून 2018

सूचना

क्र. एफ. 1-07-2018-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में, इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य शासन, टीकमगढ़ जिले में दिगौड़ा तहसील के पुनर्गठन करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेख किये गये अनुसार वर्तमान जिला टीकमगढ़ की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम (2) में दर्शाई तहसील को कॉलम (3) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय में उसकी स्थापना रखने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.

2. "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे :—

अनुसूची

क्र.	प्रस्तावित तहसील	मुख्यालय	वर्तमान तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	दिगौड़ा	दिगौड़ा	जतारा	नवीन प्रस्तावित तहसील दिगौड़ा में वर्तमान तहसील जतारा के रा.नि.मं. दिगौड़ा के 19 पटवारी हल्के (पटवारी हल्का क्र. 1 से 19 तक) एवं 43 ग्राम शामिल किये जाकर तहसील दिगौड़ा का सृजन किया जावेगा.	पूर्व में—तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ पश्चिम में—तहसील मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़. उत्तर में—तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ़. दक्षिण में—तहसील टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़.
2	जतारा (शेष तहसील)	जतारा	जतारा	वर्तमान तहसील जतारा में रा.नि.मं. जतारा के 22 पटवारी हल्के (पटवारी हल्का क्र. 20 से 41 तक) एवं 43 ग्राम होंगे.	पूर्व में—तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़. पश्चिम में—तहसील दिगौड़ा जिला टीकमगढ़. उत्तर में—तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़. दक्षिण में—तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़.

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जून 2018

क्र. एफ-3-11-2018-तेरह.—विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र दिनांक 13 अप्रैल 2006 में प्रकाशित पारेषण सेवाओं हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के दिशा-निर्देशों की कंडिका 3.3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा मेसर्स आर.ई.सी. ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली को परिशिष्ट-1 पर उल्लेखित अंतःराज्यीय पारेषण परियोजनाओं का विकास टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के माध्यम से मध्यप्रदेश में विकसित करने के लिये बोली प्रक्रिया समन्वयक (बिड प्रोसेस को आर्डिनेटर) नियुक्त करती है। यह नियुक्ति विद्युत् मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों में निर्धारित शर्तों के अधीन होगी।

परिशिष्ट-एक

टैरिफ प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से विकसित की जाने वाली अंतःराज्यीय पारेषण परियोजना

(अ) गुना के समीप 400 केव्ही उपकेन्द्र के निर्माण से संबद्ध अंतःराज्यीय पारेषण कार्य
(जिला गुना)

- (i) बीना (मप्रपॉट्रांकलि.)-गुना 400 केव्ही डीसीडीएस (क्वॉड मूस) लाईन.
- (ii) गुना-गुना (मप्रपॉट्रांकलि.) 220 केव्ही डीसीडीएस लाईन.
- (iii) गुना-शिवपुरी (मप्रपॉट्रांकलि.) 220 केव्ही डीसीडीएस लाईन.
- (iv) गुना के समीप 2×500 एमव्हीए, 400/220 केव्ही सब-स्टेशन की स्थापना निम्नलिखित कार्यों सहित—

400 केव्ही

- * 400/220 केव्ही आईसीटी—2×500 एमव्हीए
- * आईसीटी बे - 2 नग
- * लाईन बे - 2 नग
- * बस रिएक्टर (125 एमव्हीएआर) - 1 नग
- * बस रिएक्टर बे- 1 नग
- * आईसीटी के लिए स्थान (भविष्य) - 1 नग
- * आईसीटी बे के लिए स्थान (भविष्य) - 1 नग
- * लाईन बे के लिए स्थान (भविष्य) - 4 नग

220 केव्ही

- * आईसीटी बे - 2 नग
- * लाईन बे - 4 नग
- * आईसीटी बे के लिए स्थान (भविष्य) - 1 नग
- * लाईन बे के लिए स्थान (भविष्य) - 4 नग

(ब) भिण्ड के समीप 220 केव्ही उपकेन्द्र के निर्माण से संबद्ध अंतःराज्यीय पारेषण कार्य (जिला भिण्ड) .—

- (i) मुरैना (टीबीसीबी-सीडब्ल्यूआरटीएल)-भिण्ड 220 केव्ही डीसीडीएस लाईन.
- (ii) मुरैना (टीबीसीबी-सीडब्ल्यूआरटीएल) 400 केव्ही उपकेन्द्र में 2 नग 220 केव्ही फीडर बे का निर्माण.
- (iii) भिण्ड-भिण्ड (मप्रपाँट्रांकलि.) 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन.
- (iv) भिण्ड-पोरसा (मप्रपाँट्रांकलि.) 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन.
- (v) भिण्ड-गोरमी (मप्रपाँट्रांकलि.) 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन.
- (vi) भिण्ड-के समीप 2×160 एमव्हीए, 220/132 केव्ही सब-स्टेशन की स्थापना निम्नलिखित कार्यों सहित—

220 केव्ही

- * 220/132 केव्ही आईसीटी—2×160 एमव्हीए
- * आईसीटी—बे-2 नग
- * लाईन बे - 4 नग
- * आईसीटी के लिए स्थान (भविष्य) - 2 नग
- * आईसीटी बे के लिए स्थान (भविष्य) - 2 नग
- * लाइन बे के लिए स्थान (भविष्य) - 4 नग

132 केव्ही

- * आईसीटी बे - 2 नग
- * लाईन बे - 6 नग
- * आईसीटी बे के लिए स्थान (भविष्य) - 2 नग
- * लाईन बे के लिए स्थान (भविष्य) - 6 नग

No. F-3-11-2018-XIII.—In exercise of the powers conferred by para 3.3 of the Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding for Transmission Service circulated by Ministry of Power, Government of India, under Section 63 of the Electricity Act, 2003, published in the Gazette of India Notification dated 13.04.2006, the State Government hereby appoints M/s REC-Transmission Projects Company Limited, New Delhi as Bid Process Coordinator (BPC) for the development of intra-state transmission projects mentioned in Annexure-I through Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) in Madhya Pradesh. This appointment is subject to the conditions laid down in the Guidelines issued by Ministry of Power, Government of India.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, प्रमुख सचिव.

Annexure-I

Intra-state transmission projects to be developed through Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) in Madhya Pradesh

(A) Intra-state Transmission Work associated with construction of 400 KV Substation near Guna (Distt.-Guna).

- (i) 400 KV DCDS (Quad Moose) line from Bina (MPPTCL) to Guna

- (ii) 220 KV DCDS line from Guna to Guna (MPPTCL).
 (iii) 220 KV DCDS line from Guna to Shivpuri (MPPTCL)
 (iv) Establishment of 2x500 MVA, 400/220 kV Substation near Guna involving following works-

400 KV

- * ICT 400/220 KV - 2x500 MVA
- * ICT bays - 2 Nos.
- * Line bays - 2 Nos.
- * Bus Reactor 125 MVAR - 1 No.
- * Bus Reactor bay - 1 No.
- * Space for ICT (Future) - 1 No.
- * Space for ICT bays (Future) - 1 No.
- * Space for Line bays (Future) - 4 Nos.

220 kv

- * ICT bays - 2 Nos.
- * Line bays - 4 Nos.
- * Space for ICT bays (Future). 1 No.
- * Space for line bays (Future) - 4 Nos.

(B) Intra-state Transmission Work associated with construction of 220 kV S/s near Bhind (Distt.-Bhind)

- (i) 220 KV DCDS line from Morena (TBCB-CWR T L) to Bhind
 (ii) Construction of 2 Nos. 220 KV feeder bays at Morena (TBCB-CWRTL) 400 KV S/s
 (iii) 132 KV DCDS line from Bhind to Bhind (MPPTCL)
 (iv) 132 KV DCDS line from Bhind to Porsa (MPPTCL)
 (v) 132 KV DCDS line from Bhind to Gormi (MPPTCL)
 (vi) Establishment of 2x160 MVA, 220/132 kV Substation near Bhind involving following works—

220 kv

- * ICT 220/132 kV - 2x160 MVA
- * ICT bays - 2 Nos.
- * Line bays - 4 Nos.
- * Space for ICT (Future) - 2 Nos.
- * Space for ICT bays (Future) - 2 Nos.
- * Space for line bays (Future) - 4 Nos.

132 KV

- * ICT bays - 2 Nos.
- * Line bays - 6 Nos.
- * Space for ICT bays (Future) - 2 Nos.
- * Space for line bays (Future) - 6 Nos.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी, मध्यप्रदेश

सिवनी, दिनांक 12 जून 2018

क्र. 3037-एस. टी.-2018.—कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुये जिले में नवीन पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अपर कलेक्टर श्रीमती रानी बाटड को निम्नलिखित अनुसार कार्य सौंपे जाते हैं:—

01. (क) राजस्व :—

1. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अन्तर्गत अनुविभागों के अपील एवं पुनरीक्षण प्रकरण (प्रत्येक 1 से 9 प्रकरण).
2. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा अंतरित अन्य प्रकरण.
3. कोर्ट फीस स्टाम्प चस्पा की गयी राशि की वापसी के समस्त प्रकरण.
4. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 107 के अन्तर्गत प्रकरण.
5. मध्यप्रदेश पंचायत ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 65 के अन्तर्गत प्रकरण.
6. मध्यप्रदेश कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत सभी प्रकरण.
7. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 240, 241 के प्रकरण.
8. प्रतिभूतिकरण और वित्तीय अस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूतियों हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण (राशि एक करोड़ से कम).

(ख) दांडिक :—

1. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, सिवनी
2. शस्त्र अधिनियम तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति से संबंधित जिला दण्डाधिकारी के अधिकारिता के सभी प्रकरण.
3. संपूर्ण जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने का कार्य जिला दण्डाधिकारी के मार्गदर्शन में करेंगे.

(ग) विविध/प्रभारी अधिकारी :—

1. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, केन्द्रीय निर्वाचन
2. विशेष विवाह अधिनियम/हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह अधिकारी.
3. विभागीय जांच अधिकारी.
4. प्रभारी अधिकारी-सिविल सूट/लायसेंस शाखा (नवीन लायसेंस को छोड़कर)
5. प्रभारी अधिकारी-सांख्यिकी शाखा, जिला जेल/उपजेल, होमगार्ड एवं नागरिक कल्याण
6. प्रभारी अधिकारी-भू-अर्जन/आपदा प्रबंधन/राहत/राजस्व लेखापाल.
7. प्रभारी अधिकारी-भू-अभिलेख/वन राजस्व भूमि सीमा विवाद.
8. प्रभारी अधिकारी-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं जिला चिकित्सालय सिवनी तथा भारतीय रेडक्रास सोसायटी सिवनी.
9. माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले में भ्रमण से संबंधित समस्त कार्यों के नोडल अधिकारी.
10. समस्त विभागों की सी. एम. हेल्पलाइन के निराकरण हेतु नोडल अधिकारी.
11. लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा प्रश्नों के लिए नोडल अधिकारी.
12. जनसुनवाई/सी.एम. हेल्पलाइन/शिकायत/जनशिकायत निवारण प्रकोष्ठ.
13. लोकप्रिय संगठन/अन्य आयोगों से प्राप्त पत्रों का निराकरण.
14. प्रभारी अधिकारी-ई-गवर्नेंस/लोकसेवा प्रबंधन एवं आनंद विभाग.
15. कार्यकारी अध्यक्ष-नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय/डाइट तथा कन्या शिक्षा परिसर सिवनी.
16. सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, आकस्मिक एवं अर्जित अवकाश, क्रमोन्नति, पदोन्नति, समयमान वेतनमान प्रदाय संबंधी कार्यवाही के लिए कलेक्टर की शक्तियां.

17. सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि से अस्थाई अग्रिम/आंशिक विकर्षण, यात्रा भत्ता/चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक की स्वीकृति के लिये कलेक्टर की शक्तियां.
18. रुपये 50,000/- पचास हजार रुपये तक की स्वीकृति से संबंधित वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार (विद्युत्, फोन, मोबाइल, पी. ओ. एल. अन्य कार्यालय व्यय एवं समस्त शासकीय देयक).
19. सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समस्त प्रकार के अग्रिम स्वीकृति के लिये कलेक्टर की शक्तियां.
20. सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को म. प्र. शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि योजना 1974 अंतर्गत स्वीकृति एवं अन्य कार्यों के लिये कलेक्टर की शक्तियां.
21. सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को म. प्र. राज्य कर्मचारी समूह बीमा योजना 2003 अंतर्गत स्वीकृति एवं अन्य कार्यों के लिये कलेक्टर की शक्तियां.
22. गरीबी रेखा सर्वे सूची में नाम दर्ज कराने/काटने, जाति प्रमाण-पत्र तथा दस्तावेज की नकल हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का समय सीमा में निराकरण न होने अथवा निरस्त किये जाने की स्थिति में प्राप्त अपील प्रकरणों की सुनवाई कर निराकरण.
23. मृत शासकीय सेवकों को लंबित राशि के आहरण हेतु वारसान प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु कलेक्टर की शक्तियां.
24. नाबालिक की भूमि रहन रखने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु कलेक्टर की शक्तियां.
25. जिला बीमारी सहायता निधि, श्रम विभाग-कर्मकार कल्याण मण्डल एवं असंगठित मजदूरों से संबंधित, कृषि विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के उपचार योजना से संबंधित स्वीकृति के लिये कलेक्टर की शक्तियां.
26. विभिन्न विभागों में कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जाने वाली छात्रवृत्ति/शिष्यावृत्ति स्वीकृति से संबंधित कार्यवाही के लिये कलेक्टर की शक्तियां.
27. न्यायालयों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति एवं समीक्षा के लिये कलेक्टर की शक्तियां.
28. भारतीय नागरिकता एवं पासपोर्ट संबंधी कार्यवाही हेतु कलेक्टर की शक्तियां.
29. कलेक्टर की अन्य व्यस्तताओं में जनसुनवाई.
30. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

निम्नानुसार अधिकारी लिंक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे :—

क्र.	अधिकारी का नाम	प्रथम लिंक आफीसर	द्वितीय लिंक आफीसर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती रानी बाटड	श्री डी. आर. बिल्वे	श्री कामेश्वर चौबे
2	श्री डी. आर. बिल्वे	श्री कामेश्वर चौबे	श्री हर्ष सिंह
3	श्री कामेश्वर चौबे	श्री डी. आर. बिल्वे	श्री हर्ष सिंह
4	श्री आई. जे. खलखो	श्री अंकुर मेश्राम	श्री डी. आर. बिल्वे
5	श्री अंकुर मेश्राम	श्री आई. जे. खलखो	श्री डी. आर. बिल्वे
6	श्री हर्ष सिंह	श्री कामेश्वर चौबे	श्री डी. आर. बिल्वे

नोट.—

1. संबंधित प्रभारी अधिकारी/जिला अधिकारी अपने प्रभार की समस्त नस्तियां सीधे प्रस्तुत करेंगे.
2. सर्व अनुविभागीय अधिकारी/दण्डाधिकारी वन व्यवस्थापन तथा वन-राजस्व सीमा विवाद से संबंधित प्रकरण तैयार कर निराकरण हेतु निम्नानुसार प्रेषित करेंगे.—
 - 2.1 सिवनी, कुरई, केवलारी एवं बरघाट के लिये अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी.
 - 2.2 लखनादौन, धनौरा, घंसौर एवं छपारा के लिये अनुविभागीय अधिकारी, लखनादौन.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

झाबुआ, दिनांक 22 मई 2018

क्र.-जे.सी.-2018-3272.—मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-2(क) 15-99-बी-3-दो के प्रकाशन में दण्ड प्रक्रिया 1973 (1974 का स. 2) की धारा 2 के खण्ड-एस, द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व की अधिसूचना में आंशिक रूपान्तरण करते हुए राज्य सरकार द्वारा एतद् “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से.—

मैं, आशीष सक्सेना, जिला दण्डाधिकारी, झाबुआ, दण्ड प्रक्रिया 1973-1974 का स. 2 की धारा 2 के खण्ड-एस, द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ग्राम भाझीडूंगरा एवं टिटकीखेड़ा जो थाना झाबुआ में है को पुलिस थाना कल्याणपुरा क्षेत्र में सम्मिलित करता हूँ.

No.-J.C.-2018-3272.—In Reference to Madhya Pradesh Govt. Home Department Memo No. F 2(K)15-99-B-3 Two Dated 11-10-2004 Exercise of the power conferred by clause(s) of Section 2 the code of Criminal procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and in partial Modification of the previous notification Affecting the local areas specified in the schedule below. the State Government hereby with effect from the date of publication of this Notification in the Madhya Pradesh Government Gazette.

I, Ashish Saxena the District Magistrate of Jhabua. hereby exercise the power of criminal procedure of 1973-1974 conferred by clause(s) of Section 2 include village Bhajidungra and Titkikheda in police station Kalyanpura area which are at present under Jhabua police station.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सक्सेना, जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 23 जून 2018

क्र. एफ 12-1-रा.स.-यू.ए.-5-2012-1005.—जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 25 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपति ने उक्त धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (तीन) (चार) (पांच) एवं (छः) के अंतर्गत जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रमण्डल में निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया है :—

1. धारा 25(1) (तीन) के अंतर्गत कृषि/शोध शिक्षा से जुड़े दो प्रख्यात व्यक्ति.—

- 1 डॉ. नंदलाल इदनानी,
1/13, न्यू राम नगर,
कालीमाता का मंदिर रोड, अधरताल,
जबलपुर.
- 2 डॉ. आर. एस. त्रिपाठी,
बाल्मीक मदन,
गली नं. 2, राजेन्द्र नगर,
सतना.

2. अधिनियम की धारा 25(1) (चार) के अंतर्गत राज्य के दो प्रख्यात प्रगतिशील कृषक.—

- 1 श्री ओम ठाकुर,
बरघाट रोड,
नियर ग्राम पंचायत रोड,
सिवनी.
- 2 श्री अश्विनी सिंह चौहान,
ग्राम पोस्ट-पीपल्याहामा, तह. घट्टिया,
जिला उज्जैन.

3. अधिनियम की धारा 25(1) (पांच) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की प्रगति से जुड़ी प्रख्यात महिला सामाजिक कार्यकर्ता.—

- 1 श्रीमती आशा अरूण यादव,
म. नं. बी-159, जयंत परियोजना,
जिला सिंगरौली-486890.

4. धारा 25(1) (छः) के अंतर्गत पशु पालन क्षेत्र में शोध/शिक्षा का अनुभव वाला एक प्रख्यात पशुपालन वैज्ञानिक.—

- 1 डॉ. बकुल लाड,
11 सागर परिसर,
जी-3/ई-8 शिवाय कॉम्प्लेक्स,
गुलमोहर कॉलोनी,
भोपाल.

कुलाधिपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,
राज्यपाल के सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 20 जून 2018

क्र. 6847-न्या.लि.-2018.—सचिव, मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-दो (क) 15-99-बी-3-दो, दिनांक 11 जनवरी 2014 में जारी निर्देशों के परिपालन में एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 संख्यांक-2 की धारा दो के खण्ड एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा नीचे दर्शायी गयी सारणी को मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से.—

जिला सागर के थाना बहरोल क्षेत्र के ग्राम को थाना बांदरी में सम्मिलित किये जाने का परिसीमन किये जाने का प्रस्ताव

क्र.	ग्रामों के नाम जिनका परिसीमन किया जाना है	वर्तमान में किस थाना अंतर्गत है एवं दूरी	जिस थाना/ चौकी में सम्मिलित किया जाना उसका नाम एवं दूरी	सांसद/विधायक द्वारा प्रस्तावित ग्राम जिनका परिसीमन किया जाना है अभिमत सहित	ग्राम पंचायत सभा का अभिमत	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	पहरगुवा	थाना बहरोल से 08 किमी.	थाना बांदरी से 03 किमी.	मान. मंत्री, गृह एवं परिवहन, मध्यप्रदेश शासन द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है.		समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नागरिक सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम को थाना बांदरी में में सम्मिलित किये जाने हेतु निर्णय लिया गया है.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 22 जून 2018

क्र. 123 अ-82-17-18-6947.—चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, सागर जिला सागर की बाबिर मटिया नहर विस्तार योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना आपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से ग्राम हनौता उबारी की लगभग 160 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

(1) परियोजना का नाम.—	:	बाबिर मटिया नहर विस्तार योजना निर्माण हेतु
(2) भूमि का विवरण	:	
(1) जिला	:	सागर
(2) तहसील	:	बण्डा
(3) ग्राम	:	हनौता उबारी
(4) पट. ह. नं.	:	16
(5) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	1.14 हे.

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	केशव पिता वृन्दावन भू-स्वामी साकिन देह	भूमि स्वामी	1016/2	0.32	0.01	
2	सियाबाई जोजे रंधीरसिंग पता सा. नीमोन	भूमि स्वामी	1013/2	0.66	0.08	
3	तुलसीराम गजेन्द्र संतोष पिता नाथूराम सावित्री तारा सुनीता पुत्री नाथूराम हरिराम भागीरथ उमाकांत तुकाराम पिता रामप्रसाद भागबाई रामसखी पुत्री रामप्रसाद गंगाबाई बेवा रामप्रसाद विन्द्रावन पिता मुलू पता सा. देह भूमि-स्वामी.	भूमि स्वामी	768	2.47	0.20	
4	सावित्री बाई जोजे दशरथ साकिन सागर भू-स्वामी	भूमि स्वामी	1015/2	0.34	0.05	
5	तुलसीराम संतोष पिता धरमू लक्ष्मीबाई पुत्री धरमू रमेश, सुरेश पिता तख्ता साकिन देह फूला पुत्री गजाधर साकिन बहरोल भू-स्वामी बसंती पुत्री गजाधर साकिन पजनारी भू-स्वामी.	भूमि स्वामी	962	0.70	0.05	
6	गनेश पिता मुन्ना सा. देह	भूमि स्वामी	901/3	0.32	0.06	
7	चक्खी खेताराम वंशी पिता बाबूलाल कमला नौना गलाबबाई सुकनबाई पिता रतनसिंग सा. देह.	भूमि स्वामी	774	0.33	0.05	
8	रामसेवक मुकेश अनिल पिता शिवदीन चंदाबाई बेवा शिवदीन सा. देह.	भूमि स्वामी	763/1	1.43	0.02	
9	कल्याण गुलाब, बालाप्रसाद पिता कनई शांति पुत्री कनई भगवत बेवा कनई सा. देह.	भूमि स्वामी	773	0.47	0.02	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	रेबाबाई जोजे जसवंतसिंह सा. देह	भूमि स्वामी	632	0.46	0.02	
11	वीरसींग, सीताराम पिता रल्ली पंखोबाई बेवा रल्ली साहू सा. देह.	भूमि स्वामी	631	0.06	0.01	
12	भूपेन्द्र सींग पिता जवाहरसींग लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	630	1.42	0.08	
13	सम्मरसिंग पिता दलपतसींग सा. देह	भूमि स्वामी	545/1	0.46	0.02	
14	भागबाई पुत्री भगवन्त सिंह सा. देह	भूमि स्वामी	546/1	0.44	0.11	
15	केशवप्रसाद, कामता पिता ग्याप्रसाद रामदास दिनेश पिता बिहारी सा. देह.	भूमि स्वामी	547	1.67	0.03	
16	गुलझारसींग पिता रतनसींग सा. देह	भूमि स्वामी	555/1	0.45	0.07	
17	नाथूराम पिता मूलचंद दहरिया पिता वंशी भजन रतिराम पिता मोहन सा. देह.	भूमि स्वामी	575	0.55	0.02	
18	कुंवरसींग इन्द्राजसींग पिता बैजनाथ माया राजकुमारी पुत्री बैजनाथ त्रिवेणीबाई बेवा बैजनाथ सा. देह.	भूमि स्वामी	573/1	0.42	0.06	
योग			19	8.48	1.14	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ-16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29-9-2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3-10-2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है. अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे.

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ-16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29-9-2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3-10-2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है. अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे. कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर जिला सागर, समुचित सहयोग करेंगे, एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे.

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बण्डा में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजपुर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

क्रमांक 2767-भू-अर्जन-2018.—

राजपुर, दिनांक 21 जून 2018

(प्रारूप ख)

नियम 5 का उपनियम (2)

प्रकरण क्रमांक 01-अ-82-2017-18.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में आवश्यक प्रतीत होता है कि सेगवाल तालाब योजना की बायी तट नहर (फेस-2) के निर्माण अन्तर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम हसनखेडी तहसील ठीकरी जिला बड़वानी में म. प्र. राज्य कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बड़वानी जिला बड़वानी द्वारा भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये आवश्यक प्रतीत होता है कि उक्त भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाय.

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर जिला बड़वानी म. प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बड़वानी	ठीकरी	हसनखेडी. प.ह.नं. 20	300/1, 301/1 300/3, 301/3 300/5, 301/5 300/2, 301/2 300/4, 301/4 300/6, 301/6	0.045 0.156 0.050 0.045 0.135 0.070
कुल योग . .			06	0.501

अभयसिंह ओहरिया, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 21 मई 2018

क्रमांक-3868-भू-अर्जन.-2018.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र० 1 में ब्यावरा - भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना "ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 के उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवर्तयवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची(1)

ग्राम सोनकच्छ		तहसील नरसिंहगढ़	
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा है०	
		कुल भूमि	प्रभावित रकबा
निजी	भूमि	50.716हे०	18.091हे०

अनुसूची (2)

स०क०	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं०	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि
				योग
1	2	3	4	7
1	रामनारायण शंभूलाल रतनलाल वनेसिंह पिता हजारी लाल	153	0.810	0.035
		160	0.038	0.038
2	गीताबाई पुत्री हजारीलाल ही ५० बड़ीलाल मदनलाल पिता किशन अनार बाई बेवा पुत्री किशन गुलाब बाई बेवा किशन ही ५० चमार	161	0.443	0.335

3	कंवर लाल पिता अमरा राम चरण पिता वंशी लीला बाई पुत्री हीरा बादाम बाई बेवा हीरा चमार	154/1	0.194	0.150
		162/1	0.379	0.300
4	रामप्रसाद पिता जगन्नाथ दांगी	154/2	0.413	0.250
		180	0.417	0.030
		181/2	0.101	0.025
5	रामचरण पिता बंशीलाल चमार	162/2	0.253	0.253
6	श्याम लाल पिता मंशाराम दांगी	181/1	0.519	0.200
7	मंशाराम पिता देवाजी दांगी	159/5	0.447	0.200
		182/1	1.000	0.900
		186/1	0.084	0.024
		188/2	0.033	0.033
8	शिव नारायण पिता देवाजी दांगी	159/4	0.448	0.020
		182/2	0.644	0.600
		186/3	0.084	0.050
		187/1	0.367	0.300
		188/3	0.033	0.033
		188/4	0.134	0.070
9	जगन्नाथ सिंह पिता देवाजी दांगी	186/2	0.287	0.065
		187/2	1.050	0.360
		188/1	0.104	0.104
10	धन सिंह पिता रंगलाल जाति दांगी	389/1/1	0.213	0.025
		537/1	1.356	0.185
		389/2/2/12	0.120	0.080
		537/3	0.489	0.185
		528/5	0.126	0.060
11	कैलाश नारायण पिता रंगलाल जाति दांगी	389/2/2/11	0.350	0.065

12	लक्ष्मीनारायण पिता रंगलाल जाति दांगी	381/1/1	0.320	0.110
13	छवीलाल पिता चंपालाल जाति दांगी	528/6	0.126	0.020
14	मीना पत्नी भूपेंद्र जाती अहीर	376/1/1	0.397	0.227
15	रिंकी ठाकुर पिता रतन सिंह अहीर	376/1/2	0.396	0.226
16	भदरलाल पिता कालूराम दागी	376/2/1	0.250	0.110
17	गोकुल प्रसाद पिता कालूराम दागी	376/2/2	0.250	0.135
18	दुलीचंद पिता कालूराम दागी	376/2/3	0.250	0.135
19	ब्रज मोहन राजेश कुमार पिता नौरंगी लाल कायस्त	377/1/1	0.303	0.060
20	रतन बाई नौरंगी लाल कायस्त	377/2	1.265	0.320
21	उमराव बाई पति शिवनारायण जाति दांगी	378/1/2	0.190	0.190
		379/2/1	0.058	0.040
		382/1/2	0.025	0.025
22	देवराज नामाता .प .पिता रामप्रसाद सा .बा . मेवाबाई पत्नी रामप्रसाद जाती दागी	382/1/1	0.266	0.150
23	राम प्रसाद पिता नंदराम जाति दांगी	382/2	0.291	0.010
		379/1	0.202	0.150
24	भूरी बाई पति छवि लाल जाति दांगी	379/2/2	0.132	0.020
25	शिवनारायण पिता कालूराम मेवाबाई प्रेम बाई पुत्री कालूराम कस्तूरबाई बेवा कालूराम दागी	379/4	0.481	0.215
26	गोकुल प्रसाद पिता हजारी लाल दागी	529/1	0.750	0.275
27	रमेश चंद पिता हजारी लाल जाति दांगी	529/2	0.755	0.275
		530/3/2	0.448	0.110
28	तुलसीबाई पति गोकुल प्रसाद दागी	530/3/1	0.754	0.200
29	जयराम पिता श्री लाल दागी	530/2/1	0.922	0.345
30	अयोध्या बाई पिता गोपी लाल दागी	530/2/2	1.012	0.253

31	राकेश पिता गुलाब सिंह दांगी	531/1	0.339	0.139
32	राकेश पिता गुलाब सिंह दांगी	533/2	0.506	0.320
33	नरेन्द्र सिंह पिता गुलाब सिंह दांगी	533/1	0.506	0.115
34	रामप्यारीबाई पिता रामरतन दागी रामनारायण पुरसोत्तम बाबूलाल पिता रामनारायण गायत्री बाई सावित्री बाई पिता रामनारायण गोकलाबाई बेवा रामनारायण दागी	533/3	0.468	0.130
		537/2	0.589	0.230
		558	0.797	0.050
35	मांगीलाल पिता कानू दागी	540	2.226	0.180
36	विनोद कुमार पिता रंगलाल गुलकंद अनीता पिता रंगलाल केसरबाई बेवा रंगलाल दागी	553	0.405	0.215
37	जवाहरलाल पिता शम्भुलाल गीताबाई पिता शम्भुलाल दागी	554	0.063	0.013
		555	0.190	0.030
38	चंदरलाल पिता बैजनाथ दागी	556/1	0.379	0.240
39	ईशर लाल पिता बैजनाथ जाति दांगी	556/2	0.380	0.080
40	छबिलाल पिता रामनाराय कमलाबाई बेवा रामनारायण दागी	549/1	0.638	0.020
41	रतनलाल पिता गुलाब दागी	549/2	0.638	0.050
42	मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय राजगढ़	593	1.354	0.600
43	रतनलाल पिता गंगाधर दागी	594	0.101	0.051
44	दुलीचंद पिता गंगाधर दागी	603/2	0.087	0.040
45	मदनलाल पिता गोपीलाल दागी	603/3	0.172	0.150
46	मांगीलाल पिता जयराम दागी	603/4	0.173	0.173
47	भवरलाल पिता देवाजी दागी	600/1	0.063	0.033
48	रामचरण पिता उकार सुन्दर बाई उकार जाती दागी	600/2	0.063	0.033

		602/3	0.240	0.220
49	बापूलाल पिता देवा जाती दागी	602/1	0.155	0.055
50	भवरलाल पिता देवा दागी	602/2	0.200	0.200
51	सौरभ बाई पिता सालगराम दागी	650	1.505	0.505
52	देवा पिता नाथ हि0 25 पैसे भूली बाई बैवा मांगीलाल कृष्णा बाई ललता बाई ,ना.बा0. पिता मांगीलाल स0प0 माता भूली बाई , सौरभ बाई बैवा मांगीलाल जितेन्द्र, विष्णु प्रसाद ,सुनिता बाई ,गुडडीबाई, ना0बा0पिता मांगीलाल, स0प0 माता सौरभ बाई हि0 25 पैसे ,धीसालाल ,मोतीलाल, रामनारायण पिता नरसंग लाल ,हि0 50 पैसे जाति दागी	652	0.278	0.100
53	देवराज पिता मन्नु लाल जाती दागी	665	0.581	0.210
54	अमरसिंह रामचरण शिवप्रसाद हरी प्रसाद भानु प्रसाद पिता मोतीलाल ही ३४ पैसा आत्माराम पिता छोटेराम ही ३३ पैसे नन्नु लाल पिता हरिराम ही ३३ पैसे जाती देशवाली	664	0.013	0.013
55	दुलीचंद पिता गंगाधर दागी	663/2	0.080	0.010
56	मदनलाल पिता गोपीलाल दागी	663/3	0.161	0.110
57	जयराम पिता गोपीलाल दागी	663/4	0.160	0.055
58	हजारी लाल पिता रामा दागी	662	0.961	0.641
59	दुलीचंद पिता गंगाधर खाती	661/1	0.139	0.065
60	मदनलाल पिता गोपीलाल दागी	661/2	0.342	0.040
61	मुन्नालाल पिता नारान दागी	656/1	0.904	0.250
62	रंगलाल पिता नारान दागी	656/2	0.495	0.250
63	स्कमाबाई बेवा प्रभुलाल दागी	725/1/2	0.308	0.190
64	शिवचरण पिता लक्ष्मी नारायण दागी	725/1/1	0.126	0.101
65	कन्हैयालाल, शिवचरण पिता लक्ष्मीनारायण कौशल्याबाई सुशीलाबाई पिता लक्ष्मीनारायण रोडी बाई बेवा लक्ष्मीनारायण जाती दागी	725/2	0.266	0.253

66	दौलतराम पिता मांगीलाल दागी	725/3	0.388	0.195
67	आत्माराम पिता छोटाराम संपत्त बाई बैवा छोटाराम जाति देशवाली	726	0.493	0.090
68	शिवनारायण दयाराम पिता मोहनलाल ,जमनीबाई, गंगाबाई, रामकलांगबाई ,पुत्रीयो मोहनलाल जाति दांगी हि0समान्य	727/1	0.683	0.035
69	राजराम पिता मांगीलाल दांगी	724	1.556	0.250
70	भानुप्रकाश पिता मोती लाल देशवाली	710/2	0.284	0.015
71	आत्माराम पिता जगन्नाथ देशवाली	718	0.670	0.310
72	धीसीबाई पति आत्माराम देशवाली	717	0.961	0.475
73	सोहन सिंह पिता जगन्नाथ सिंह देशवाली	716/2	1.492	0.510
74	कृष्णवल्लभ पिता रतनलाल देशवाली	711	1.404	0.055
75	लोकेन्द्र पिता मदनलाल कलाल	712/1	1.063	0.420
		708/1/1	2.690	0.525
		708/2/1	1.202	0.475
	कुल योग कित्ता	75	50.716	18.091

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 4415-अ-82-2017-2018

राजगढ़, दिनांक 07 जून 2018

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की ग्राम परसुलिया के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम परसुलिया

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	रोड़िया पिता धूल्या, बंशी पिता गोप्या कैशीबाई बेवा नरवदिया जाति धोबी नि.ग्राम भू-स्वामी	329	0.110	0.065
	योग	1	0.110	0.065
2	प्रेमसिंह, नारायणसिंह, निहालसिंह पिता रामनाथसिंह, लक्ष्मणसिंह पिता पदमसिंह हि.60 पैसे, भंवरसिंह, कृष्णपालसिंह, गणपतसिंह, बनेसिंह पिता मोकमसिंह, मु.गोन्दकुंवर बैवा मोकमसिंह, रघुवीरसिंह, जसरथसिंह, दयालकुंवरबाई, भंवरकुंवरबाई पिता अर्जुनसिंह, पूजाबाई, कविताबाई, सोहनसिंह पिता प्रभूनाथसिंह, मनुबाई बैवा प्रभूनाथसिंह, प्रेमकुंवरबाई पिता भीमसिंह हि.34 पैसे जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	361 364	0.278 4.148	0.038 0.748
	योग	2	4.426	0.786
3	मोजीलाल पिता रतिराम जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	405	0.240	0.052
	योग	1	0.240	0.052
4	रामनारायण पिता रतिराम जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	369/1 369/2 369/3	0.546 0.545 0.546	0.386 0.290 0.346
	योग	3	1.637	1.022
5	चुन्नीलाल पिता रतिराम जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	369/4	0.537	0.537
	योग	1	0.537	0.537
6	जगदीश, रामचन्द्र, अयोध्याबाई, रामकलाबाई पिता गंगाराम, भंवरीबाई बैवा गंगाराम जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	371	1.379	1.379
	योग	1	1.379	1.379
7	लक्ष्मीनारायण, जवाहरलाल पिता उम्मेदराम, भूलीबाई, धापूबाई, कमलाबाई, रतनबाई, भंवरीबाई पिता उम्मेदराम जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	372 373 374	1.291 0.202 0.670	1.291 0.202 0.670
	योग	3	2.163	2.163

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
8	केसरसिंह पिता रतनसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	375	0.696	0.556
		378	1.113	0.152
	योग	3	1.809	0.708
9	रामचन्द्रर पिता मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	864/535	0.885	0.885
	योग	1	0.885	0.885
10	सूरजसिंह, कमलसिंह, गजराजसिंह पिता शेरसिंह मु. उमरावबाई बेवा शेरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	630	0.151	0.151
		749/2	0.190	0.190
	योग	2	0.341	0.341
11	बदरुदीन पिता जुम्माखां जाति मुसलमान नि.ग्राम भू-स्वामी	631	0.240	0.240
	योग	1	0.240	0.240
12	नारायणसिंह पिता रामनाथसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी	632	0.013	0.013
		633/1	0.177	0.177
		637/1	0.169	0.106
		638	0.240	0.240
	योग	4	0.599	0.536
13	श्रीमति शान्ति शाक्यवार पति डालचन्द जाति शाक्यवार पता निवासी राजगढ़ रोड, कोली मोहल्ला, ब्यावरा भू-स्वामी	624/1/1/2	0.506	0.506
		624/1/1/4/1	0.037	0.037
	योग	2	0.543	0.543
14	अमृतलाल पिता चम्पालाल जाति दांगी नि.ग्राम परसुलिया	624/2/1/1	0.161	0.161
	योग	1	0.161	0.161
15	दोलतराम पिता गोपीलाल जाति दांगी नि.ग्राम परसुलिया	624/2/2	0.047	0.047
		626/2/1	0.054	0.054
		627/2	0.506	0.506
		552/4	1.279	0.800
	योग	4	1.886	1.407
16	शफीक खाँ पिता नत्थेशाह, असगर पिता जहाँगीर खाँ मु. जुम्माबाई बेवा नत्थेशाह जाति मुसलमान नि.ग्राम भू-स्वामी	626/1/1, 628/1/1	0.068	0.068
	योग	1	0.068	0.068
17	रमजानी पिता अर्जुनशाह मु. शकीलाबाई बेवा अर्जुनशाह जाति फकीर नि.ग्राम परसुलिया	627/1	0.506	0.506
	योग	1	0.506	0.506
18	भंवरसिंह पिता मोकमसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम परसुलिया	629/1/1	0.156	0.156
		643/1	0.329	0.329
	योग	2	0.485	0.485

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
19	कृष्णपालसिंह पिता मोकमसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम परसुलिया	629/1/2	0.110	0.110
		629/2	0.202	0.202
		643/2	0.657	0.657
	योग	3	0.969	0.969
20	गेन्दकुंवर बेवा मोकमसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम परसुलिया	643/3	0.013	0.013
		योग	1	0.013
21	लतीफखां, मोहम्मदखां, हमीदखां पिता इनायतखां, सुबानीबाई बेवा इनायतखां जाति फकीर नि.ग्राम परसुलिया	642/1	0.202	0.202
		योग	1	0.202
22	गायत्रीबाई पति कन्हैयालाल जाति दांगी नि.ग्राम परसुलिया	642/2	0.203	0.202
		योग	1	0.203
23	चम्पालाल पिता गोपीलाल जाति दांगी नि.ग्राम परसुलिया	639/2/2	0.443	0.203
		552/5	1.280	0.800
		योग	2	1.723
24	बहादुरसिंह पिता इन्दरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम परसुलिया	544	0.657	0.177
		833/543	0.051	0.031
		योग	2	0.708
25	शिक्षा विभाग बुनयादी शाला भवन ग्राम परसुलिया भू-स्वामी	547	0.114	0.114
		548	0.215	0.215
		549	0.228	0.228
		550/2	0.708	0.708
	योग	4	1.265	1.265
26	ईश्वरीप्रसाद, प्रेमनारायण, हरिनारायण पिता देवचन्द जाति दांगी नि.ग्राम परसुलिया	550/1/1/1	0.602	0.602
		योग	1	0.602
27	शिवनारायण, दूलीचन्द पिता हरलाल जाति दांगी नि.ग्राम परसुलिया	550/1/1/2	0.602	0.602
		योग	1	0.602
28	रामेश्वर, शिवनारायण, ओमप्रकाश, रामचन्द्र, प्रेमनारायण पिता मांगीलाल, उमरावबाई बेवा मांगीलाल, प्रेमबाई पुत्री मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्राम परसुलिया	552/1	0.853	0.600
		योग	1	0.853
29	रामबक्ष पिता चैनाजी जाति दांगी नि.ग्राम परसुलिया	552/2	0.853	0.600
		योग	1	0.853

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
30	नरसंग पिता चैनाजी जाति दांगी नि.ग्राम परसुलिया	552/3	0.853	0.600
	योग	1	0.853	0.600
31	शिवनारायण पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्राम परसुलिया	552/6	2.559	2.000
		553/2/6	0.548	0.248
	योग	2	3.107	2.248
32	भंवरलाल पिता रेवाराम, चन्दाबाई पत्नि भंवरलाल जाति चमार नि.ग्राम भं-स्वामी	553/1/11	0.700	0.400
	योग	1	0.700	0.400
33	बक्शु पिता शंकर जाति चमार नि.ग्राम परसुलिया	553/1/6	0.900	0.200
	योग	1	0.900	0.200
34	मदन पिता गोप्या जाति चमार नि.ग्राम परसुलिया	553/1/7	0.900	0.300
	योग	1	0.900	0.300
35	नारायण पिता रेवाराम, भंवीबाई पति नारायण जाति चमार नि.ग्राम परसुलिया	553/1/53	0.900	0.700
	योग	1	0.900	0.700
36	खुशीलाल पिता देवीराम जाति चमार नि.ग्राम परसुलिया	553/1/5	0.900	0.190
	योग	1	0.900	0.190
37	कमल पिता कन्हैयालाल, संतोषबाई पति कमल जाति चमार नि.ग्राम परसुलिया	553/1/14	0.600	0.150
	योग	1	0.600	0.150
38	शिवजी पिता गोपीलाल जाति चमार नि.ग्राम परसुलिया	553/1/19	0.700	0.300
	योग	1	0.700	0.300
39	सीताराम पिता कालूराम, अयोध्याबाई पति सीताराम जाति बेलदार नि.ग्राम दूधी	553/1/52	1.000	0.400
	योग	1	1.000	0.400
40	रूपनारायण पिता हरलाल, सियारानी पति रूपनारायण जाति कंजर नि.ग्राम दूधी	553/1/41	0.600	0.200
	योग	1	0.600	0.200
41	मलखानसिंह, बृजेश पिता लक्ष्मीनारायण मु.रामवतीबाई बैवा लक्ष्मीनारायण, त्रिपालसिंह, जंगलसिंह, राजू पिता प्रेमसिंह, सौरमबाई बैवा प्रेमसिंह जाति भानमता नि.ग्राम दूधी	553/5	1.012	1.012
		553/9	0.759	0.759
	योग	2	1.771	1.771

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
42	अकबरअली, इन्दूशाह पिता गफूरशाह, भूरीबाई बेवा गफूरशाह जाति फकीर नि.ग्राम ब्यावरा भू-स्वामी	553/8	0.506	0.506
	योग	1	0.506	0.506
43	शिवनारायण, गीताबाई पिता पून्या, राजू बलराम, कुष्णाबाई, हेमलताबाई पिता जगदीश, जसोदाबाई बेवा जगदीश जाति कलाल नि. ग्राम परसुलिया	555	2.187	1.453
		556	1.025	0.481
		557/1	1.197	1.020
	योग	3	4.409	2.954
44	शफीक पिता नत्थेशाह, अख्तर पिता जहागीर, शहजादी पति शफीकखां जाति फकीर नि.ग्राम परसुलिया	559/1	1.594	1.329
	योग	1	1.594	1.329
	कुलयोग :-	71	45.448	30.398

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 4416-भू-अर्जन.-2018.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2017-2018 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की ग्राम शाहपुरा के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम शाहपुरा

स.क.	विवरण	अर्जनीय रकबा
(1)	(2)	(3)
1	शाहपुरा	70.229
	कुलयोग :-	70.229

-: अनुसूची (2) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम शाहपुरा

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	देवीलाल दत्तक पुत्र पन्नालाल जाति रूवाला नि. ग्राम	114	0.253	0.253
		121	0.316	0.316
		123	0.139	0.139
	योग :-	3	0.708	0.708
2	मोती पिता रामा जाति बेलदार	124/1	0.050	0.050
	योग :-	1	0.050	0.050
3	बद्रीलाल पिता बट्टूलाल जाति रूहैला पता नि. ग्राम	109/1/1	0.528	0.528
	योग :-	1	0.528	0.528
4	लक्ष्मीनारायण पिता बट्टूलाल जाति रूहैला पता नि. ग्राम	109/1/2	0.528	0.528
		235/2	0.158	0.158
	योग :-	2	0.686	0.686
5	देवीराम पिता जगन्नाथ जाति रूवाला	110/1	0.337	0.337
		116/1	0.046	0.046
		117/1	0.021	0.021
		118/2/1	0.085	0.085
	योग :-	4	0.489	0.489

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
6	रेवाराम पिता जगन्नाथ जाति रुवाला	110/2	0.337	0.337
		116/2	0.047	0.047
		117/2	0.021	0.021
		118/2/2	0.084	0.084
	योग :-	4	0.489	0.489
7	बलराम पिता जगन्नाथ जाति रुवाला	110/3	0.338	0.338
		116/3	0.046	0.046
		117/3	0.021	0.021
		118/2/3	0.084	0.084
	योग :-	4	0.489	0.489
8	रामप्रसाद हरि पिता धूलजी उमरावबाई बैवा धूलजी जाति बेलदार	111	0.114	0.114
		112	0.038	0.038
		182/2	0.253	0.253
		184/1	1.024	1.024
		191/2	0.841	0.841
	योग :-	5	2.270	2.270
9	दिनेश पिता करणसिंह जाति रुवाला नि.ग्राम	115	1.733	1.733
	योग :-	1	1.733	1.733
10	करणसिंह पिता बापूलाल जाति बेलदार नि.ग्राम	118/3/1	0.031	0.031
	योग :-	1	0.031	0.031
11	फूलसिंह पिता बापूलाल जाति बेलदार नि.ग्राम	118/3/2	0.032	0.032
		118/349/2/3	0.256	0.256
		181/1/4	0.236	0.236
	योग :-	3	0.524	0.524
12	सीताराम पिता बापूलाल जाति बेलदार नि.ग्राम	118/3/3	0.032	0.032
		118/4/2	0.104	0.104
		118/349/2/4	0.153	0.153
		181/1/5	0.237	0.237
	योग :-	4	0.526	0.526
13	राजूबाई पिता गोपीलाल कालूराम पिता प्रभुलाल जाति बेलदार नि. ग्राम	118/3/4	0.047	0.047
		181/1/1	0.354	0.354
	योग :-	2	0.401	0.401
14	राजूबाई पिता गोपीलाल, सतीश ना.बा. पिता रमेश सर. पर. माता दलीबाई बैवा रमेश जाति बेलदार नि. ग्राम	118/3/5	0.048	0.048
		181/1/2	0.354	0.354
	योग :-	2	0.402	0.402
15	रामप्रसाद, चंदरसिंह पिता धूलजी जाति बेलदार नि. ग्राम	118/4/1	0.200	0.200
	योग :-	1	0.200	0.200
16	शिवनारायण, भावसिंह, गोरीलाल, किशनलाल पिता जसा जाति बंजारा नि. ग्राम	118/347	0.468	0.468
		204	0.316	0.316
	योग :-	2	0.784	0.784

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
17	विजयसिंह पिता करण सिंह जाति रूवाला नि.ग्राम	119	0.506	0.506
		120	0.531	0.531
		122	0.379	0.379
	योग :-	3	1.416	1.416
18	प्रहलाद रोडीबाई आ किशन जाति बेलदार नि.ग्राम	124/2	0.025	0.025
	योग :-	1	0.025	0.025
19	लीलाबाई बेवा नारायण अमृत, पप्पू आ. नारायण जाति बेलदार नि.ग्राम	124/3	0.026	0.026
	योग :-	1	0.026	0.026
20	जितेन्द्र पिता रामबाबू जाति कंजर नि. ग्राम	181/1/3	0.236	0.236
	योग :-	1	0.236	0.236
21	रामप्रसाद पिता धुलिया जाति बेलदार नि.ग्राम	181/2	0.632	0.632
		250	0.164	0.164
		253	0.063	0.063
		266	0.101	0.101
	योग :-	4	0.960	0.960
22	रमेश पिता रामप्रसाद जाति बेलदार नि.ग्राम	182/1	0.291	0.291
		183	0.253	0.253
	योग :-	2	0.544	0.544
23	अयोध्याबाई पति भारतसिंह जाति बेलदार नि.ग्राम	184/2/1	0.283	0.283
	योग :-	1	0.283	0.283
24	चंदर पिता धूलजी नि.ग्राम	184/2/2	0.741	0.741
	योग :-	1	0.741	0.741
25	धर्मन्द्र, संतोष, चतरबाई, जमनाबाई ना.बा. पिता भारतसिंह सर. माता अयोध्याबाई पत्नि भारतसिंह मु० अयोध्याबाई पत्नि स्व. भारतसिंह, बापूलाल पिता नवल जाति बेलदार नि. ग्राम	185	0.481	0.481
	योग :-	1	0.481	0.481
26	मु. नानीबाई बेवा जगदीश, देवीलाल ना.बा. पि. जगदीश सरपस्त माता नानीबाई बेवा जगदीश जाति बेलदार नि. ग्राम	186/1	1.075	1.075
		186/2	0.051	0.051
	योग :-	2	1.126	1.126
27	काशीराम पिता बापूलाल जाति रूवाला नि. ग्राम	187	0.316	0.316
		188	1.770	1.770
		274	0.620	0.130
	योग :-	3	2.706	2.216
28	कल्याणसिंह पिता कशमीर जाति बेलदार नि. ग्राम	189/1	0.354	0.354
		190/1	0.095	0.095
	योग :-	2	0.449	0.449

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
29	हीरालाल पि भंवरलाल हि. 24 पैसे, करणसिंह, फूलसिंह, सीताराम पिता बापूलाल हि. 76 पैसे जाति बेलदार नि.ग्राम	189/2/1	0.080	0.080
		190/2	0.048	0.048
		206/2	0.256	0.256
	योग :-	3	0.384	0.384
30	सुगनबाई पत्नि नानजी जाति बेलदार नि.ग्राम	189/2/2	0.097	0.097
		206/3/1	0.152	0.152
		206/3/2	0.104	0.104
	योग :-	3	0.353	0.353
31	सरदारबाई पत्नि प्यारजी जाति रुवाला नि. ग्राम	189/3	0.177	0.177
		190/3	0.047	0.047
	योग :-	2	0.224	0.224
32	रघुनाथ पिता किशनलाल जाति बेलदार नि.ग्राम	191/1	0.841	0.841
	योग :-	1	0.841	0.841
33	मेहरबान पिता बद्रीलाल, प्रेमबाई बेवा बद्रीलाल जाति बेलदार नि.ग्राम	194/1	0.240	0.240
		195/3/1	0.040	0.040
		205/2	0.233	0.233
		205/12	0.039	0.039
	योग :-	4	0.552	0.552
34	शंकरलाल, भगवानसिंह पिता जगन्नाथ सावन ना.बा. पिता रामप्रसाद सर. माता भानुबाई बैवा रामप्रसाद, छमाबाई सम्पतबाई पिता जगन्नाथ जाति बेलदार नि.ग्राम (अहस्तांतरित)	194/2	0.240	0.240
		195/2	0.080	0.080
		200/1	0.316	0.316
	योग :-	3	0.636	0.636
35	शम्भूलाल पिता गोरीलाल जाति बेलदार नि.ग्राम	194/3	0.240	0.240
		195/3/2	0.040	0.040
		205/3	0.233	0.233
		205/10	0.039	0.039
	योग :-	4	0.552	0.552
36	भागमल पिता गोरीलाल जाति बेलदार नि.ग्राम	195/1	0.080	0.080
		200/2/2	0.120	0.120
		205/4	0.233	0.233
		205/11	0.039	0.039
	योग :-	4	0.472	0.472
37	मेहरबान सिंह पिता भेरु जाति बेलदार नि.ग्राम	196/1	0.259	0.259
		197/1/1	0.082	0.082
		203/1/1	0.168	0.168
	योग :-	3	0.509	0.509
38	कमलाबाई बैवा रामसिंह जाति बेलदार नि.ग्राम	196/2	0.260	0.260
		197/2	0.095	0.095
		198/2	0.354	0.354
		199/2	0.051	0.051
		236/2	0.139	0.139
	योग :-	5	0.899	0.899

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
39	सिद्धूलाल, हुकुमसिंह, मेहरबानसिंह पिता भेरू, कलाबाई बैवा भेरू जाति बेलदार नि.ग्राम	197/1/2	0.013	0.013
	योग :-	1	0.013	0.013
40	हुकुमसिंह पिता भेरू जाति बेलदार नि.ग्राम	198/1/1	0.253	0.253
		199/1	0.050	0.050
		203/1/2	0.142	0.142
	योग :-	3	0.445	0.445
41	रामप्रसाद, चंदरसिंह, हरिसिंह पिता धूलजी जाति बेलदार नि.ग्राम	198/1/2	0.100	0.100
		201/1/2	0.014	0.014
	योग :-	2	0.114	0.114
42	रंगलाल पिता गोरीलाल जाति बेलदार नि.ग्राम	200/2/1	0.120	0.120
		205/1	0.233	0.233
		205/8	0.039	0.039
	योग :-	3	0.392	0.392
43	मांगीलाल पिता गोरीलाल जाति बेलदार नि.ग्राम	201/1/1	0.044	0.044
		202/1	0.209	0.209
	योग :-	2	0.253	0.253
44	मदन पिता नंदराम जाति बेलदार नि.ग्राम	202/2	0.208	0.208
		203/2	0.310	0.310
	योग :-	2	0.518	0.518
45	हिंदुसिंह पिता गोरीलाल जाति बेलदार नि.ग्राम	205/5	0.233	0.233
		205/9	0.038	0.038
		245/1	0.051	0.051
	योग :-	3	0.322	0.322
46	रमेश दत्तक पुत्र बापूलाल मु0 हरकूबाई बैवा बापूलाल जाति बेलदार नि.ग्राम	205/6	0.233	0.233
		205/13	0.039	0.039
		245/2	0.050	0.050
	योग :-	3	0.322	0.322
47	शम्भूलाल, भागमल, बद्रीलाल, रंगलाल, हिंदुसिंह पिता गोरीलाल, भंवरीबाई बैवा गोरीलाल, रमेश दत्तक पुत्र बापूलाल, हरकूबाई बैवा बापूलाल जाति बेलदार नि.ग्राम	205/7	0.013	0.013
	योग :-	1	0.013	0.013
48	गंगाराम, मानसिंह, फतेहसिंह, नानजी पिता रामा जाति बेलदार नि.ग्राम	206/1/1	0.013	0.013
	योग :-	1	0.013	0.013
49	मानसिंह पिता रामा जाति बेलदार नि.ग्राम	206/1/2	0.125	0.125
	योग :-	1	0.125	0.125
50	नानजी पिता रामा जाति बेलदार नि.ग्राम	206/1/4	0.162	0.162
	योग :-	1	0.162	0.162

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
51	कैलाश, इंदरसिंह, बलराम, दयालसिंह पिता गंगाराम, हिम्मतबाई बेवा गंगाराम जाति बेलदार नि.ग्राम	206/1/3	0.101	0.101
	योग :-	1	0.101	0.101
52	फतेहसिंह पिता रामा जाति बेलदार नि.ग्राम	206/1/5	0.125	0.125
	योग :-	1	0.125	0.125
53	देव्या, गणपत पिता प्रेम, सुंदरबाई बेवा प्रेम जाति नट नि.ग्राम	207/1	0.246	0.246
		208/1/2	0.442	0.442
		221/1/1	0.512	0.512
		226/1/2	0.538	0.538
		228/1	0.310	0.310
	योग :-	5	2.048	2.048
54	रामसिंह पिता मदन जाति नट नि.ग्राम	207/2/1	0.082	0.082
		208/1/3/1	0.295	0.295
		221/1/2/1	0.171	0.171
		229/2/1	0.457	0.457
	योग :-	4	1.005	1.005
55	मांगीलाल पिता मदन जाति नट नि.ग्राम	207/2/2	0.082	0.082
		208/1/3/2/2	0.042	0.042
		221/1/2/2/1	0.110	0.110
	योग :-	3	0.234	0.234
56	अमृत पिता मदन जाति नट नि.ग्राम	207/2/3	0.083	0.083
		208/1/3/3/2	0.042	0.042
		221/1/2/3	0.171	0.171
		226/1/1/1	0.445	0.445
		227/2	0.013	0.013
	योग :-	5	0.754	0.754
57	कूलूराम पिता प्रेमा जाति नट नि.ग्राम	208/1/1	0.443	0.443
		227/1	0.012	0.012
		229/1	0.499	0.499
	योग :-	3	0.954	0.954
58	रामसिंह, रामचरण, सुरेश, ओमप्रकाश नेनसिंह पिता बद्रीलाल, गंगाबाई बेवा बद्रीलाल जाति गुर्जर नि.ग्राम	208/2	0.721	0.721
		220	0.164	0.164
		222	1.720	1.700
		221/2	0.822	0.822
		223	0.557	0.557
		224	0.215	0.215
		225	0.164	0.164
		259/1	0.442	0.442
		260/1	0.119	0.119
		261/1	0.355	0.355
		262/1	0.570	0.570
		270/1/1	0.095	0.095
	योग :-	13	6.703	5.924

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
59	गुलाबबाई पत्नि शिवनारायण जाति रूहेला नि.ग्राम	221/1/2/2/2	0.061	0.061
		226/1/1/2	0.092	0.092
		228/2	0.310	0.310
		229/2/2	0.043	0.043
	योग :-	4	0.506	0.506
60	बाबूलाल, कमलसिंह, रामप्रसाद श्याम पिता जगन्नाथ गुजर नि.ग्राम	226/2	0.316	0.316
		252/1/1	0.164	0.164
		252/1/2	0.164	0.164
		252/2/2	0.254	0.254
		261/2	0.632	0.632
		262/2	0.632	0.632
		280	0.822	0.040
	योग :-	7	2.984	2.202
61	देवबाई पिता सालगराम जाति रूवाला नि.ग्राम	230	0.190	0.190
		231	2.086	2.086
	योग :-	2	2.276	2.276
62	मांगीलाल दत्तक पुत्र गोरीलाल हि. 0.50 पैसे नंदराम पि. हरलाल 0.50 पैसे जाति बेलदार नि.ग्राम	234	0.468	0.468
		243	0.759	0.759
		247	0.848	0.848
		192	0.721	0.721
		193	0.329	0.329
	योग :-	5	3.125	3.125
63	बद्रीलाल पिता बट्टूलाल जाति रूवाला नि.ग्राम	235/1	0.158	0.158
	योग :-	1	0.158	0.158
64	रामप्रसाद, चंदरसिंह हरिसिंह पिता धूलजी जाति बेलदार नि.ग्राम	236/1	0.139	0.139
	योग :-	1	0.139	0.139
65	शिवचरण, भारतसिंह, इंदरसिंह पिता शम्भूलाल जाति रूवाला नि.ग्राम	351/282	0.468	0.468
		240	0.683	0.683
		267	0.921	0.921
		268	0.974	0.974
		269	0.089	0.089
	योग :-	5	3.135	3.135
66	अमरसिंह, बद्री, जगदीश द्रोपती, कला पिता भगा जाति बंजारा नि.ग्राम	242	0.569	0.569
	योग :-	1	0.569	0.569
67	नानू बेवा बापूलाल रतिराम पिता बापूलाल जाति रूवाला नि.ग्राम	244	1.733	1.733
	योग :-	1	1.733	1.733

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
68	मोहनसिंह पिता मनोहरसिंह जाति कंजर नि.ग्राम	246/1	0.202	0.202
		248/1	0.045	0.045
		254/1	0.835	0.835
	योग :-	3	1.082	1.082
69	रामनरेश पिता मनोहरसिंह जाति कंजर नि.ग्राम	246/2	0.203	0.203
		248/2	0.044	0.044
		254/2	0.835	0.835
	योग :-	3	1.082	1.082
70	हेमराज पिता बद्रीलाल मु० सौरमबाई बैवा बद्रीलाल जाति रुवाला नि.ग्राम	249/1/1	0.620	0.620
	योग :-	1	0.620	0.620
71	अमृतलाल पिता बंशीलाल जाति रुवाला नि.ग्राम	249/2	0.202	0.202
	योग :-	1	0.202	0.202
72	बहूलाल, जगन्नाथ, चैनसिंह पिता किशनलाल मु० अमरू बेवा किशनलाल जाति रुवाला नि.ग्राम पनाली	250/282	0.696	0.556
	योग :-	1	0.696	0.556
73	शम्भूलाल पिता मेहताब जाति रुवाला नि.ग्राम पनाली	255	0.089	0.089
		256	0.316	0.316
		257	0.354	0.354
	योग :-	3	0.759	0.759
74	छोगमल, विजयसिंह, हेमराज पिता मुन्नालाल जाति रुवाला नि.ग्राम पनाली	258	0.228	0.228
	योग :-	1	0.228	0.228
75	चंदरसिंह पिता रेवाराम जाति रुवाला नि. ग्राम पनाली	263/1/1	0.142	0.142
		264/1/1	0.199	0.199
	योग :-	2	0.341	0.341
76	कालूराम पिता रेवाराम जाति रुवाला नि. ग्राम पनाली	263/1/2	0.142	0.142
		264/1/2	0.200	0.200
	योग :-	2	0.342	0.342
77	लक्ष्मीचंद पिता बंशीलाल जाति रुवाला नि. ग्राम पनाली	263/2	0.285	0.285
		264/2	0.398	0.398
	योग :-	2	0.683	0.683
78	रामबाबू, बलराम, श्यामबाई कौशल्याबाई पिता अमृतलाल मु० कमलाबाई बेवा अमृतलाल जगदीश पिता भागमल जाति रुवाला नि.ग्राम पनाली	265/1	0.709	0.709
		283	1.138	1.138
		284	0.177	0.177
	योग :-	3	2.024	2.024
79	सीताराम, बनेसिंह, करणसिंह पिता गंगाधर, मायाबाई बेवा गंगाधर जाति गुर्जर	271	0.164	0.164
		272	1.833	1.833
		273	0.304	0.304
		270/2/1	0.172	0.172
	योग :-	4	2.473	2.473

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
80	बापूलाल पिता भंवरजी जाति रूवाला नि. ग्राम आशापुरा	285	0.051	0.030
		287/1	0.290	0.140
		286	0.405	0.100
	योग :-	3	0.746	0.270
81	बद्रीलाल पिता भंवरजी जाति रूवाला नि. ग्राम आशापुरा	287/2	0.444	0.300
		295/1	0.025	0.025
		296/1	0.108	0.050
	योग :-	3	0.577	0.375
82	रमेश पिता किशनलाल जाति रूवाला नि. ग्राम आशापुरा	288/1	0.790	0.790
		289/1	0.285	0.285
	योग :-	2	1.075	1.075
83	गोरीलाल पिता घीसालाल जाति रूवाला नि. ग्राम आशापुरा	288/2	0.766	0.766
		289/2	0.102	0.102
		293/1	0.030	0.030
		294	0.177	0.177
	योग :-	4	1.075	1.075
84	बापूलाल पिता घीसालाल जाति रूवाला नि. ग्राम आशापुरा	289/3	0.144	0.144
		292/1	0.986	0.946
		293/2	0.109	0.109
	योग :-	3	1.239	1.199
85	रमेश पिता भंवरजी जाति रूवाला नि. ग्राम आशापुरा	295/2	0.013	0.013
		296/2	0.485	0.285
	योग :-	2	0.498	0.298
86	रामसिंह पिता बद्रीलाल जाति गुर्जर नि. ग्राम	209/2/2	0.696	0.696
		209/2/3	0.632	0.632
	योग :-	2	1.328	1.328
87	रामलाल पिता नन्दराम, प्रभुबाई बेवा नन्दराम जाति चमार नि. ग्राम बर्गिया	291/1/1	0.740	0.740
	योग :-	1	0.740	0.740
88	चरणसिंह पिता कालूराम जाति नट नि.ग्राम भू-स्वामी	208/1/3/2/1	0.253	0.253
	योग :-	1	0.253	0.253
89	अशोक पिता रूपासिंह जाति नट नि.ग्राम भू-स्वामी	208/1/3/3/1	0.253	0.253
	योग :-	1	0.253	0.253
90	जगन्नाथ पिता नन्दराम जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	109/2	1.056	1.056
	योग :-	1	1.056	1.056
	कुल योग :-	228	73.338	70.229

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 4498

राजगढ़ (ब्यावरा), दिनांक 8 जून 2018

क्रमांक /भू-अर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/2018-2019 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम संजयग्राम के लिए डूब क्षेत्र में वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम संजयग्राम

स.क्र.	विवरण	अर्जनीय रकबा
(1)	(2)	(3)
1	संजयग्राम	59.243
कुलयोग :-		59.243

—: अनुसूची (2) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम संजयग्राम

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	कलाबाई पत्नि नवलसिंह जाति कंजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	2	0.759	0.759 /
	योग:-	1	0.759	0.759 /
2	आसमानबाई बेवा रामगोपाल जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3	1.404	1.404 /
	योग:-	1	1.404	1.404 /
3	शिवनारायण, गीताबाई पिता पून्या राजू, बलराम, कृष्णाबाई, हेमलताबाई पिता जगदीश, जसोदी बेवा जगदीश जाति कलाल निवासी परसुलिया ग्राम भूमि स्वामी	4	0.316	0.316 /
		6/1	0.103	0.103 /
	योग:-	2	0.419	0.419 /
4	लक्ष्मीनारायण, जवाहरलाल, भूलीबाई धापूबाई, कमलाबाई, रतनबाई, भवरीबाई पिता उमौद जाति दांगी निवासी परसुलिया ग्राम भूमि स्वामी	8	0.127	0.127 /
		10	0.683	0.683 /
	योग:-	2	0.810	0.810 /
5	देवा पिता धन्ना जाति बेलदार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	11/1	0.532	0.532 /
		48	0.759	0.759 /
		298/1	0.214	0.214 /
		326/2	0.070	0.070 /
	योग:-	4	1.575	1.575 /

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
6	धमेन्द्र, नौसिंह, सोनू अमन पिता बलवतसिंह जाति कंजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	13/1	0.244	0.244 ✓
		18/1	0.246	0.246 ✓
	योग:-	2	0.490	0.490 ✓
7	रामचंद्र पिता मांगीलाल जाति दांगी निवासी परसुलिया ग्राम भूमि स्वामी	14/1	0.113	0.113 ✓
		योग:-	1	0.113
8	चंदूबाई बेवा महेलाद जाति दांगी निवासी परसुलिया ग्राम भूमि स्वामी	15	0.139	0.139 ✓
		17	0.089	0.089 ✓
	योग:-	2	0.228	0.228 ✓
9	राधेश्याम पिता अजबसिंह जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	16	0.480	0.480 ✓
		50	0.437	0.437 ✓
		66	0.051	0.051 ✓
		68	0.039	0.039 ✓
		69	0.075	0.075 ✓
		72	0.422	0.422 ✓
		73	0.253	0.253 ✓
	योग:-	7	1.757	1.757
10	नन्द कुंवर बेवा भंवरसिंह, तंवरलाल, बेबी, पिकी पिता भंवरसिंह, हरिसिंह, प्रेमसिंह, रघुवीरसिंह पिता कुमेरसिंह मु. नानीबाई बेवा कुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी परसुलिया ग्राम भूमि स्वामी	19/1	0.567	0.567 ✓
		योग:-	1	0.567
11	कोमलबाई पति औतारसिंह जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	22/1	0.060	0.060 ✓
		24	0.217	0.217 ✓
	योग:-	2	0.277	0.277
12	कालूराम पिता बेगमलाल जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	25	0.566	0.566 ✓
		29	0.600	0.600 ✓
		32	0.621	0.621 ✓
		34/1	0.214	0.214 ✓
		42	0.316	0.316 ✓
	योग:-	5	2.317	2.317
13	भूरा उर्फ सुरेन्द्रपालसिंह, पप्पू पिता लाखनसिंह, अमरतोबाई पिता लाखनसिंह जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	26	0.376	0.376 ✓
		49	0.466	0.466 ✓
		65	0.026	0.026 ✓
		67	0.221	0.221 ✓
		71	0.455	0.455 ✓
		74	0.253	0.253 ✓
	योग:-	6	1.797	1.797

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	जंगलसिंह 2	3	4	5
14	त्रिपालसिंह, (जंगलसिंह) राजूसिंह पिता प्रेमसिंह, सोरमबाई बेवा प्रेमसिंह जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	27	1.122	1.122 ✓
	योग:-	1	1.122	1.122
15	रामेश्वर, शिवनारायण, ओमप्रकाश, रामचन्द्र, प्रेमनारायण, प्रेमबाई, पिता मांगीलाल, उमराबाई बेवा मांगीलाल नरसंग पिता चेना जाति दांगी निवासी परसुलिया ग्राम भूमि स्वामी	28	0.089	0.089 ✓
		46	2.266	2.266 ✓
	योग:-	2	2.355	2.355
16	शिवसिंह, कृष्णाबाई पिता नरमसिंह, सजनबाई बेवा नरमसिंह जाति राजपूत निवासी परसुलिया ग्राम भूमि स्वामी	31	0.945	0.945 ✓
		35/1	0.170	0.170 ✓
	योग:-	2	1.115	1.115
17	गुलाबसिंह, कालूराम, सीताराम, कृष्णा पिता बेगमसिंह जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	53	1.000	1.000 ✓
		54	0.632	0.632 ✓
		55	2.162	2.162 ✓
		58/1	0.073	0.073 ✓
		85	0.188	0.188 ✓
	योग:-	5	4.055	4.055
18	मलखानसिंह, सतनाम पिता बृजेश, हेमाबाई, बेवा बृजेश, रामवतीबाई बेवा लक्ष्मीनारायण त्रिपालसिंह, जंगलसिंह, राजूसिंह पिता प्रेमसिंह, सोरमबाई बेवा प्रेमसिंह जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	43	0.569	0.569 ✓
		44	0.400	0.400 ✓
		51	0.043	0.043 ✓
	योग:-	3	1.012	1.012
19	बलवंतसिंह पिता अजबसिंह जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	45	0.737	0.737 ✓
		70	0.476	0.476 ✓
		75	0.253	0.253 ✓
		76	0.432	0.432 ✓
	योग:-	4	1.898	1.898
20	रामगोपाल पिता भोला जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	47	1.985	1.985 ✓
	योग:-	1	1.985	1.985
21	सीताराम पिता बेगमलाल जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	30	0.708	0.708 ✓
		52	0.126	0.126 ✓
	योग:-	2	0.834	0.834
22	भगवानसिंह, मनोहर पिता बलगिया हि. 66 पैसे, संतोष, बालकराम, अमितकुमार, अक्षयकुमार, विनोदकुमार, पिता लक्ष्मण, पिकारोबाई बेवा लक्ष्मण हि. 34पैसे जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	89	0.051	0.051 ;
	योग:-	1	0.051	0.051
23	अनारोबाई बेवा घारासिंह, उर्मिलाबाई बेवा बदनसिंह, मुकेश पिता केशरसिंह, फराराबाई बेवा केशरसिंह जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	90	0.190	0.190 ✓
		94/1	0.332	0.332 ✓
	योग:-	2	0.522	0.522

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
24	मंवरिया पिता अलपतिया जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	91	0.278	0.278 ✓
	योग:-	1	0.278	0.278
25	लज्जाराम पिता फूलसिंह जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	92/1	0.118	0.118 ✓
	योग:-	1	0.118	0.118
26	सुशीलाबाई बेवा प्रयागसिंह भगवानसिंह पिता रामसिंह जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	93/1	0.500	0.500 ✓
	योग:-	1	0.500	0.500
27	ओमप्रकाश दत्तक पुत्र तोरणसिंह जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	125	0.030	0.030 ✓
		312	0.860	0.500 ✓
		137/1	0.401	0.401 ✓
	योग:-	3	1.291	0.931
28	शिवनारायण पिता उकार जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	97	0.210	0.210 ✓
		126	0.030	0.030 ✓
		135/1	0.945	0.945 ✓
		300	0.019	0.019 ✓
	योग:-	4	1.204	1.204
29	कैलाशनारायण पिता उकार जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	98	0.211	0.211 ✓
		127	0.030	0.030 ✓
		134/1	0.254	0.254 ✓
		136/1	0.199	0.199 ✓
		301	0.089	0.089 ✓
		302	0.443	0.443 ✓
	योग:-	6	1.226	1.226
30	नवलसिंह, पप्पू पिता कश्मीरसिंह जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	99	0.379	0.379 ✓
	योग:-	1	0.379	0.379
31	गोरीशंकर पिता लखतराज जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	100	0.316	0.316 ✓
	योग:-	1	0.316	0.316
32	गंगाराम, शम्भूलाल, मदनलाल, रामप्रसाद, पिता सालगराम जाति दांगी निवासी परसुलिया ग्राम भूमि स्वामी	101/1	0.295	0.295 ✓
	योग:-	1	0.295	0.295
33	रूपसिंह, जीवनसिंह, बलराम, नैनासिंह, हजारीलाल, धीरसिंह पिता नंदलाल, सुखदेव पिता भगवतसिंह जाति कंजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	101/2	0.303	0.303 ✓
	योग:-	1	0.303	0.303

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
34	गुलाब, गोरीशंकर, बनवारी, मंगल पिता तखतराम, रघुवीर पिता जागिरिया जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	104	0.021	0.021 ✓
	योग:-	1	0.021	0.021
35	अंगूरसिंह, लहरिया पिता गुलाबसिंह सुनील पिता रोशनलाल जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	303	1.156	1.040 ✓
	योग:-	1	1.156	1.040
36	मंगल पिता तखतसिंह जाति कंजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	317/1	0.011	0.011 ✓
		320/1	0.007	0.007 ✓
	योग:-	2	0.018	0.018
37	गुलाब पिता तखतसिंह जाति कंजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	318/1	0.007	0.007 ✓
		321	0.073	0.073 ✓
	योग:-	2	0.080	0.080
38	रघुवीरसिंह पिता जागिरिया जाति कंजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	319/1	0.007	0.007 ✓
		322	0.072	0.072 ✓
	योग:-	2	0.079	0.079
39	बनवारी, गोरीशंकर, मंगल पिता तखतसिंह जाति कंजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	343/1	0.063	0.063 ✓
	योग:-	1	0.063	0.063 ✓
40	बनवारी पिता तखतसिंह जाति कंजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	331	0.040	0.040 ✓
	योग:-	1	0.040	0.040
41	बलराम पिता जगन्नाथ जाति रुहला निवासी शाहपुरा ग्राम भूमि स्वामी	356	0.025	0.025 ✓
		358/1	0.003	0.003 ✓
		373/659	0.063	0.063 ✓
		422/3	0.099	0.099
		604/3	0.287	0.287
		630/2	0.266	0.266
	योग:-	6	0.743	0.743
42	रवाराम पिता जगन्नाथ जाति रुहला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	422/2	0.096	0.096 ✓
		604/2	0.287	0.287 ✓
		630/3	0.265	0.133 ✓
	योग:-	3	0.648	0.516

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
43	देवीराम पिता जगन्नाथ जाति रुवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	422/1 ✓	0.096	0.096 ✓
		604/1 ✓	0.134	0.134 ✓
		630/1 ✓	0.266	0.266 ✓
	योग:-	3	0.496	0.496
44	लीलाबाई पुत्री नंदराम जाति रुवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	364 ✓	0.607	0.607 ✓
	योग:-	1	0.607	0.607
45	भारतसिंह पिता प्रमूलाल जाति रुवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	405 ✓	0.197	0.197 ✓
	योग:-	1	0.197	0.197
46	द्रोपदीबाई पति भागमल जाति रुवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	371 ✓	0.091	0.091 ✓
		406 ✓	0.379	0.379 ✓
	योग:-	2	0.470	0.470
47	बद्रीलाल पिता बट्टूलाल जाति रुहेला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	373/1 ✓	0.899	0.899 ✓
		383/1 ✓	0.101	0.101 ✓
		604/4 ✓	0.152	0.152 ✓
		629/1 ✓	0.012	0.012 ✓
	योग:-	4	1.164	1.164
48	लक्ष्मीनारायण पिता बट्टूलाल जाति रुहेला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	373/2 ✓	0.847	0.847 ✓
		383/2 ✓	0.101	0.101 ✓
		628/2 ✓	0.050	0.050 ✓
		629/2 ✓	0.013	0.013 ✓
	योग:-	4	1.011	1.011
49	सेवाबाई पति मनोज जाति कंजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	375 ✓	0.278	0.278 ✓
	योग:-	1	0.278	0.278
50	बापूलाल, गंगाराम, पिता भागमल मु. अमरीबाई बेवा भागमल जाति रुवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	382/1 ✓	0.394	0.236 ✓
		384 ✓	0.214	0.214 ✓
		385 ✓	0.708	0.566 ✓
		386 ✓	0.063	0.063 ✓
		387 ✓	0.177	0.177 ✓
		389 ✓	0.051	0.051 ✓
	योग:-	6	1.607	1.307
51	देवकरण पिता बापूलाल जाति रुहेला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	388 ✓	1.670	1.670 ✓
	योग:-	1	1.670	1.670

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	धनुषाई 2	3	4	5
52	मांगीलाल, तुलसीबाई, धापुबाई सुजानबाई, पिता नानजी जाति रुवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	603 ✓	0.371	0.371 ✓
		605 ✓	0.046	0.046 ✓
		606 ✓	0.144	0.144 ✓
		609 ✓	0.198	0.198 ✓
		610 ✓	0.413	0.413 ✓
		618 ✓	0.047	0.047 ✓
		621 ✓	0.021	0.021 ✓
	योग:-	7	1.240	1.240
53	राधेश्याम पिता शिवनारायण जाति रुवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	602 ✓	0.371	0.371 ✓
	योग:-	1	0.371	0.371
54	लाडबाई पति सुरेशचन्द्र कौशल्याबाई पति रमेशचन्द्र जाति कंजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	419 ✓	0.333	0.333 ✓
		420 ✓	0.253 ✓	0.253 ✓
		421 ✓	0.544	0.544 ✓
	योग:-	3	1.130	1.130
55	प्रमोदकुमार पिता वदामसिंह जाति कंजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	401 ✓	0.506	0.506 ✓
		402 ✓	0.329	0.329 ✓
		413 ✓	0.026	0.026 ✓
		414 ✓	0.025	0.025 ✓
		415 ✓	0.225	0.225
		417 ✓	0.150	0.150 ✓
		418 ✓	0.139	0.139 ✓
	योग:-	7	1.400	1.400
56	संगीताबाई पति प्रमोदकुमार जाति कंजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	403 ✓	0.481	0.481 ✓
	योग:-	1	0.481	0.481
57	लीलाबाई बेवा नारायण, अमृत, पप्पू पिता नारायण जाति बेलदार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	431/1 ✓	0.297	0.297 ✓
	योग:-	1	0.297	0.297
58	कालूराम पिता मोती जाति बेलदार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	432 ✓	0.300	0.300 ✓
	योग:-	1	0.300	0.300 ✓
59	देवबाई पति सालगराम जाति रुवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	423 ✓	0.898	0.898
		631 ✓	0.367	0.055 ✓
	योग:-	2	1.265	0.953

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
60	प्रहलाद पिता किशनलाल जाति बेलदार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	425 ✓	0.100	0.100 ✓
		427 ✓	0.031	0.031 ✓
		431/2 ✓	0.097	0.097 ✓
	योग:-	3	0.228	0.228
61	मोती पिता रामा जाति बेलदार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	429 ✓	0.078	0.078 ✓
		योग:-	1	0.078
62	बट्टलाल पिता देवीराम जाति बेलदार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	434 ✓	0.102	0.102 ✓
		439 ✓	0.076	0.076 ✓
		440 ✓	0.052	0.052 ✓
		447 ✓	0.085	0.085 ✓
		449 ✓	0.066	0.066 ✓
		472 ✓	0.085	0.085 ✓
		473 ✓	0.283	0.283 ✓
		476 ✓	0.051	0.020 ✓
	योग:-	8	0.800	0.769
63	घीसीबाई पुत्री किशनलाल जाति रुवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	601 ✓	0.371	0.371 ✓
		608 ✓	0.143	0.143 ✓
		613 ✓	0.197	0.197 ✓
		614 ✓	0.047	0.047 ✓
		616 ✓	0.046	0.046 ✓
		619 ✓	0.021	0.021 ✓
		622 ✓	0.414	0.062 ✓
		623 ✓	0.203	0.081 ✓
	योग:-	8	1.442	0.968
64	विजयसिंह पिता करणसिंह जाति रुवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	627 ✓	0.569	0.170 ✓
		योग:-	1	0.569
65	शिवनारायण पिता गोपीलाल जाति रुवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	607 ✓	0.143	0.143 ✓
		611 ✓	0.413	0.372 ✓
		612 ✓	0.198	0.198 ✓
		615 ✓	0.046	0.046 ✓
		617 ✓	0.047	0.047 ✓
		620 ✓	0.021	0.021 ✓
		624 ✓	0.203	0.006 ✓
	योग:-	7	1.071	0.833
66	सजनबाई (बेचा) किशन, प्रहलाद, रोड़ीबाई पिता किशन जाति बेलदार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	426 ✓	0.100	0.100 ✓
		428 ✓	0.032	0.032 ✓
		430 ✓	0.314	0.314 ✓
		433 ✓	0.079	0.079 ✓
	योग:-	4	0.525	0.525

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
67	राधास्वामी सत्संग व्यास प्रतिनिधि श्री घनश्याम रामानी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	139 ✓	2.276	0.683 ✓
		435 ✓	0.101	0.101 ✓
		436 ✓	0.101	0.101 ✓
		437 ✓	0.076	0.076 ✓
		438 ✓	0.076	0.076 ✓
		441 ✓	0.050	0.050 ✓
		442 ✓	0.050	0.050 ✓
		445 ✓	0.084	0.084 ✓
		446 ✓	0.084	0.084 ✓
		451 ✓	0.068	0.068 ✓
		454 ✓	0.068	0.068 ✓
		470 ✓	0.084	0.084 ✓
		471 ✓	0.086	0.086 ✓
		474 ✓	0.283	0.283 ✓
		475 ✓	0.282	0.282 ✓
		392 ✓	0.683	0.478 ✓
		590 ✓	1.012	0.202 ✓
		594 ✓	0.411	0.206 ✓
		598 ✓	0.423	0.296 ✓
		599 ✓	0.421	0.336 ✓
194 ✓	2.024	0.304 ✓		
150/1 ✓	0.206	0.206 ✓		
	योग:-	22	8.949	4.204
68	दौलतराम पिता गोपीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	160/1 ✓	0.226	0.226 ✓
		160/7/1 ✓	0.200	0.200 ✓
	योग:-	2	0.426	0.426
69	चम्पालाल पिता गोपीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	160/2 ✓	0.225	0.225
		160/6/1 ✓	0.199	0.199 ✓
	योग:-	2	0.424	0.424
70	रामबगस पिता चैनाजी जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	160/3 ✓	0.451	0.451 ✓
	योग:-	1	0.451	0.451
71	शिवनारायण पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	160/4 ✓	0.506	0.406 ✓
		160/8 ✓	0.451	0.361 ✓
	योग:-	2	0.957	0.767
72	नरसंगलाल पिता चैनाजी जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	160/5 ✓	0.506	0.416 ✓
	योग:-	1	0.506	0.416
	कुल योग:-	206	66.630	59.243

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मबीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 94अ-82-17-18-6245

सागर, दिनांक 22 मई 2018

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : **भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण**
- (2) भूमि का विवरण-
1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : **खैजरा उददेत**
 4. पट.ह.नं. : **105**
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : **2.386 हेक्टे.**
- ::अनुसूची-1::

स. क्र.	भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा हे.में	अर्जित रकवा (हे.में)	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	मदनगोपाल पिता वृदांवन	भूमिस्वामी	14	1.01	0.172	शून्य
2	अशोक बाई जोजे शालिगराम ब्रह्म	भूमिस्वामी	18 20	1.530 0.740	0.140 0.100	शून्य
3	श्याम पिता रामचरण	भूमिस्वामी	21	0.720	0.099	शून्य
4	जगदीश पिता छोटेला	भूमिस्वामी	27 34	1.590 0.270	0.220 0.043	शून्य
5	सुरेश गुजारी सुकराम पिता प्यारेलाल, राम दुलैया, वेवा प्यारेलाल, ललता बाई वेवा गरीबे	भूमिस्वामी	37	0.440	0.114	शून्य
6	श्री देव जानकी रमण जी मंदिर, मोहत्तमकार गिरजाबाई उर्फ रानी पुत्री स्व.सहोद्राबाई सा.देह प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर	भूमिस्वामी	47	0.180	0.093	शून्य
7	अरवीन्द्र वृजेश पिता गोपाल, श्रीवाई ना शारदाबाई ना.पुत्री वृजगोपाल व खुद मा विमलाबाई बेबा भूमिस्वामी वृजगोपाल पिस. रामनारायण केलु व पूरनलाल. सुनीता पु पूरनलाल. प्रभारानी	भूमिस्वामी	68	0.270	0.120	शून्य

	वेबा पूरनलाल भूमिस्वामी अरविन्द व.बृजगोपाल नगाइच भूमिस्वामी बृजेश ब.बृजगोपाल नगाइच					
8	टीकाराम, रामलखन, रामबाबू, हुकमसिंग, बलराम पिता गुबंदी, रामवतीबाई, मनकोबाई पुत्री गुबन्दी	भूमिस्वामी	74	0.370	0.060	शून्य
			75	0.070	0.060	शून्य
9	सुखदेव पिता लल्लू उर्फ घनश्याम	भूमिस्वामी	73/1	0.200	0.032	शून्य
			83/1	0.650	0.081	शून्य
10	कनई पिता लल्लू उर्फ घनश्याम	भूमिस्वामी	73/2	0.190	0.040	शून्य
11	अरवीन्द्र, बृजेश पिता गोपाल, श्रीबाई ना. शारदाबाई ना.पुत्री बृजगोपाल व खुद मां विमलाबाई वेबा भूमिस्वामी बृजगोपाल पिस सामनाशयण कल् व. पूरनलाल, सुनीता पु पूरनलाल प्रभारानी वेबा पूरनलाल भूमिस्वामी अरविन्द व.बृजगोपाल नगाइच भूमिस्वामी बृजेश ब.बृजगोपाल नगाइच	भूमिस्वामी	143	1.130	0.053	शून्य
12	परसोत्तम पिता रामसेवक	भूमिस्वामी	142	1.130	0.228	शून्य
			144	0.570	0.057	शून्य
13	देवीसिंग, घनश्याम पिता सूरत, चित्रकुमारी पुत्री सूरत, अच्छी बाई वेवा सूरत	भूमिस्वामी	146/1	0.380	0.025	शून्य
14	मलखान, ईश्वर, पिसरान चरण अनीता, शांति, बडीबिन्ना चिनपुट्टो पु.चरन, बारीबाई वेबा चरन	भूमिस्वामी	146/2	0.060	0.016	शून्य
15	मलखान पिता चरण कुर्मी	भूमिस्वामी	146/3	0.150	0.016	शून्य
16	राम रतन पिता नन्नाई	भूमिस्वामी	149	1.080	0.158	शून्य
17	मलखान, ईश्वर, पिसरान चरण अनीता, शांति, बडीबिन्ना चिनपुट्टो पु.चरन, बारीबाई वेबा चरन	भूमिस्वामी	152	0.400	0.096	शून्य
18	प्रसन्न कुमार पिता गुलाबचंद जैन	भूमिस्वामी	154	0.300	0.048	शून्य
19	गुलाबचंद पिता बाबूलाल	भूमिस्वामी	158/1	0.430	0.040	शून्य
			158/2	0.800	0.034	शून्य
20	आनंद कुमार, प्रसन्न कुमार पिता गुलाबचंद,	भूमिस्वामी	159/1	1.56	0.076	शून्य
21	गुलाबचंद बल्द बाबूलाल	भूमिस्वामी	159/2	0.06	0.060	शून्य
22	रेखा पति सुदर्शन	भूमिस्वामी	160	1.620	0.105	शून्य
कुलयोग:-			कुल22 कित्ता	17.90	2.386	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।


अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 25/6/18 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 52अ-82-16-17

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम संसूचारी जलाशय दांयी तट नहर विस्तार योजना
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला
 2. तहसील
 3. ग्राम
 4. पट.ह.नं.-
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 1.660 है.



स. क्र.	भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नम्बर	कुल रकवा	अर्जित भूमि का विवरण	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रताप पिता बैजनाथ साकिन सिलारी	भूमिस्वामी	354	0.660	0.070	निरंक
2	हिमांचल पिता बालचंद साकिन सिलारी	भूमिस्वामी	357	1.330	0.100	निरंक
3	राजकुमार वल्द ग्याप्रसाद साकिन सिलारी	भूमिस्वामी	355/2	0.360	0.050	निरंक
		भूमिस्वामी	361/2	0.460	0.010	निरंक
4	गिरधारी वल्द भैरोप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	348	0.170	0.020	निरंक
		भूमिस्वामी	349/2	0.550	0.070	निरंक
5	आलोक पिता सुभाषचंद चौबे साकिन देवरी	भूमिस्वामी	345	0.560	0.020	निरंक
6	सुमनलता पति सुभाषचंद चौबे साकिन देवरी	भूमिस्वामी	346/1	0.430	0.130	निरंक
7	अजय कुमार वल्द हरिशंकर सा. देवरी	भूमिस्वामी	346/2	1.320	0.140	निरंक
8	खुमान वल्द दौलत साकिन देह	भूमिस्वामी	342/3	0.480	0.010	निरंक
9	रेखा पुत्री रामस्वरूप सा. देह	भूमिस्वामी	342/4	0.400	0.030	निरंक
10	चन्द्रप्रभा पति संतोष कुमार चौबे साकिन देवरी	भूमिस्वामी	334	1.770	0.100	निरंक
11	संतोष कुमार वल्द राधाचरण चौबे साकिन देह	भूमिस्वामी	371	3.220	0.400	निरंक
12	श्रीदेव गनेशजी, श्रीदेव हनुमानजी, महादेवजी, मुह. राजेश वल्द कृष्णानंद, कन्ठेदीलाल वल्द बिहारीलाल साकिन रहली	भूमिस्वामी	386	1.080	0.040	निरंक

13	मीनाक्षी पति महेन्द्र सिंह दांगी साकिन भोपाल भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	387	0.350	0.030	निरंक
14	मनोहर पिता गनपत साकिन देह	भूमिस्वामी	388/2	0.410	0.040	निरंक
15	बहादुर पिता गनपत लोधी साकिन देह	भूमिस्वामी	389/2	0.380	0.030	निरंक
16	हरिशंकर बलराम चेताराम बालिंग अश्विन्द पिता परषोत्तम इमरत, रामवती बालिंग राजबाई पुत्री परषोत्तम वली व खुद माँ श्यामरानी देवा परषोत्तम साकिन देह	भूमिस्वामी	390	0.480	0.040	निरंक
17	नंदकिशोर वल्द गनपत साकिन देह	भूमिस्वामी	398/1	0.410	0.030	निरंक
		भूमिस्वामी	399/1	0.240	0.030	निरंक
18	हरिशंकर बलराम चेताराम पिता परषोत्तम सा. देह	भूमिस्वामी	398/2	0.250	0.080	निरंक
19	कुन्दन वल्द भैरोगसाद सा. देह	भूमिस्वामी	398/3	0.810	0.040	निरंक
20	तखतसिंग वल्द ननमोदसिंग साकिन सिलारी	भूमिस्वामी	399/2	0.400	0.050	निरंक
21	यशवंत रामकुमार लक्ष्मण पिता केशरसिंग साकिन सिलारी	भूमिस्वामी	400	0.840	0.100	निरंक
योग-			24	17.360	1.660	निरंक

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 के धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में स्वेच्छा हितों के लिए प्रतिष्ठानों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 21/7/2018 के प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपन-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिष्ठान के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अर्जन किए गए नार्पो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर एवं कार्यालय यंत्री, जल संसाधन चंभार क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 21अ-82-17-18-6549

सागर, दिनांक 31 मई 2018

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का अधिनियम की धारा 17(2) के तहत आयुक्त सागर के पत्र क्रमांक 112/एक-स.अ./2018 सागर दिनांक 06.04.18 को अनुमोदन किया जा चुका है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

(1) परियोजना का नाम	:	कड़ान मध्यम परियोजना
(2) भूमि का विवरण	:	
जिला	:	सागर
तहसील	:	सागर
ग्राम	:	सिलेरा
पट.ह.नं.-	:	48
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	13.26 हे.



स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	मुलुशंकर पिता लछमनिया गनेशीबाई, रम्मोबाई, नन्नीबाई पुत्री लछमनिया वसियावारी भूमि स्वामी उर्फ कौसाबाई बेबा लछमनिया हुकम हरीशचंद्र रूपसींग, जीवन, नंदराम बल्द भगोली, बेटा बाई, हल्ली, गंगा पुत्री भगोली महरानी बेबा भगोली पता सा. देह भूमि स्वामी रामवती सीमा उर्मिला त्रिवेदी खुशबू पुत्री नरान कमलरानी बेबा नरान निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	59	1.91	0.10	कुआ-1, बांसभिरे-3, जामुन-2, बेरी-3

2	मीरा पत्नि अरुण कुमार	भूमिस्वामी	78/1	1.20	1.20	कुआ-1, पक्का मकान-1, रेजा-1, बमूरा-2, आम-1, बेरी-20
3	चंदन पिता रामकुमार	भूमिस्वामी	78/2	1.25	1.25	कुआ-1, बेरी-4
4	बद्रीप्रसाद पिता उदयचंद्र	भूमिस्वामी	72/1	1.13	0.72	कुआ-1, बेरी-2
5	माखनलाल, हरीलाल, प्रकाश, माधव, राजा पिता शंरसींग, मीना पुत्री शंकरसींग, पार्वतीबाई बेबा शंकरसींग	भूमिस्वामी	73	2.69	0.69	बांसभिरे-2, बमूरा-2, गुरार-1, कसई-1, आवला-2, सीताफल-1
6	हरीराम कुंवरसींग पिता हजारी, ताराबाई, नरबदबाई गोपीबाई उर्फ कृष्णारानी पुत्री हजारी	भूमिस्वामी	74	2.55	0.62	कुआ-1, नींबू-10, अमरुद-20, पपीता-30
7	भगवानदास पिता चतरा	भूमिस्वामी	75	1.60	1.60	कुआ-1, इमली-1, सागौन-1, पीपर-1, बमूरा-2, आम-1, बेरी-2
8	हरिराम, कुंवरसींग पिता हजारी	भूमिस्वामी	76	1.96	1.96	आम-1
			80	0.92	0.87	अमरुद-12, नींबू-8
9	गौ सेवा संघ, सागर	भूमिस्वामी	82	9.10	0.80	कुआ-1, बेरी-3
10	बाबूस लाम अफसर पिता गफूर	भूमिस्वामी	79	1.22	0.45	कुआ-1, साज-1, बेरी-8
11	शिवराज, गजराज, जुगलकिशोर, मनोहर पिता गोपीलाल, कमलाबाई पुत्री गोपीलाल, शारदाबाई बेबा गोपीलाल	भूमिस्वामी	117	0.49	0.18	कुआ-1 मकान पक्का-1, बेरी-3
12	यूनिस पिता सिराज पता सा. भगतसिंह वार्ड सागर	भूमिस्वामी	118	0.20	0.20	-
13	मुकेश, नारान बल्द रामकिशन शीलरानी बेबा रामकिशन	भूमिस्वामी	119	0.08	0.08	बेरी-7, अमरुद-2, आम-1
			121	0.37	0.37	कुआ-1, रेजा-1, नीम-1
14	छोटेलाल पिता सूरतसींग	भूमिस्वामी	120	1.08	0.37	नीम-3, अमरुद-2, आम-1, बेरी-2
15	गंगाराम, बबलू, हेमराज बल्द प्रताप, शकुनबाई गुड्डी पुत्री प्रताप	भूमिस्वामी	122/1	1.14	0.60	बमूरा-2, रेजा-4, ऊमर-1, बेल-1, धामन-1, कैथा-1
16	बद्रीप्रसाद, बबलू रामदास पिता कुंदनलाल आशाबाई, द्रोपतीबाई मालतीबाई पुत्री कुन्दनलाल	भूमिस्वामी	122/2	1.14	0.60	रेजा-2, नीम-1, बेरी-2
17	मनोज, केशव सतीष कपिल उर्फ छोटू, पिस शालकराम मीना सीमा पुत्रियों शालकराम आशा बेबा शालकराम बाबूलाल लल्लू पिता रतनसींग उमेश गोलू नाबा. पिता राजाराम पा.मों व खुद मझलीबहू बेबा राजाराम भूमिस्वामी मुन्नी सुमित्रा जित्तो पुत्री रतन	भूमिस्वामी	122/5	1.20	0.60	पीपर-1, रेजा-1, साज-1, बेरी-3
	महायोग		17किता	31.23	13.26	

अर्जित भूमि पर स्थित मकानों का विवरण

स.क्र.	भू-धारक का नाम/पिता एवं पति का नाम	मकानधारक का नाम एवं पिता पति का नाम	ख.नं.	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	मकान का विवरण
1	2	3	4	5	6
1	हरीराम कुंवरसींग पिता हजारी, ताराबाई, नरबदबाई गोपीबाई उर्फ कृष्णारानी पुत्री हजारी	हरीराम पिता हजारी	74	16.70x7.80 = 130.26 9.60 x4.35 = 41.76 7.90 x7.60 = 60.04 4.35 x6.50 = 28.27	टिनशेड-1 कच्चा कबेलू-3

प्रस्तावित भूमि अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों/कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में ग्राम- सिलेरा पट.हल्का नं 48 तहसील सागर जिला सागर की भूमि खसरा नं. 182 रकवा 1.39 हे. एवं खसरा नं. 184 रकवा 3.61 हे. कुल 5.00 हेक्टे. भूमि चिन्हित की गई है।

परियोजना हेतु पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर) द्वारा अपने पत्र क्रमांक-112/एफ-स.अ./2018 सागर दिनांक 06.04.2018 द्वारा पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन स्कीम का अनुमोदन किया जा चुका है जिसका सार निम्नानुसार है-

- (1) प्रभावित कुटुंब को प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्धून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (7) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (8) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टॉप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (10) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- (11) जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।
- (11.1) युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
- (11.2) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

- (11.3) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (11.4) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (11.5) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (11.6) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (11.7) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (11.8) यथेचित पंचायत घर
- (11.9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (11.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (11.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (11.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (11.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (11.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (11.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (11.16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (11.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (11.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (11.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (11.20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (12) विस्थापित कुटुंबों को 30*30 वर्गफुट का आवासीय पट्टा दिया जावेगा तथा धारा 16(3) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम कार्यान्वयन के लिये समय-सीमा 03 माह रहेगी।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 2/7/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर मुख्यालय सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 55अ-82-16-17-6550

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

- (1) परियोजना का नाम संसूचारी जलाशय दांयी तट नहर विस्तार योजना
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला सोनगढ़
 2. तहसील देवरी
 3. ग्राम सोमराखेड़ी
 4. पट.ह.नं.- 19
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 1.750 है.



स. क्र.	भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे. में	अर्जित रकवा हे. में	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	परशोत्तम, प्रहलाद, शिवसींग पिता कनई, बजरानी वेवा कनई साकिन देह	भूमिस्वामी	74/1	0.27	0.03	निरंक
		भूमिस्वामी	76/2	1.80	0.07	निरंक
2	मोहनसींग पिता पदमसींग सा. देह	भूमिस्वामी	73/1	1.05	0.01	निरंक
		भूमिस्वामी	74/2	0.32	0.02	निरंक
3	भैयाराम पिता पदमसींग सा. देह	भूमिस्वामी	73/2	1.05	0.09	निरंक
4	निर्भव सींग, हरिश्चकर दिलीप सरमन बिहारी पिता नारायण सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	73/3	1.06	0.05	निरंक
5	मोती पिता मनेश, हनुमत, हीरालाल पिता मोहन साकिन देह	भूमिस्वामी	151/1	5.72	0.21	निरंक
8	रामसींग वल्द बैजनाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	150/1	0.64	0.03	निरंक
9	रामसींग वल्द बैजनाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	156	0.99	0.11	निरंक
10	मधु पुत्री रमेश कुमार साकिन देवरी	भूमिस्वामी	154/1	1.49	0.10	निरंक
11	सौरभ कुमार वल्द शिवदयाल साकिन देह	भूमिस्वामी	67/1	2.00	0.11	निरंक
		भूमिस्वामी	155	1.21	0.08	निरंक
12	मधु पुत्री रमेश कुमार साकिन देवरी	भूमिस्वामी	153	1.43	0.04	निरंक
13	कमलरानी पति श्यालकराम साकिन देह	भूमिस्वामी	67/2	1.42	0.13	निरंक

14	प्रेमसिंग पिता गनेश साकिन सिलारी	भूमिस्वामी	65/1	1.58	0.16	निरंक
		भूमिस्वामी	62/2	1.21		निरंक
15	उत्ताम वल्द भगवानदास साकिन देह	भूमिस्वामी	52/3	1.54	0.01	निरंक
16	ग्याप्रसाद वल्द शिवप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	55/1	0.77	0.03	निरंक
17	पुष्पेन्द्र वल्द ग्याप्रसाद साकिन सिलारी	भूमिस्वामी	55/2	0.71	0.05	निरंक
		भूमिस्वामी	58	0.28		0.12
18	रूपरानी जोजे भगवत प्रसाद साकिन सिलारी	भूमिस्वामी	59	0.34	0.01	निरंक
19	सावित्री जोजे ग्याप्रसाद साकिन सिलारी	भूमिस्वामी	63	2.36	0.15	निरंक
20	प्रताप पिता मोहनसिंग लोधी बिवासी सेमराखेड़ी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	73/8	0.32	0.03	निरंक
21	रामनाथ पिता मोहनसिंग लोधी बिवासी वाम सेमराखेड़ी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	73/9	0.32	0.03	निरंक
		भूमिस्वामी	74/4	0.32		0.03
22	राजकुमार पिता मोहनसिंग लोधी साकिन सेमराखेड़ी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	73/10	0.32	0.03	निरंक
		भूमिस्वामी	74/5	0.32		0.02
योग:-			27	30.84	1.75	निरंक

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 03/07/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियाँ, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 57अ-82-16-17-6555

1 JUN 2018 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : मंसूरवारी जलाशय दांयी तट नहर विस्तार योजना
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : देवरी
 3. ग्राम : डोगर सलैया
 4. पट.ह.नं.- : 36
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.240 है.

स. क्र.	भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नम्बर	कुल रकबा		भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
1	2	3	3	4	5	6
1	जगन्नाथ, धनीराम, धरमदास पिता मकुन्दी, जनकरानी देवा भगवानदास साकिन देह	भूमिस्वामी	593	0.490	0.080	निरंक
2	राजेन्द्र पिता भुवानी साकिन देह	भूमिस्वामी	592	1.150	0.110	निरंक
3	अजुद्धी वल्द परमानंद साकिन देह	भूमिस्वामी	626	0.380	0.090	निरंक
4	सीताराम पिता हरदास साकिन बिछुआ भवतरा	भूमिस्वामी	625	1.190	0.210	निरंक
5	मयेन्द्र, धर्मेन्द्र, योगेन्द्र, धीरेन्द्र पिता रघुराज सिंह, जानकीबाई देवा रघुराज सिंह सा. देह	भूमिस्वामी	642	0.680	0.090	निरंक
6	जानकीबाई पति रघुराज साकिन देह	भूमिस्वामी	641/4	4.000	0.420	निरंक
7	हरिराम, खलकसींग पिता नन्नाई सा. देह	भूमिस्वामी	652	0.500	0.090	निरंक
8	तुलसीराम पिता शिवदयाल साकिन देह	भूमिस्वामी	655	0.510	0.040	निरंक
9	आशाबाई पुत्री मुलाम साकिन देह	भूमिस्वामी	654/3	0.630	0.040	निरंक
10	रामनाथ वल्द हरदास साकिन देह	भूमिस्वामी	654/4	0.400	0.040	निरंक
11	धनश्याम सीताराम माखन पिता पन्ना गमता पुत्री पन्ना भगोनी देवा पन्ना साकिन देह	भूमिस्वामी	656	0.080	0.030	निरंक
योग:-			11	10.010	1.240	निरंक

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 08/07/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र मांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 20अ-82-17-18-6780

सागर, दिनांक 7 जून 2018

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1) के तहत प्राप्त आपत्तियों के परीक्षण एवं जांच उपरांत समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का अधिनियम की धारा 17(2) के तहत आयुक्त सागर के पत्र क्रमांक 112/एक-स.अ./2018 सागर दिनांक 06.04.18 को अनुमोदन किया जा चुका है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : कड़ान मध्यम परियोजना
- (2) भूमि का विवरण
- जिला : सागर
- तहसील : सागर
- ग्राम : हफसिली
- पट.ह.नं.- : 48
- अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 28.12 हे.

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण
1	सीताराम पिता प्यारेलाल	भूमिस्वामी	2/1	0.21	0.21	सागौन-1, बमूरा-1, कोहा-3, बहेरा-1, बेरी-3
2	राजेश पिता सीताराम	भूमिस्वामी	2/2	0.40	0.40	नीम-1, पपीता-2, आम-1
			12/4	0.10	0.10	पक्का मकान-4, कोहा-4, बेरी-2
3	रेवती पत्नि रामेश्वर प्रसाद	भूमिस्वामी	3	1.13	1.13	बमूरा-2, बेरी-2
4	राधेश्याम पिता प्यारेलाल	भूमिस्वामी	4	0.45	0.45	सागौन-1
			10/1	0.06	0.06	-
5	शेरसिंह बल्द कन्हैयालाल	भूमिस्वामी	5/1	0.52	0.52	यूकेलिपटिस-2, बमूरा-2, बेरी-3
6	शिबू, शेरसिंह पिता कन्हैयालाल	भूमिस्वामी	5/2	0.20	0.20	सागौन-1, केर-2, बेरी-1
7	मुन्नालाल, राजेन्द्र बा. तोताराम, हल्केभाई ना. बा. पिता बंदीप्रसाद पा. मा. खुद गुलाबबाई बेबा बंदीप्रसाद	भूमिस्वामी	5/3	0.20	0.20	नीम-1, सीताफल-1, अमरुद-1
8	रामेश्वर, शेरसींग पिता कन्हैयालाल	भूमिस्वामी	5/4	0.35	0.35	बमूरा-2

9	राजेश, सुरेश, रामस्वरूप पिता सीताराम	भूमिस्वामी	5/5	0.10	0.10	नींबू-1, अमरुद-1
10	अजुददी बल्द प्यारेलाल	भूमिस्वामी	5/6	0.68	0.68	-
			8/1	0.87	0.87	-
11	दिनेश कुमार अजुददी	भूमिस्वामी	5/7	0.32	0.32	-
			12/1	0.50	0.50	-
12	राजकुमार बल्द रामजी	भूमिस्वामी	5/8	0.05	0.05	अमरुद-2, आम-1, बेरी-2
13	शिबू, रामेश्वर, रामजी, ठाकुरदास, भगवानदास, शेरसींग, आशाराम पिता कन्हैयालाल, मुन्ना, राजेन्द्र, तोताराम, हल्केभाई, पिता बद्रीप्रसाद सा. देह भूमि स्वामी गुलाबरानी बेबा बद्रीप्रसाद दिवारी हल्की पुत्री बद्रीप्रसाद सपना अरचो नीतू नावा. पुत्री हरीदास पालक मां व खुद चितोरा बारी बेबा हरीदास अभय नावा. पिता रामस्वरूप निकीता मुन्नी नावा. पुत्री रामस्वरूप पालक मां व खुद कमलेशरानी बेबा रामस्वरूप, शांतिबाई बे. कन्हैयालाल, मालती पुत्री कन्हैयालाल	भूमिस्वामी	6	0.40	0.40	बमूरा-1, बेरी-3
14	दिनेश कुमार अजुददी, अजुददी बल्द प्यारेलाल	भूमिस्वामी	6/181	0.31	0.31	-
15	टीकाराम, रामकिशन, मनमोहन, हल्केबाबू, सुनील, धनप्रसाद, राजा पि. परषोत्तम, सीमाबाई, पूनाबाई पुत्री परषोत्तम	भूमिस्वामी	7	0.40	0.40	कोहा-3, बेरी-2
			12/182	0.44	0.44	-
16	पदम पिता कपूरचंद जैन	भूमिस्वामी	8/2	0.32	0.32	-
			8/3	0.36	0.36	-
			9	0.10	0.10	-
			10/3	0.21	0.21	-
			11/2	0.01	0.01	-
17	जाहरसिंह पिता शिवराजसिंह	भूमिस्वामी	10/2	0.08	0.08	केर-1, बेरी-1
			12/2	0.21	0.21	नींबू-1, आम-1
18	प्रेमबाई जोजे भगवानदास	भूमिस्वामी	11/1	0.25	0.25	खैर-3, बेरी-2
			12/3	0.01	0.01	कच्चा कबेलू-1
19	मंजूलता पत्नि विमलकुमार, आशीष पिता विमलकुमार	भूमिस्वामी	14/1	2.63	2.63	कुआ-1, बांसगिरा-1, यूकेलिपटिस-5, बेरी-3
20	ओमप्रकाश, राजेश, प्रकाश पिता हरीशचंद	भूमिस्वामी	14/2	0.20	0.20	यूकेलिपटिस-9
21	अवधेश कुमार पिता सत्यानंद	भूमिस्वामी	15	0.97	0.60	कुआ-1, पक्का मकान-1, टिनशेड-1, बांसगिरा-1, रंजा-2, कोहा-1, बेरी-5
22	विमल कुमार पिता मुलायमचंद	भूमिस्वामी	21	2.84	0.05	यूकेलिपटिस-40, नीम-4, बांसगिरा-10, बमूरा-1, बेरी-4
23	बृजराज पिता दयाशंकर यादव	भूमिस्वामी	22/1	0.20	0.20	-
24	महेश, अशोक, सुदामा पिता ठाकुरदास	भूमिस्वामी	22/2	0.20	0.20	बमूरा-5 बेरी-4
25	बैजन्ती पत्नि लोकमन खटीक	भूमिस्वामी	22/3	1.24	0.64	बमूरा-2, नीम-1, बेरी-1
			23/2	0.26	0.03	-
			28/3	0.07	0.04	-
			29/3	0.13	0.13	-

27	हंसराज भाई पिता भाणजी भाई पटेल	भूमिस्वामी	27/1 ✓	0.21	0.12 ✓	-
			27/2 ✓	0.22	0.14 ✓	-
			28/2 ✓	0.36	0.29 ✓	-
			29/2 ✓	0.32	0.32 ✓	बमूरा-4, रैंजा-1, नीम-1 आम-4, बेरी-6
			32/1 ✓	0.32	0.32 ✓	-
			32/3 ✓	0.17	0.17 ✓	बमूरा-3, रैंजा-1
			33/1 ✓	0.19	0.19 ✓	नीम-1, आम-1
			33/4 ✓	0.21	0.21 ✓	-
28	रावरानी बेबा ठाकुरदास, महेश, अशोक सुदामा पिता ठाकुरदास रामवती पुत्री ठाकुरदास	भूमिस्वामी	28/1 ✓	0.03	0.03 ✓	-
			29/1 ✓	0.47	0.47 ✓	बमूरा-6, बेरी-3
			30 ✓	0.78	0.78 ✓	-
29	कडोरीलाल पिता मौजीलाल	भूमिस्वामी	31/1	0.31	0.31	रैंजा-5, बमूरा-1, केर-10, पपीता-10, बेरी-10, आम-3
30	तनुजा पत्नि आनंदकुमार	भूमिस्वामी	31/2	0.49	0.49	टिनशेड-1, बमूरा-2, बेरी-3, केर-2, आम-3, नारियल-2
31	लक्ष्मी पत्नि मनोहरलाल	भूमिस्वामी	32/2 ✓	0.10	0.10	बेरी-2
			33/2 ✓	0.14	0.14	बमूरा-2, बेरी-2
32	रमाकांत पिता कुंजबिहारी (डायवर्टेड)	भूमिस्वामी	33/3 ✓	0.37	0.37	बमूरा-1, बेरी-2
33	जीवनलाल, राजू पिस. परताप, रामकली देवी, मीना, पुत्रियों परताप, सुहारानी बेबा परताप	भूमिस्वामी	35	1.78	1.44	गुरार-5, बमूरा-1, नीम-1, बेरी-5, अमरुद-2, पपीता-1, आम-1, कैथा-1
34	हरिराम प्रेमनारायण पिता मनमोहन	भूमिस्वामी	36	1.49	1.40	बमूरा-2, गुरार-1, बेरी-2, रुसल्ला-1, ऊमर-1
35	राकेश पिता नवलकिशोर पटेल	भूमिस्वामी	40	1.30	0.02	बेरी-4
36	महेशकुमार, अशोककुमार पिता ठाकुरदास	भूमिस्वामी	43	1.30	0.18	बेरी-4
37	बलराम पिता भगवानदास	भूमिस्वामी	44	0.33	0.04	कुआं-1, बमूरा-2, रैंजा-1, बेरी-1, ऊमर-1
38	सुभाष पिता रामचरण	भूमिस्वामी	46	1.61	0.03	बमूरा-3, गुरार-1, ऊमर-1
39	कन्हैयालाल पिता जमनाप्रसाद	भूमिस्वामी	50 ✓	5.53	3.22 ✓	बमूरा-1, पीपल-1, बेरी-2
			52 ✓	1.40	1.40 ✓	बमूरा-3, रैंजा-3, बेरी-2
40	सुहागरानी पति कन्हैयालाल	भूमिस्वामी	53 ✓	5.53	1.30 ✓	बमूरा-1, बेरी-2
41	कांशीराम, महेंद्र पिस. चंदनसींग कुसुम क्रांति पुत्रियां चंदनसींग	भूमिस्वामी	58/1	1.75	0.20 ✓	कोहा-2
42	खेमाबाई बेबा कुंदनलाल, गोपालप्रसाद, जयराम, राजेन्द्र प्रसाद पिता कुंदनलाल, द्रोपती, पार्वती, मालती, प्रेमबाई, भगवती पुत्री कुंदनलाल	भूमिस्वामी	58/2 ✓	1.35	0.10 ✓	-
			61/2 ✓	0.40	0.02 ✓	-
43	नवलकिशोर, बैजनाथ, हरप्रसाद, पुरुषोत्तम, प्रीतम, प्रेमनारायण पिता प्यारेलाल	भूमिस्वामी	61/3	2.23	0.09	नींबू-2, आवला-4, बेल-2
44	नंदकिशोर पिता मनसुख बगैरह	भूमिस्वामी	61/4	0.56	0.03 ✓	-
45	लक्ष्मण बैजनाथ पिता मुन्नालाल, राधा, शीला, सुशीला, गायत्री, उत्तरा पुत्री मुन्नालाल, खेतसींग, नैमसींग, इमरतसींग शिवदयाल, लखन पिता दमरु, पार्वतीबाई, सियाबाई, लक्ष्मीबाई, भागबाई पुत्री दमरु, कुंदन, शिवचरन, जगन्नाथ पिता खिलान, केशनबाई, ललिताबाई, लीलाबाई पुत्री खिलान	भूमिस्वामी	64	0.63	0.03	-
46	रघुवर बलद पंचे	भूमिस्वामी	65	0.48	0.07	सागौन-2, आम-1, नींबू-1
महायोग			46	50.48	28.12	

अर्जित भूमि पर स्थित मकानों का विवरण

स. क्र.	मू-धारक का नाम/पिता एवं पति का नाम	मकानधारक का नाम एवं पिता पति का नाम	ख.नं.	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	मकान का विवरण
1	2	3	4	5	6
1	प्रेमबाई जोजे भगवानदास	रामजी बल्द कन्हैयालाल यादव	11/1	(3.80 x 4.00) = 15.20	कच्चा कबेलू
		राजकुमार पिता रामजी यादव	11/1	(8.15x4.60) = 37.49 (2.35x1.50) = 3.52	पक्का मकान पक्का मकान
		सतीष पिता रामजी यादव	11/1	(10.30x4.15) = 42.75 (6.20x4.10) = 25.42	पक्का मकान टिनशेड
		रवि यादव पिता रामजी यादव	11/1	(8.15x3.80) = 30.97 (8.40x4.85) = 40.74 (4.75x3.85) = 18.29 (6.15x3.85) = 23.68 (12.40x3.65) = 45.26 (18.20x4.95) = 90.09	पक्का मकान पक्का मकान कच्चा कबेलू कच्चा कबेलू टिनशेड कच्चा कबेलू
		मुन्नालाल पिता बद्रीप्रसाद यादव	11/1	(8.20x4.40) = 36.08 (2.80x6.80) = 19.04 (2.35x1.50) = 3.53	पक्का मकान टिनशेड पक्का मकान
		राजेन्द्र पिता बद्रीप्रसाद यादव	11/1	(15.20x4.00) = 60.80 (7.20x4.00) = 28.80 (8.20x3.90) = 31.98	पक्का मकान पक्का मकान टिनशेड
		देवेन्द्र पिता बद्रीप्रसाद यादव	11/1	(12.35x3.30) = 40.76 (6.60x7.80) = 51.48	टिनशेड पक्का मकान
		मझली बहू पत्नि बद्रीप्रसाद यादव	11/1	(2.80x5.60) = 15.68	कच्चा कबेलू
		योगेन्द्र पिता बद्रीप्रसाद	12/1	(7.80x5.60) = 43.68 (2.35x1.50) = 3.53	पक्का मकान पक्का मकान
2	दिनेश कुमार अजुददी	सुरेश पिता रामेश्वर	12/1	(2.20x4.70) = 10.34 (4.00x11:30) = 45.20 (2.75x4.00) = 11.00	पक्का मकान टिनशेड पक्का मकान
		रामेश्वर बल्द कन्हैयालाल यादव	12/1	(7.25x4.00) = 29.00	कच्चा कबेलू
		महेश बल्द रामेश्वर	12/1	(7.90x7.00) = 55.30 (14.50x6.30) = 91.35 14.10x(4.50+3.25)/2 = 54.64 (3.15x1.80) = 5.67	कच्चा कबेलू पक्का मकान टिनशेड पक्का मकान
		भगवानदास पिता कन्हैयालाल यादव	12/1	(10.35x4.00) = 41.40 (7.00x5.10) = 35.70 (7.90x3.60) = 28.44 (4.55x2.75) = 12.51 (4.80x4.20) = 20.19 (2.30x1.70) = 3.91 (3.70x4.41) = 16.32	पक्का मकान पक्का मकान टिनशेड टिनशेड कच्चा कबेलू पक्का मकान कच्चा कबेलू
		शेरसिंह पिता कन्हैयालाल यादव	12/1	(19.90x7.60) = 151.24 (5.90x6.80) = 40.12 (12.10x7.90) = 95.59 (3.15x1.80) = 5.67 (10.80x3.55) = 38.34	पक्का मकान कच्चा कबेलू कच्चा कबेलू पक्का मकान टिनशेड
		ठाकुरदास पिता कन्हैयालाल यादव	12/1	(7.35x4.05) = 29.77	पक्का मकान
		जाहर पिता शिबू यादव	12/1	(10.00x5.90) = 59.00	पक्का मकान
		रामबाबू पिता शिबू यादव	12/1	(7.60x9.70) = 73.72 (3.20x4.45) = 14.24 (10.30x3.80) = 39.14	पक्का मकान कच्चा कबेलू पक्का मकान
		शिबू पिता कन्हैयालाल यादव	12/1	(4.60x6.40) = 29.44 (11.60x3.50) = 40.60	पक्का मकान कच्चा कबेलू
		कुंजी पिता राधेश्याम यादव	12/1	(10.65x8.00) = 85.20 (5.45x4.55) = 24.80 (9.30x4.25) = 39.53 (3.00x9.50) = 28.50 (3.80x5.60) = 21.28 (3.50x2.30) = 8.05	पक्का मकान पक्का मकान पक्का मकान कच्चा कबेलू कच्चा कबेलू पक्का मकान

प्रस्तावित भूमि अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों/कुटुम्बों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में ग्राम— सिलेरा पट.हल्का नं 48 तहसील सागर जिला सागर की भूमि खसरा नं. 182 रकवा 1.39 हे. एवं खसरा नं. 184 रकवा 3.61 हे. कुल 5.00 हेक्टे. भूमि चिन्हित की गई है।

परियोजना हेतु पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर) द्वारा अपने पत्र क्रमांक-112/एफ-स.अ./2018 सागर दिनांक 06.04.2018 द्वारा पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन स्कीम का अनुमोदन किया जा चुका है जिसका सार निम्नानुसार है—

- (1) प्रभावित कुटुंब को प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (7) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार 'पुनर्व्यवस्थापन भत्ता' दिया जाएगा।
- (8) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (10) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- (11) जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सकें और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।
- (11.1) युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
- (11.2) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (11.3) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (11.4) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (11.5) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (11.6) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (11.7) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (11.8) यथेचित पंचायत घर
- (11.9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (11.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

- (11.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (11.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (11.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (11.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (11.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (11.16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (11.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (11.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (11.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (11.20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (12) विस्थापित कुटुंबों को 30*30 वर्गफुट का आवासीय पट्टा दिया जावेगा तथा धारा 16(3) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम कार्यान्वयन के लिये समय-सीमा 03 माह रहेगी।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 09/07/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर मुख्यालय सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 26अ-82-17-18-6933

सागर, दिनांक 14 मई 2018

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का अधिनियम की धारा 17(2) के तहत आयुक्त सागर के पत्र क्रमांक 112/एक-स.अ./2018 सागर दिनांक 06.04.18 को अनुमोदन किया जा चुका है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : **कड़ान मध्यम परियोजना**
 (2) भूमि का विवरण
- जिला : सागर
 तहसील : सागर
 ग्राम : **बेरंखेड़ी सुवंश**
 पट.ह.नं.- : 48
 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : **64.64 हे.**

स.क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	विजयसिंह पिता राजाराम	भूमिस्वामी	1/1	3.22	3.22	सगौना-2, नीम-1, पीपल-1, इमली-1, आवला-1, बेल-2, बहेरा-1 बेरी-10, ऊमर-1, रूसल्ला-2
			1/2	3.21	3.21	अस्तो-1, बमूरा-4, आवरी-1, बेरी-2, कैथा-1
			1/3	3.21	3.21	बमूरा-3, नीम-3, पीपल-1, बेल-2, कैथा-1, अमरुद-10, आम-2, नींबू-2, बेरी-2, मुनगा-1
2	मनमोहन पिता परषोत्तम	भूमिस्वामी	6/1	0.86	0.86	कुआँ-1, पीपल-2, बमूरा-4, बांसभिरे-2, नीम-1, बीजा-1, अस्तो-1, बहेरा-1, बेरी-2
			28/2	0.48	0.44	रेंजा-1, बांसभिरे-1, बेरी-2
			98/1	0.05	0.05	-
3	राजा पिता पुरुषोत्तम	भूमिस्वामी	6/2	0.86	0.86	कुआँ-1, पीपल-1, बमूरा-2, बेरी-3, ऊमर-2, बहेरा-3
			15/3	0.40	0.40	कुआँ-1, रेंजा-1
			27/3	0.48	0.46	कुआँ-1, बीजा-1, बेरी-13

4	हल्के बाबू पिता पुरुषोत्तम	भूमिस्वामी	6/3	0.86	0.86	बमूरा-1 बेरी-2
			28/3	0.48	0.45	बांसभिरा-1, सगौना-2, नीम-3, बेरी-2
			98/3	0.05	0.05	-
5	धनप्रसाद पिता पुरुषोत्तम	भूमिस्वामी	6/4	0.86	0.86	अस्तो-1, बेरी-2, ऊमर-1
			27/1	0.48	0.48	सगौना-3, अस्तो-2, बेल-1
			98/7	0.05	0.05	खैर-1, नीम-2, गुरार-1, बेरी-4
6	रामकिसन पिता पुरुषोत्तम	भूमिस्वामी	6/5	0.86	0.86	बमूरा-2, बेरी-2
			28/4	0.47	0.47	कुआँ-1, गुरार-1, बांसभिरा-1, बमूरा-2, धवा-1, धामन-1, बेरी-4
			94/4	0.05	0.05	-
7	सुनील पिता पुरुषोत्तम	भूमिस्वामी	6/6	0.86	0.86	कुआँ-1, खैर-1, अस्तो-2, चखेरन-1
			27/2	0.48	0.48	बमूरा-2, बेहरा-1
			98/6	0.05	0.05	अस्तो-1, बमूरा-1, बेरी-2
8	टीकाराम पिता पुरुषोत्तम	भूमिस्वामी	6/7	0.85	0.85	कुआँ-1, ऊमर-1, बेरी-1, बेहरा-2
			27/4	0.38	0.32	कुआँ-1, गुरार-1, बेरी-2
			28/1	0.10	0.10	कुआँ-1, आवला-1
			98/5	0.04	0.04	-
9	मीरा बाई बेबा अजय कुमार	भूमिस्वामी	7	0.20	0.20	बमूरा-2 बेरी-1
			8/1	1.54	1.54	कुआँ-1, रेजा-2, बेरी-1
			9/1	0.18	0.18	रेजा-1, बेरी-1
10	मनोहर बल्द बाबूलाल यादव (डायवर्टेड ख.नं. 8/2, एवं 9/2)	भूमिस्वामी	8/2	0.38	0.38	नीम-1 बेरी-1
			9/2	0.23	0.23	आम-1
			15/1	1.33	1.33	कुआँ-1, बेरी-1
11	शिवरानी देवा नाथूराम	भूमिस्वामी	10	1.22	1.22	कुआँ-1, खैर-2, नीम-2, बेरी-3, आवला-5
			11	0.60	0.60	बमूरा-2, सगौना-4, नीबू-3, मुनगा-1, आम-1
12	सुरेश पिता बलराम	भूमिस्वामी	13/1	0.55	0.55	नीम-1
			14/2	0.30	0.30	बमूरा-1, खैर-1
13	रामदास पिता बलराम	भूमिस्वामी	13/2	0.15	0.15	बमूरा-1
			14/1	0.30	0.30	-
14	अजुधी पिता बलराम	भूमिस्वामी	13/3	0.08	0.08	बेरी-1
			14/4	0.29	0.29	बेरी-1
			21/3	0.48	0.48	-
15	आशाराम पिता गंगाराम	भूमिस्वामी	13/4	0.40	0.40	कुआँ-1, मुनगा-1
16	छोटेराल पिता बलराम	भूमिस्वामी	14/3	0.29	0.29	बेरी-1
			21/2	0.56	0.56	बेरी-1
17	संतोष पिता खिलानसींग	भूमिस्वामी	15/2	0.20	0.20	अमरूद-1, मुनगा-1, बेरी-1,
18	कलावती बे.सिम्बरलाल, हेमन्तकुमार, पिता सिम्बरलाल, सरस्वती, मोतीबाई, ममताबाई, रीना पुत्री सिम्बरलाल	भूमिस्वामी	16	1.74	1.74	कुआँ-1, रेजा-3, नीम-1
19	कन्हैयालाल, सीताराम, राधेश्याम, अजुद्दी, हरिशंकर पिता प्यारेलाल, टीकाराम रामकिशुन मनमोहन हल्के बाबू सुनील धनप्रसाद राजा पिता परसोत्तम सीमाबाई पूनाबाई पुत्री परसोत्तम जनकरानी देवा परसोत्तम बलराम भूमि.पि.ऊमराव प्रेमनारायण पिता नाथूराम नर्मदाबाई गुलाबबाई सूरजबाई पुत्री नाथूराम कोमल सत्यनारायण पिता नदकिशोर लीला मीरा गुडडी भूरी रामसखी पुत्री	भूमिस्वामी	17/1	0.37	0.37	-

अंश... 1.74

	रामकिशोर सियारानी बे. नंदकिशोर पता सा.देह भूमि.गुलाबराणी बेबा मूलचंद मुशीलाल मनोहर राजाराम बल्दवान परसराम पिता मूलचंद लीलाबाई, मीनाबाई बंतीबाई ममताबाई गुंडडीबाई पिता मूलचंद					
19	उमेश कुमार पिता राजाराम	भूमिस्वामी	17/2	0.69	0.69	कुओं-1, गुरार-1, अस्तो-1, बमूरा-1
20	रघुवीरसींग बल्द बलरामसिंहयादव	भूमिस्वामी	18/1	0.23	0.23	-
21	मनोज पि.सालकराम उमेश पिता राजाराम	भूमिस्वामी	18/2	1.41	1.41	कुओं-1, खैर-2, नीम-1, बेरी-3
22	प्रभाबाई बेबा बाबूलाल, संदीप पिता बाबूलाल	भूमिस्वामी	19	1.73	1.26	कुओं-1, गुरार-1, नीम-1
23	प्रेमनारायण/नाथूराम	भूमिस्वामी	20/1	1.01	1.01	पीपल-1, रेंजा-1, बेरी-4
	राजकुमार पिता सत्यनारायण		20/2	1.01	1.01	कुओं-1,
24	सुमतरानी बेबा बलराम, अजुद्दी, रामदास, छोटेला, सुरेश, पिसरान, बलराम	भूमिस्वामी	21/1	0.10	0.10	बेरी-2
25	प्रकाशरानी पत्नि सत्यनारायण	भूमिस्वामी	22	1.68	1.68	कुओं-1,
26	प्रकाशरानी पत्नि सत्यनारायण, महेश, राजकुमार पि.सत्यनारायण, आरती पुत्री सत्यनारायण	भूमिस्वामी	23	1.62	1.59	रेंजा-3, बमूरा-2, नीम-1, सगीना-5
27	हरप्रसाद बल्द थम्मनसींग	भूमिस्वामी	32/1	0.71	0.71	कुओं-1, बमूरा-2, बेल-2, बेरी-4
			47/1	0.07	0.04	पक्का मकान-1, कच्चा कबेलू-1, टिनशेड-1
28	आशीष पिता अशोक जैन	भूमिस्वामी	32/2	0.51	0.51	-
29	मिट्टू सींग वल्द घूमनसींग	भूमिस्वामी	32/3	0.78	0.78	रुसल्ला-1, बेरी-2
30	अनुराग पिता नेमचंद जैन (डायवर्टेड)	भूमिस्वामी	32/4	0.20	0.20	ट्यूबवैल-1, टिनशेड-2
31	मनीश जैन पिता अशोक कुमार जैन	भूमिस्वामी	32/5	0.10	0.10	-
32	मनोहर पिता लक्ष्मण	भूमिस्वामी	44	1.10	1.10	कुओं-1 बांसभिरा-3, गुरार-1, सगीना-20, खैर-5, नीम-1, चिरौल-2, बमूरा-1, सीसोन-1, बेल-1, अमरुद-15, बेरी-5
33	विजयसिंह, शिवराजसिंह, मुन्नालाल पिता राजाराम, कौशिल्याबाई, छोटीबाई पुत्री राजाराम	भूमिस्वामी	45	0.02	0.02	पीपल-1, सीसोन-1, अमरुद-6, बेल-1
34	अमृतलाल, शेरसींग, दीनदयाल, बाबू, राजाभईया पिता नत्थूसींग, शिवरानी बेबा नत्थूसींग	भूमिस्वामी	46	0.10	0.10	बांसभिरा-1, बेरी-2, आम-1, अमरुद-3, मुनगा-1
			84	0.11	0.11	बमूरा-1, नीम-1, बेरी-1
			87	0.06	0.06	-
			89	0.11	0.11	गुरार-1, बेरी-1, नींबू-1
			91	0.12	0.12	बोर-1, यूकेलिपटिस-1, बेरी-1
			99/3	0.78	0.78	कुओं-1, गुरार-1
			102	0.14	0.14	कुओं-1, बेरी-1
105	3.09	3.09	रेंजा-1, बांसभिरा-1, बेरी-2, बेल-3			
35	विजयसिंह शिवराजसिंह, मुन्नालाल पिता राजाराम, कौशिल्याबाई, छोटीबाई पुत्री राजाराम	भूमिस्वामी	47/2	0.07	0.04	बांसभिरा-2, गुरार-1, बेरी-2
36	मिट्टूसींग वल्द घूमनसींग	भूमिस्वामी	47/3	0.07	0.04	कच्चा कबेलू-1, पक्का मकान-3, नीम-1, बांसभिरा-2, बेरी-1, आम-4,

37	विजयकुमार, बालकिशन मानकलाल पिता घासीराम	भूमिस्वामी	48	0.90	0.90	अमरुद-2, मुनगा-1, नींबू-1 कुआँ-1, खैर-1, अस्तो-1, गुरार-2, बमूरा-1, बेरी-2, बेल-1, रुसल्ला-1 आम-1, नींबू-1
38	रामकिसन, लक्ष्मीनाराण, मदन पिता हल्के मुलाबाई, गौरीबाई, शांतिबाई, चंदाबाई, किरण बाई पुत्री हल्के	भूमिस्वामी	50 95/1	1.43 0.53	1.34 0.53	कुआँ-1, गुरार-1, नींबू-1, बेरी-2 गुरार-1, बेरी-1
39	राजेन्द्र कुमार बल्द शंकरलाल	भूमिस्वामी	51	0.12	0.02	नीम-1, बेरी-1
40	कुसुरानी बेबा हरीराम श्यामलाल प्रीतम पिस. हरिराम	भूमिस्वामी	69	0.53	0.43	कुआँ-1, बांसभिरा-1, आम-1, नींबू-1, बेरी-1
41	झल्लू बृजेश पिता वृंदावन, रामप्यारी चन्द्रवती, अनीता पुत्री विंदावन, प्रेमरानी बेवा विंदावन	भूमिस्वामी	70 97	0.70 0.20	0.26 0.20	अमरुद-1 -
42	रामलाल, हनुमतसींग पिता खूबसींग, अंकित बिट्टू, अल्पेश नाबा. पिता छोटेला बली मां वखुद सुहागरानी मुन्नीबाई बेवा छोटेला	भूमिस्वामी	82 86 93 101/1 104 106	0.18 0.11 0.09 0.41 3.52 1.31	0.09 0.11 0.05 0.41 3.52 1.31	यूकोलिपटिस-3, नीम-1, नींबू-2, अमरुद-2, आम-1, बेरी-1, मुनगा-1 - बमूरा-1, बेरी-3 बमूरा-1, बेरी-1 कुआँ-1, बांसभिरा-3, नींबू-1, अमरुद-2 रंजा-1, बांसभिरा-1, बेरी-1, आम-1
43	सूरतसींग बल्द जगन्नाथ	भूमिस्वामी	85/1	0.09	0.09	अमरुद-2
44	राजेश पिता सूरतसींग यादव	भूमिस्वामी	85/2 90/1 92/2	0.02 0.03 0.03	0.02 0.02 0.02	बांसभिरा-1, मुनगा-1 बांसभिरा-1, नींबू-1 बांसभिरा-1, नींबू-1
45	कमलेश पिता सूरतसींग	भूमिस्वामी	90/2 103/7 92/3	0.03 0.64 0.03	0.02 0.64 0.02	बांसभिरा-1, बेरी-1 बांसभिरा-1, बेल-1 गुरार-1, रुसल्ला-1
46	सूरजसींग बल्द जगन्नाथ	भूमिस्वामी	92/1 99/1 103/1	0.03 0.14 0.07	0.02 0.14 0.07	बेरी-1 ऊमर-1 बेरी-1
47	मुश्ताक पिता चुन्नू	भूमिस्वामी	95/2	0.27	0.27	-
48	श्रीराम, हरगोविन्द, तुलसीराम पिता नन्हेलाल	भूमिस्वामी	96	0.86	0.86	नीम-1, बांसभिरा-2, गुरार-1, बेरी-1
49	राजाराम पिता पुरुषोत्तम	भूमिस्वामी	98/2	0.05	0.05	-
50	जगतराज पिता सूरत सिंह	भूमिस्वामी	99/2	0.64	0.64	कुआँ-1,
51	जनकरानी बेवा खूबसींग, रामलाल हनुमतसींग, पिता खूबसींग, अंकित बिट्टू, अल्पेश नाबा. पिता छोटेला बली माँ वखुद सुहागरानी मुन्नीबाई बेवा छोटेला	भूमिस्वामी	99/4	0.78	0.78	कुआँ-1,
52	शिवरानी बेबा नाथूराम, अमृतलाल, शेरसिंह, दीनदयाल, अमरसिंह, बाबू राजा, पिता नाथूराम गुडडीबाई, मायंत्रीबाई, जानकीबाई पुत्री नाथूराम, रामलाल हनुमतसींग पिता खूबसींग	भूमिस्वामी	100	0.21	0.21	बमूरा-1, बेरी-1, रुसल्ला-1
53	गंगाराम पिता प्रतापसींग	भूमिस्वामी	101/2	0.80	0.80	कुआँ-1, नीम-1, गुरार-1, बेरी-1, रुसल्ला-1, बेरी-1

54	सुरेश बल्द सूरजसींग	भूमिस्वामी	103/2	0.70	0.70	बांसभिरा-1, बेरी-1, अमरुद-2
			103/3	0.40	0.40	बांसभिरा-1, नींबू-1, बेरी-1, अमरुद-1
			103/5	0.40	0.40	बांसभिरा-1,
55	बिहारीलाल वल्द सूरतसींग	भूमिस्वामी	103/4	0.60	0.60	बांसभिरा-1,
56	राजेश पिता सूरतसींग	भूमिस्वामी	103/6	0.64	0.64	गुयार-1, बेरी-3, रुसल्ला-1
महायोग			56	66.29	64.64	

अर्जित भूमि पर स्थित मकानों का विवरण

स. क्र.	मू-धारक का नाम/पिता एवं पति का नाम	मकान धारक का नाम एवं पिता पति का नाम	ख.नं.	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	मकान का विवरण
1	2	3	4	5	6
1	मनोहर पिता लक्षमन	सबरानी बेबा लक्षमन	44	(9.30x14.90) = 138.57 (9.30x14.90) = 138.57 (9.00x5.70) = 51.30	पक्का मकान कच्चा कबेलू कच्चा कबेलू
		रवि पिता लक्षमन	44	(12.00x5.70) = 68.40 (10.00x7.50) = 75.00 (2.70x2.10) = 5.67	कच्चा कबेलू पक्का मकान टिनशेड
2	विजयसिंह, शिवराजसिंह, मुन्नालाल पिता राजाराम, कौशिल्याबाई, छोटीबाई पुत्री राजाराम	शिवराजसींग पिता राजाराम ठाकुर	45	(8.60x4.40) = 37.84 (8.60x2.30) = 19.78 (8.60x3.40) = 29.24 (8.60x3.00) = 25.80 (5.10 x 3.20) = 16.32	पक्का मकान टिनशेड टिनशेड टिनशेड टिनशेड
3	हरप्रसाद बल्द धम्मनसींग	रामेश्वर पिता हरप्रसाद दांगी	47/1	(11.40 x 9.30) = 106.02	कच्चा कबेलू
4	विजयसिंह शिवराजसिंह, मुन्नालाल पिता राजाराम, कौशिल्याबाई, छोटीबाई पुत्री राजाराम	मुन्नालाल पिता राजाराम	47/2	(7.30x5.00) = 36.50	पक्का मकान
				(7.30x5.00) = 36.50 (5.00x5.00) = 25.00 (5.00x5.00) = 25.00 (3.00x6.15) = 18.45 (11.00x11.50) = 126.50	कच्चा कबेलू पक्का मकान कच्चा कबेलू टिनशेड कच्चा कबेलू
5	राजेन्द्रकुमार बल्द शंकरलाल	राजेन्द्रकुमार पिता घासीराम	51	(8.00x3.90) = 31.20 (6.00x6.00) = 36.00 (8.00x3.30) = 26.40	पक्का मकान पक्का मकान टिनशेड
6	रामकिसन, लक्ष्मीनाराण, मदन पिता हल्केमुलाबाई, गौरीबाई, शांतिबाई, चंदाबाई, किरणबाई पुत्री हल्के	विजय पिता घासीराम	50	(6.00x6.00) = 36.00	पक्का मकान
7	अमृतलाल, शेरसींग, दीनदयाल, बाबू, राजामईया पिता नत्थूसींग, शिवरानी बेबा नत्थूसींग	महताप पिता नाथूराम यादव	87	(11.30x3.70) = 41.81 (11.30x2.90) = 32.77	पक्का मकान टिनशेड
		गायत्री पति राजू	87	(11.20x7.00) = 78.40 (7.40x2.00) = 14.80	पक्का मकान टिनशेड

प्रस्तावित भूमि अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों/कुटुंबों के पुर्नव्यवस्थापन हेतु पुर्नव्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में ग्राम- सिलेरा पट.हल्का नं 48 तहसील सागर जिला सागर की भूमि खसरा नं. 182 रकवा 1.39 हे. एवं खसरा नं. 184 रकवा 3.61 हे. कुल 5.00 हेक्टे. भूमि चिन्हित की गई है।

परियोजना हेतु पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर) द्वारा अपने पत्र क्रमांक-112/एफ-स.अ./2018 सागर दिनांक 06.04.2018 द्वारा पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन स्कीम का अनुमोदन किया जा चुका है जिसका सार निम्नानुसार है-

- (1) प्रभावित कुटुंब को प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक वर्ष पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

- (7) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (8) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टॉप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (10) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- (11) जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।
- (11.1) युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
- (11.2) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (11.3) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (11.4) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (11.5) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (11.6) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (11.7) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (11.8) यथेचित पंचायत घर
- (11.9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (11.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (11.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (11.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (11.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (11.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (11.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (11.16) बच्चों के लिए कीड़ा क्षेत्र
- (11.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (11.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (11.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (11.20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।

(12) विस्थापित कुटुंबों को 30*30 वर्गफुट का आवासीय पट्टा दिया जावेगा तथा धारा 16(3) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम कार्यान्वयन के लिये समय-सीमा 03 माह रहेगी।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 16/7/18 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शा तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्रण जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर मुख्यालय सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 28अ-82-17-18-6932

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1) के तहत प्राप्त आपत्तियों के परीक्षण एवं जांच उपरांत समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का अधिनियम की धारा 17(2) के तहत आयुक्त सागर के पत्र क्रमांक 112/एक-स.अ./2018 सागर दिनांक 06.04.18 को अनुमोदन किया जा चुका है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

- (1) परियोजना का नाम : कड़ान मध्यम परियोजना.
- (2) भूमि का विवरण
- जिला : सागर
- तहसील : सागर
- ग्राम : खानपुर
- पट.ह.नं.- : 48
- अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 50.43 हे..

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण
1	2	3	4	5	6	
1.	नन्हीबाई पुत्री जालम धनसींग बा.प्रदीप ना.बा. पिता बबू, सुनीता बबली ना.वा. पुत्री बबू बलि भाई धनसींग सौर	भूमिस्वामी	5	0.47	0.47	बकान-1, सागौन-1, अमरुद-4, मुनगा-1
		भूमिस्वामी	36	0.11	0.11	बेरी-1
2.	परसू पिता गनू फूलरानी पति परशू	भूमिस्वामी	6	0.25	0.25	बमूरा-1, खैर-1, नीम-1, बांसभिरा-2, अमरुद-3, आम-2, बहेरा-1, बेल-2, मुनगा-1, सीताफल-2, बेरी-5
3.	जवाहर पिता गनू,प्रेमरानी पत्नि जवाहर	भूमिस्वामी	7	0.03	0.03	बांसभिरा-1, सागौन-1, अमरुद-1, नींबू-1, मुनगा-1
		भूमिस्वामी	9	0.54	0.54	साज-1, बेरी-1, बहेरा-1
4.	नंदरानी बेबा लक्षमन, कुंदन, मंगल पिता लक्षमन, पानबाई, छोटीबाई पुत्री लक्षमन सौर	भूमिस्वामी	10	0.57	0.57	बांसभिरा-3, रंजा-1, सागौन-1, युकेलिपटिस-1, आम-1, नींबू-1, रूसल्ला-1, अमरुद-1
5.	मोहन पिता गुलई, महरानी पति मोहन	भूमिस्वामी	11	0.51	0.51	बांसभिरा-3, अमरुद-1
		भूमिस्वामी	15	0.07	0.07	-
		भूमिस्वामी	12	0.45	0.45	बांसभिरा-1
6.	नत्थू पिता हीरा संतोषरानी पति नत्थू	भूमिस्वामी	16	0.12	0.12	-

7.	हरिराम पिता मोहन	भूमिस्वामी	13	0.26	0.26	-
		भूमिस्वामी	17	0.11	0.11	-
8.	प्रमिला पति सुरेश कुमार	भूमिस्वामी	19	1.42	1.42	बमूरा-2, बेल-1
		भूमिस्वामी	31	0.20	0.20	-
9.	अनिल कुमार पिता दयाशंकर	भूमिस्वामी	20	1.22	1.22	रैंजा-1, बहेरा-1
		भूमिस्वामी	70/1	0.16	0.16	-
		भूमिस्वामी	70/2	0.40	0.40	-
		भूमिस्वामी	70/3	0.80	0.80	-
10.	कुमुद पति दिनेश कुमार	भूमिस्वामी	21	1.22	1.22	टिनशेड-1, पक्का मकान-2, रैंजा-1, ऊमर-1
11.	राजबाई पुत्री मथुरा	भूमिस्वामी	24/1	0.24	0.24	कुआ-1, रैंजा-1, अमरुद-2
		भूमिस्वामी	80	2.39	2.39	बमूरा-1, गुरार-7, गुमेर-1, बेरी-8
12.	मानकलाल पिता घासीराम	भूमिस्वामी	24/2	0.41	0.41	-
13.	विजयकुमार पिता घासीराम	भूमिस्वामी	24/3	0.40	0.40	युकेलिपटिस-1, रैंजा-1, अमरुद-4, कैथा-1, धामन-2, नैनारे-1
14.	विजय, बालकिशन, मानकचंद, मुल्लू, राजेन्द्र पिता घासीराम, मालती, अनीता कुक्का पुत्री घासीराम बड़ी बहू बेबा घासीराम	भूमिस्वामी	25	2.62	2.62	पाकर-1, पीपर-1, नींबू-5, आम-5
		भूमिस्वामी	79	2.43	2.08	पीपर-2, बांसभिरा-1, बेरी-5
15.	बाबूसींग पिता पूरनसींग	भूमिस्वामी	27	3.55	3.55	पीपर-1, सगौना-1, बेरी-1
		भूमिस्वामी	82	1.75	1.75	पाकर-1, बेरी-3
		भूमिस्वामी	84	0.07	0.07	रुसल्ला-1
16.	सीमा पति अखिलेश कुमार	भूमिस्वामी	28	1.62	1.62	कुआ-1, बहेरा-1, बेरी-3
		भूमिस्वामी	29	1.62	1.62	कुआ-1, पक्का मकान-2, बेरी-4
17.	परसू पिता गनू, फूलरानी पति परसू	भूमिस्वामी	35	0.32	0.32	बेरी-3
18.	शिवरानी पति बैनीसींग उर्फ श्रीकृष्ण	भूमिस्वामी	42	0.46	0.46	ऊमर-1, बेल-1, बेरी-4
19.	भागीरथ, जवाहर, परसू पिता गनुआ, श्यामाबाई, मुन्नीबाई पुत्री जनक नन्हीबाई पुत्री जालम, धनसींग बा. प्रदीप ना. बापिता बब्बू सुनीता वा. बलि ना. बा. बब्बू बलिभाई, धनसींग, कुंदन मंगल पिता लक्षमन, पानबाई, छोटीबाई पुत्री लक्षमन, नंदरानी बेबा लक्षमन सौर	भूमिस्वामी	43	0.08	0.08	नीम-1, बेल-1, बेरी-1
20.	गनेशी पति बारेलाल	भूमिस्वामी	44	0.04	0.04	-
21.	पूरन हलकाई, शंकर, तुलसी, रामकिशन पिता मथुरा लक्ष्मीबाई, शांतिबाई, रम्मोबाई, छोटीबाई पुत्री मथुरा	भूमिस्वामी	47	1.22	1.22	कुआ-1, गुरार-2, अमरुद-10
		भूमिस्वामी	49	0.04	0.04	बांसभिरा-5, नींबू-1
		भूमिस्वामी	59	0.38	0.38	सगौना-8, बेरी-4
22.	चेतू पिता तिजई	भूमिस्वामी	50	0.04	0.04	इमली-1, मुनगा-3
23.	पार्वती पति डोमे	भूमिस्वामी	51	0.06	0.06	-
24.	ज्ञानसिंह पिता बलरामसींग दांगी	भूमिस्वामी	52/1	0.38	0.38	जामुन-1, सगौना-4, बांसभिरा-1, ऊमर-1, नींबू-2, आम-2, बेरी-1, अमरुद-1
		भूमिस्वामी	72/3	0.82	0.82	-
25.	लखनसिंह, गोविंदसिंह, अमृतसिंह उर्फ इमरतसिंह, राकेशसिंह, ज्ञानसिंह, लक्ष्मीबाई पिता बलरामसिंह, दुर्गेश, विजेता, मदन, अनुराधा पिता रामसिंह बलिमाँ वखुद गोमतीबाई, रामसिंह	भूमिस्वामी	52/2	0.02	0.02	-
26.	द्वारका प्रसाद, प्रकाश पिता रामनाथ	भूमिस्वामी	60	2.26	2.26	कुआ-1, सगौना-1, युकेलिपटिस-1, गुमेर-1, अमरुद-4, नींबू-5, आवला-4, बेरी-4

27.	श्यामसुंदर, महादेव, महरवान, श्रीराम पिता परसराम, सरोजबाई पुत्री परसराम	भूमिस्वामी	61	0.10	0.10	कुआ-1, सागौन-60, अमरुद-10
		भूमिस्वामी	66/2	0.50	0.50	बांसभिरा-5, नींबू-15
		भूमिस्वामी	68	2.58	2.58	कुआ-1, ऊपर-2, बेरी-10
		भूमिस्वामी	70/4	0.30	0.30	बमूरा-6, नीम-2, बेरी-5, धामन-1
28.	घसीटा पिता बारे	भूमिस्वामी	62	0.03	0.03	-
29.	अनूप पिता मोहन	भूमिस्वामी	63	0.04	0.04	-
30.	दुर्गेश, विजेता, महक, अनुराधा ना. बा. पिता रामसिंह बलिमां व खुद गोमतीबाई	भूमिस्वामी	65	0.09	0.09	कुआ-1, नीम-2, बांसभिरा-2, यूकेलिपटिस-3, करियासेजो-2, बेरी-3
		भूमिस्वामी	67	0.07	0.07	गुरार-1, सागौन-4, बेल-1, बेरी-1, अमरुद-1
		भूमिस्वामी	74/2	1.04	1.04	-
31.	नथनसिंह पिता बलरामसिंह	भूमिस्वामी	66/1	0.75	0.75	सागौन-4, गुरार-1, नीम-1, अरतो-1, बांसभिरा-1, जामुन-1, बेरी-1, अमरुद-2
		भूमिस्वामी	74/1	0.45	0.45	-
32.	ब्रजेश कुमार पिता दयाशंकर	भूमिस्वामी	69	0.81	0.81	बेरी-3
33.	विजय, बालकिशन, मानकचंद, मुल्लू, राजेन्द्र पिता घासीराम, मालती, अनीता, कुक्का पुत्री घासीराम बड़ी बहू बेबा घासीराम	भूमिस्वामी	71/1	1.28	1.28	बमूरा-4, बेरी-4, रुसल्ला-1
34.	मनोज, केसर, सतीष, कपिल उर्फ छोटू पिता सालकराम, मीना, सीमा पुत्रिया सालकराम, आशा बेबा सालकराम	भूमिस्वामी	71/2	1.27	1.07	बमूरा-10, बेरी-12
35.	अमृतसिंह पिता बलरामसिंह	भूमिस्वामी	72/1	0.46	0.46	सागौन-4, बेरी-1, धामन-2
		भूमिस्वामी	74/3	0.74	0.74	बांसभिरा-1, बमूरा-1, नीम-2, सीसोन-1, यूकेलिपटिस-2, अरतो-2, अंजीर-1, बेल-1
36.	राकेश पिता बलरामसिंह	भूमिस्वामी	72/2	1.20	1.00	बांसभिरा-1, साज-1, पाडेर-5, तैदू-1, गुरार-2, केलिपटिस-2, रतनजोत-2, कदम-1, बमूरा-6, खैर-1, बेरी-8, आवला-1, सीताफल-2, अनार-1, अमरुद-8, नींबू-3
37.	गोविन्दसिंह पिता बलरामसिंह	भूमिस्वामी	73	1.35	1.35	सागौन-4, गुरार-1, बांसभिरा-1, बमूरा-4, खैर-3, बेरी-1, आवला-1, अमरुद-2
38.	बृजरानी बेबा जगन्नाथ गौरी, मोहन, मानसींग पि. जगन्नाथ प्रसाद, नत्थूबाई, पुत्री जगन्नाथ, प्रसाद, प्रदीप, दीपक, सुषमा पिता मूलचंद, अमोलरानी बेबा मूलचंद	भूमिस्वामी	75	1.59	0.50	नीम-1, बहेरा-1, बेरी-5
39.	प्रदीप दीपक बल्द मूलचंद सुषमा पुत्री मूलचंद, अलोपरानी बेबा मूलचंद	भूमिस्वामी	76/2	0.29	0.29	पीपर-1, बेरी-1
40.	बृजरानी बेबा जगन्नाथ	भूमिस्वामी	76/3	0.19	0.19	बमूरा-1, रेंजा-1
41.	गौरीशंकर बल्द जगन्नाथ, बृजरानी बेबा जगन्नाथ	भूमिस्वामी	76/4	0.28	0.17	पीपर-1, गुरार-1, नीम-1, बेरी-3
42.	रमेश बल्द परम	भूमिस्वामी	76/6	0.57	0.18	नीम-1
43.	कांशीराम बल्द परम	भूमिस्वामी	76/7	0.57	0.11	बमूरा-1, रेंजा-1
44.	अनिल बल्द रामनाथ	भूमिस्वामी	76/8	0.57	0.04	साज-1, नीम-1
45.	रामनाथ बल्द परम	भूमिस्वामी	76/9	0.58	0.04	कुआ-1, अरतो-1, नीम-1
46.	दीपक बल्द मूलचंद यादव	भूमिस्वामी	76/10	0.10	0.10	कुआ-1
		भूमिस्वामी	76/11	0.10	0.10	-

47.	रामचरण बलद लछमन	भूमिस्वामी	78/1	0.65	0.48	कुआ-1, जामुन-1, साज-4, सागीन-1, बीजा-1, गुरार-1, बेरी-1
48.	विष्णु उर्फ विश्वनाथ व लछमन	भूमिस्वामी	78/2	0.65	0.20	बसभिरा-4, नीम-2, जामुन-1, गुरार-1, खागेर-4, सागीन-13 आम-2, नीबू-2, आवला-2, अमरुद-6
49.	भगवानसींग बलद लक्षमन	भूमिस्वामी	78/3	0.65	0.14	साज-1, सागीन-5, बेरी-1, आवला-2, बेल-1, रुसल्ला-1
50.	बाबू पिता पूरनसिंह, शिवरानी, शीलाबाई बेबा पूरनसिंह	भूमिस्वामी	81	3.35	3.35	बमूस-1, बेरी-7
		भूमिस्वामी	83	0.10	0.10	गुरार-3, पीपर-1, रुसल्ला-1
	महायोग		50	55.63	50.43	

अर्जित भूमि पर स्थित मकानों का विवरण

स.क्र.	भू-धारक का नाम/पिता एवं पति का नाम	मकानधारक का नाम एवं पिता पति का नाम	ख.नं.	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	मकान का विवरण
1	2	3	4	5	6
1	ज्ञानसिंह पिता बलरामसींग दांगी	राकेशसिंह पिता बलराम ठाकुर	52/1	(2.40x3.40) = 8.16 (3.50x8.95) = 31.33 (8.05x8.95) = 70.05 (2.40x3.50) = 8.40	टिनशेड टिनशेड पक्का टिनशेड
2	लखनसिंह, गोविंदसिंह, अमृतसिंह उर्फ इमरतसिंह, राकेशसिंह, ज्ञानसिंह, लक्ष्मीबाई पिता बलरामसिंह, दुर्गेश, विजेता, मदन, अनुराधा पिता रामसिंह बलिमों वखुद गोमतीबाई बे.रामसिंह	गोमतीबाई पत्नि रामसींग दांगी	52/2	(6.70x8.50) = 56.25	टिनशेड
3	शिवरानी पत्नि बैनीसींग उर्फ श्रीकृष्ण	रामस्वरूप पिता बैनीसींग दांगी गौरीशंकर पिता बैनीसींग दांगी शिवराज पिता बैनीसींग	42 42 42	(3.20x10.00) = 32.00 (10.80x9.80) = 105.84 (5.90x2.20) = 12.98 (3.20x5.90) = 18.88	कच्चा कबेलू कच्चा कबेलू कच्चा कबेलू

प्रस्तावित भूमि अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों/कुटुंबों के पुर्नव्यवस्थापन हेतु पुर्नव्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में ग्राम- सिलेरा पट.हल्का नं 48 तहसील सागर जिला सागर की भूमि खसरा नं. 182 रकवा 1.39 हे. एवं खसरा नं. 184 रकवा 3.61 हे. कुल 5.00 हेक्टे. भूमि चिन्हित की गई है।

परियोजना हेतु पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर) द्वारा अपने पत्र क्रमांक-112/एफ-स.अ./2018 सागर दिनांक 06.04.2018 द्वारा पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन स्कीम का अनुमोदन किया जा चुका है जिसका सार निम्नानुसार है-

- (1) प्रभावित कुटुंब को प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अत्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (7) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (8) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टॉप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।

- (9) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी त्रिल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (10) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- (11) जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सकें और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।
- (11.1) युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
- (11.2) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (11.3) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (11.4) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (11.5) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (11.6) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (11.7) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (11.8) यथेचित पंचायत घर
- (11.9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (11.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (11.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (11.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (11.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (11.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केंद्र
- (11.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (11.16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (11.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (11.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (11.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (11.20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।

(12) विस्थापित कुटुंबों को 30*30 वर्गफुट का आवासीय पट्टा दिया जावेगा तथा धारा 16(3) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम कार्यान्वयन के लिये समय-सीमा 03 माह रहेगी।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 16/07/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर मुख्यालय सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

क्र. 18-2018-एलए-रा.प्र.क्र.-0014-अ-82-2017-18 पलासी

खण्डवा, दिनांक 30 मई 2018

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्र. 12.02.2014/सात/ए दिनांक 12.11.2014 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.2014) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू धारकों की "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" जारी की गई है।

इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम जल संसाधन विभाग खण्डवा की पलासी तालाब योजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्राम पलासी के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भू-स्वामी/भू स्वामियों द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र-ख में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है। आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कण्डिका-11(1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अन्तर्गत भूमि/मकान विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि/मकान के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि/मकान का विवरण

जिला खण्डवा, तहसील खण्डवा, पटवारी हल्का नं. 14, ग्राम पलासी राजस्व निरीक्षक मण्डल
चिचगोहन प्रभावित रकबा :- 2.65 हेक्टेयर

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे. में	प्रभावित रकबा हे. में	सिंचित रकबा हे. में	असिंचित रकबा हे. में	अन्य सम्पत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुखलाल पिता गन्या	742	1.20	0.06	0.06	0	निरंक
2	कलाबाई पति शंकर	743	2.16	0.08	0.08	0	निरंक
3	राजाराम पिता तोताराम	744	1.52	0.04	0.04	0	निरंक
		756	2.99	0.15	0.15	0	निरंक
4	उमाबाई पति गजेन्द्रसिंह	745	1.39	0.05	0.05	0	निरंक
5	भैयालाल पिता नत्थु, कलाबाई,	751	1.85	0.05	0.05	0	निरंक

स. क्र.	भूमि-स्वामी का नाम, पिता का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे. में	प्रभावित रकबा हे. में	सिंचित रकबा हे. में	असिंचित रकबा हे. में	अन्य सम्पत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
	मलईबाई, भागवतबाई पुत्री नत्थु	753	1.76	0.10	0.10	0	निरंक
6	आनंदराम पिता मांगीलाल, कैलाश पिता मांगीलाल, रुखडईबाई विधवा मांगीलाल	752	1.84	0.04	0.04	0	निरंक
7	नैयालाल पिता नत्थु	754	1.34	0.12	0.12	0	निरंक
8	बाबू पिता नत्थु, नथईबाई विधवा नत्थु, जमनाबाई, ताराबाई पुत्री नत्थु	773	4.16	0.11	0.11	0	निरंक
9	भागीरथ पिता बाबूलाल	671/2	0.59	0.10	0.10	0	निरंक
10	दशरथ पिता बाबुलाल	671/1	0.58	0.03	0.03	0.00	निरंक
11	मोहन पिता हरी	775	1.06	0.06	0.06	0.00	निरंक
12	हीरालाल पिता ऊंकार	769	0.64	0.05	0.00	0.05	निरंक
13	कडवा, मोहन, मकुन्द, उत्तम, सोहनलाल पिता हरी, गोदावरीबाई, कलाबाई पुत्री हरी, निवासी- रोहनाई	776	1.88	0.02	0.02	0.00	निरंक
		778	1.39	0.04	0.04	0.00	निरंक
14	काशीराम पिता उमराव	782	1.18	0.03	0.03	0.00	निरंक
15	बिसन, फत्तू पिता जालम	774	1.11	0.06	0.00	0.06	निरंक
16	छोगालाल, सुरेन्द्र, संतोष पिता मांगीलाल, जगमईबाई वि मांगीलाल, कंचनबाई पुत्री मांगीलाल	704	1.95	0.45	0.45	0.00	निरंक
17	बसंत कुमार पिता कमलचंद	702/1/2	0.69	0.09	0	0.09	निरंक
18	धमईबाई बेवा कन्हैया, गणपत, नारायण, रामलाल पिता कन्हैया	702/1/1	0.81	0.20	0	0.20	निरंक
19	गडबड, नबल पिता फत्तू	712	2.23	0.12	0.12	0.00	निरंक
20	जतन, गोपाल, हीरा, धीरादुला पिता रुखडू	685	0.08	0.03	0	0.03	निरंक
21	रूपाबाई पति परसराम	689	0.09	0.03	0	0.03	निरंक
22	कुलनबाई पिता सेवकराम	690	0.03	0.02	0	0.02	निरंक
23	नाना पिता उमराव	694	0.02	0.02	0	0.02	निरंक
24	मंशाराम पिता माधव	695	0.03	0.01	0	0.01	निरंक
25	करसन पिता बापू, रूपाबाई पुत्री बापू, नंदराम, छज्जू पिता मंगू, कस्तुरीबाई विधवा मंगू	278	0.51	0.10	0.10	0.00	निरंक
26	भंवरसिंह पिता भोमासिंह	279/1	1.58	0.07	0.07	0.00	निरंक
27	रामपालसिंह पिता भीमसिंह	279/2	1.57	0.07	0.07	0.00	निरंक
28	मृदुला पति मनोज	280	0.87	0.05	0.05	0.00	निरंक
29	मायाबाई पति जयराम	284	1.96	0.14	0.14	0.00	निरंक
30	सावित्रीबाई बेवा कडवा, रामचंद्र पिता कडवा	285	0.97	0.06	0.06	0.00	निरंक
31	सूरजबाई विधवा मोजेलाल	701 शासकीय	0	0	0	0	टप्पर-1

विशेष गढ़पाले, कलेक्टर.

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

पत्र क्र. 1887-कार्य-2018

खण्डवा, दिनांक 18 जून 2018

केवियट हेतु विज्ञप्ति

00000

सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि म0प्र0 शासन जल संसाधन विभाग के अधीन कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खण्डवा जिला खण्डवा (म.प्र.) अंतर्गत अनुबंध क्रं. 04/2017-18 के माध्यम से निर्माणाधीन भाम मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना है परियोजना के डूब क्षेत्र में ग्राम सेमल्या, बरार, राजगढ़, हण्डियाखेड़ा एवं लुन्हार तहसील खण्डवा की आंशिक जमीन प्रभावित होगी। परियोजना से 6100 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित होकर परियोजना का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

परियोजना डूब प्रभावितों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन से अधिक की मांगों को लेकर न्यायालयीन स्थगन आदेश प्राप्त कर निर्माण कार्य को बाधित किया जाना संभावित है।

म0प्र0 शासन विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल (म.प्र.) की अनुमति अनुसार माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा शासन का पक्ष सुने बगैर एक तरफा स्थगन आदेश पारित न हो इसलिए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में केवियट दायर की जा रही है।

एस. एम. चतुर्वेदी, कार्यपालन यंत्री.

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

क्र. भू-अर्जन-18-1442-प्र. क्र. 21-अ-82-2017-18

रतलाम, दिनांक 6/12 जून 2018

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि कय नीति 2014)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "सेमलखेड़ा तालाब योजना" तहसील सैलाना जिला रतलाम के निर्माण हेतु ग्राम आम्बाकुडी के खाताधारको की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2 ए/भोपाल दिनांक 12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करे। नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

कं.	कृषकगण का नाम व पिता का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	गौतम पिता रंगजी फुलकी बेवा रंगजी भील सा.देह भूमिस्वामी	52	—	0.180	0.180	—
2	गौतम पिता रंगजी फुलकी बेवा रंगजी फिरकी बेवा फुल्या भील सा. देह भूमिस्वामी	53	0.840	0.020	0.860	पड़त भूमि 0.010 हे कुवा कच्चा 0.010
3	मकना पिता दीपा, पुंजडी बेवा दीपा भील सा. देह भूमिस्वामी	55	—	0.300	0.300	—
4	करमा, प्रमु, छगन, हिन्दु पिता नरु मीरा बेवा नरु, एतरी बेवा नरु भील सा.देह भूमिस्वामी	56	0.550	—	0.550	—
5	सतु नाबा.पिता नाथु नाबा. सा0माता गीता, गीता बेवा नाथु हि01/2 नागजी रामलाल पिता केरिंग, जवरी बेवा केरिंग व प्रकाश, सतु रेखा रामिया नाबा. पिता वेस्ता नाबा. सा0 माता शम्भुडी हिस्सा 1/2 भागजी पिता - गौतम अणदु बेवा गौतम समंद बेवा खातु हि0 1/2 भील सा. देह भूमिस्वामी	100 101	— —	0.250 0.350	0.600	
		कुल किता 06	1.390	1.100	2.490	

क्र. भू-अर्जन-18-प्र. क्र. 20-अ-82-2017-18

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि कय नीति 2014)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "डोडियाना बैराज योजना" तहसील जावरा जिला रतलाम के निर्माण हेतु ग्राम उदियाखेडी के खाताधारको की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2 ए/भोपाल दिनांक 12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करे। नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

"ग्राम उदियाखेडी" पटवारी हल्का नं० 68

क्र.	कृषकगण का नाम व पिता का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	गंगाराम पिता देवा जाति किर निवासी ग्राम उदियाखेडी	262	0.12	—	0.12	—
2	ममर पिता देवा जाति किर निवासी उदियाखेडी	258 में से	0.03	—	0.03	—
	कुल योग :-	किता 2	0.15	—	0.15	—

रूचिका चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 7888-अ-2017-2018

धार, दिनांक 11 जून 2018

प्रारंभिक अधिसूचना का संशोधन पत्र

अन्तर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1503/2017-18 धार दिनांक 12.02.2018 के माध्यम से बाण्डी तालाब निर्माण योजना अंतर्गत ग्राम मूसापुरा तहसील व जिला धार की निजी भूमि क्षेत्रफल 3.455 हेक्टर के अधिग्रहण हेतु धारा-11 की प्रारम्भिक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसका प्रकाशन म.प्र. राजपत्र में दिनांक 16.03.2018 को पृष्ठ क्रमांक 1651 पर तथा दैनिक हिन्दी समाचार पत्र नईदुनिया में दिनांक 24.02.2018 को तथा चैतन्यलोक समाचार पत्र में दिनांक 24.02.2018 को प्रकाशन हुआ है।

चूंकि उक्त अधिसूचना का कुछ अंश त्रुटिपूर्ण प्रकाशन होने से निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे।

स.क्र.	त्रुटिपूर्ण प्रकाशन				प्रकाशन होना था जो पढ़ा जावे।			
	कृषक का नाम	खसरा क्रमांक	प्रभावित क्षेत्रफल हेक्टर में	भूमि की स्थिति सिंचित/असिंचित	कृषक का नाम	खसरा क्रमांक	प्रभावित क्षेत्रफल हेक्टर में	भूमि की स्थिति सिंचित/असिंचित
1.	अनिल उर्फ राधेश्याम जाति गवली निवासी धार	163/1	0.500	सिंचित	अनिल उर्फ राधेश्याम जाति गवली निवासी धार	163/1	0.550	सिंचित
2.	गणपतसिंह पिता शंकरलाल जाति गवली निवासी धार	163/2	0.480	सिंचित	गणपतसिंह पिता शंकरलाल जाति गवली निवासी धार	163/2	0.450	सिंचित
3.	चन्द्रशेखर, प्रताप, दीपक, लोकेश पिता सदाशिव जाति गवली निवासी धार	163/3	0.285	असिंचित	चन्द्रशेखर, प्रताप, दीपक, लोकेश पिता सदाशिव जाति गवली निवासी धार	163/3	0.280	असिंचित
4.	द्वारकाबाई पति स्व. शिवनारायण, लखनसिंह पिता शिवनारायण जाति गवली निवासी धार	163/4	0.280	सिंचित	द्वारकाबाई पति स्व. शिवनारायण, लखनसिंह पिता शिवनारायण जाति गवली निवासी धार	163/4	0.305	सिंचित

उक्तानुसार संशोधन के कारण कुल प्रभावित क्षेत्रफल में परिवर्तन होने से अब संशोधित कुल प्रभावित क्षेत्रफल 3.495 हेक्टर पढ़ा जावे। अधिसूचना का शेष प्रकाशन यथावत माना जावे।

प्र. क्र. 8031-अ-2017-2018

धार, दिनांक 13 जून 2018

प्रारंभिक अधिसूचना का संशोधन पत्र

अन्तर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में कारण मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम माफीपुरा तहसील धार जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम- माफीपुरा

तहसील धार जिला धार

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1.	बाण्डी सिंचाई तालाब योजना के निर्माण में प्रभावित होने से	3.151	0.000	3.151
	योग	3.151	0.000	3.151

अनुसूची (2)

बाण्डी सिंचाई तालाब योजना अन्तर्गत ग्राम माफीपुरा तहसील धार की प्रभावित भूमि का विवरण

क.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	जरीनाबाई पति स्व. मोहम्मद, सलमान, अमीन, जावेद, परवेश, अल्ताफ, अरबाज, रजीया, ना.बा. पिता मोहम्मद, पालनकर्ता माता जरीनाबाई, कालेखां पिता भोन्दुखां, अमीनाबाई, पति स्व. भोन्दुखां, सादीक, रुकसद, ना.बा. पिता इस्माईलखां, पालनकर्ता माता सुलतानाबाई पति स्व. इस्माईलखां, सजीय पिता छोट्टु, जिन्नत पति स्व. छोट्टु जाति मेवाती निवासी ग्राम माफीपुरा	406/1	0.582	0.000	0.582	0.147	0.000	0.147
2	सुरेशचन्द्र, दीनबन्धु, अशोककुमार, शरदकुमार पिता बाबुलाल, जयन्ति पिता बाबुलाल, छोटीबाई पति स्व. बाबुलाल, विद्यादेवी पति स्व. शंकरलाल, अनिल, संजय पिता शंकरलाल जाति ब्राम्हण निवासी धार	401	0.493	0.000	0.493	0.080	0.000	0.080
		405	1.518	0.000	1.518	1.518	0.000	1.518
3	राधाबाई पति शरदकुमार जाति ब्राम्हण निवासी धार	403	0.721	0.000	0.721	0.721	0.000	0.721
		407	1.960	0.000	1.960	0.685	0.000	0.685
	योग		5.274	0.000	5.274	3.151	0.000	3.151

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश

प्र. क्र. 46-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2018-7416

मुरैना दिनांक 12 जून 2018

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत])

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-बडोना, प0ह0क0-113 रा0नि0 वृत्-07 तहसील -जौरा उपखण्ड- जौरा जिला-मुरैना में कुल 1.272 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम-बडोना, प0ह0क0-113 रा0नि0 वृत्-07 तहसील-जौरा उपखण्ड-जौरा जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना
ख. तहसील जौरा
ग. ग्राम बडोना
घ. लगभग क्षेत्रफल 1.272 हेक्टेयर
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल (हेक्ट.)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टे.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	829/ 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.120	0.174	प्रभू धर्मसिंह पुत्रान जीवनलाल जाति जाटव पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय भू0रा0 8.28
2	832	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.330	0.097	श्रीपति रघुनाथ आदिराम पुत्रान फददी सरवदी पुत्री फददी स0 भा0 1/4 गोले गौरीचरन पिस0 बंशी स0 भाग 1/2 मु किन्ती बेवा रामभजन सुल्तान कल्ला पुत्रान रामभजन कैलाशी पुत्री रामभजन स0भा0 4/20 सरोज बेवा गोपाल अजय पुत्र गोपाल स0भा0 1/20 जाति धोबी पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 11.37
3	833	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.430	0.095	श्रीपति रघुनाथ आदिराम पुत्रान फददी सरवदी पुत्री फददी स0 भा0 1/4 गोले गौरीचरन पिस0 बंशी स0 भाग 1/2 मु किन्ती बेवा रामभजन सुल्तान कल्ला पुत्रान रामभजन

						कैलाशी पुत्री रामभजन स०भा० 4/20 सरोज बेवा गोपाल अजय पुत्र गोपाल स०भा० 1/20 जाति धोबी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू०रा०शा० 832
4	834	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.360	0.052	श्रीपति रघुनाथ आदिराम पुत्रान फददी सरवदी पुत्री फददी स० भा० 1/4 गोले गौरीचरन पिस० बंशी स० भाग 1/2 मु किन्ती बेवा रामभजन सुल्तान कल्ला पुत्रान रामभजन कैलाशी पुत्री रामभजन स०भा० 4/20 सरोज बेवा गोपाल अजय पुत्र गोपाल स०भा० 1/20 जाति धोबी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू०रा०शा० 832
5	841	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.340	0.031	श्रीपति रघुनाथ आदिराम पुत्रान फददी सरवदी पुत्री फददी स० भा० 1/4 गोले गौरीचरन पिस० बंशी स० भाग 1/2 मु किन्ती बेवा रामभजन सुल्तान कल्ला पुत्रान रामभजन कैलाशी पुत्री रामभजन स०भा० 4/20 सरोज बेवा गोपाल अजय पुत्र गोपाल स०भा० 1/20 जाति धोबी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू०रा०शा० 832
6	842	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.900	0.010	परिमाल पुत्र फददी जाति जाटव पता नि० ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय भू० राजस्व 9.00
7	846	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.380	0.002	बटुरीसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति ठाकुर पता नि०ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 0.87
8	847	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.290	0.048	बटुरीसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति ठाकुर पता नि०ग्राम भूमिस्वामी भू०रा०शा० 846
9	848	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.560	0.066	सरदारसिंह पुत्र माधोसिंह जाति जादौन पता नि० ग्राम भूमिस्वामी मु० बिमला बेवा भूपसिंह जाति जादौन पता पि०ग्राम स०भाग भूमिस्वामी भू-राजस्व 2.56
10	851	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.050	0.023	गौरीचरन पुत्र बंशी जाति धोबी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 0.24
11	852/ 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.360	0.044	दलवीर लवकुश पि० रामेश्वर, गीता बेवा रामेश्वर जादौन ठा० पता निवासी ग्राम स० भाग भूमिस्वामी भू-राजस्व 4.50
12	852/ 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.310	0.069	सुरेशपाल पुत्र वंशलाल जाति ठाकुर पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 4.50
13	853	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.320	0.042	सरदारसिंह पुत्र माधोसिंह जाति जादौन पता नि० ग्राम भूमिस्वामी- मु० बिमला बेवा भूपसिंह जाति जादौन पता नि० ग्राम स० भाग भूमिस्वामी भू-राजस्व 4.25

14	854	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.330	0.090	श्रीपति रघुनाथ आदिराम पुत्रान फददी सरवदी पुत्री फददी स० भा० 1/4 गोले गौरीचरन पिस० बंशी स० भाग 1/2 मु किन्ती बेवा रामभजन सुल्तान कल्ला पुत्रान रामभजन कैलाशी पुत्री रामभजन स०भा० 4/20 सरोज बेवा गोपाल अजय पुत्र गोपाल स०भा० 1/20 जाति धोबी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 5.10
15	857	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.060	0.059	श्रीपति रघुनाथ आदिराम पुत्रान फददी सरवदी पुत्री फददी स० भा० 1/4 गोले गौरीचरन पिस० बंशी स० भाग 1/2 मु किन्ती बेवा रामभजन सुल्तान कल्ला पुत्रान रामभजन कैलाशी पुत्री रामभजन स०भा० 4/20 सरोज बेवा गोपाल अजय पुत्र गोपाल स०भा० 1/20 जाति धोबी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू०रा०शा० 854
16	858	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.470	0.020	सरदारसिंह पुत्र महाराज सिंह जाति जादौन पता नि. ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 7.19 फेरनसिंह पुत्र चन्दनसिंह जाति ठाकुर पता नि० ग्राम अधिपत्य कृषक मु० जा० 12 साल
17	859	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.080	0.012	सरदारसिंह पुत्र माधोसिंह विमला बेवा भूपसिंह जाति जादौन पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.25
18	860	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.360	0.025	सरदारसिंह पुत्र माधोसिंह जाति जादौन पता नि० ग्राम भूमिस्वामी मु० बिमला बेवा भूपसिंह जाति जादौन पता नि० ग्राम स० भाग भूमिस्वामी भू-राजस्व 4.81
19	862	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.230	0.004	नरेन्द्र सिंह पुत्र सूरतसिंह जाति जादौन पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 3.12
20	892	शासकीय पट्टेदार	कृषि भूमि	0.110	0.022	किन्ती वेवा रामभजन अजय नाबा० पुत्र गोपाल कैलाशी पुत्री रामभजन सुल्तान कल्ला पि० रामभजन स० भाग जाति धोबी पता नि० ग्राम शासकीय पट्टेदार अहस्तान्तर्णीय लगान 0.52
21	894	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.550	0.073	साहबसिंह पुत्र मनोहरसिंह जाति ठाकुर पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 7.44
22	895	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.220	0.039	साहबसिंह पुत्र मनोहरसिंह जाति ठाकुर पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 2.94
23	896	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.410	0.013	श्रीमानजी पुत्र हाकिमसिंह जाति ठाकुर पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू०रा०शा० 137
24	927	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.340	0.027	सरदारसिंह पुत्र महाराजसिंह जाति जादौन पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू०रा०शा० 579

25	958	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.240	0.007	फूलो देवा धनीराम रनवीर धीरज शिवसिंह पुत्रान धनीराम समान भाग जाति बघेल पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.87
26	964	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.430	0.005	दिनेश पुत्र रामरतन सोमवती कुशमा पुत्रीयां रामरतन रमेश रज्जू कमलेश मौजी मुकेश प्रभू पुत्रान देवी सुनीता ममता पुत्रीयां देवी गुड्डी बेवा कमलेश पवन दीपू बा० मोनू संदीप छोटू नाबा० पिस कमलेश सरप मां खुद सूवेदार धर्मेन्द्र अमृत पुत्रान दुलारी पुष्पा मचला रीना पुत्रिया दुलारी स०भा० 1/2 नि० ग्राम श्रीनिवास पुत्र बैजन्ती रामबेटी बातो पुत्रीया बैजन्ती पत्नी चिन्दू भाग 1/2 जाति घोबी पता नि० ग्राम सिलारपुर भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.87
27	968	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.140	0.037	दिनेश पुत्र रामरतन सोमवती कुशमा पुत्रीयां रामरतन रमेश रज्जू कमलेश मौजी मुकेश प्रभू पुत्रान देवी सुनीता ममता पुत्रीयां देवी गुड्डी बेवा कमलेश पवन दीपू बामोनू संदीप छोटू नाबा० पिस कमलेश सरप मां खुद सूवेदार धर्मेन्द्र अमृत पुत्रान दुलारी पुष्पा मचला रीना पुत्रिया दुलारी स०भा० 1/2 नि० ग्राम श्रीनिवास पुत्र बैजन्ती रामबेटी बातो पुत्रीया बैजन्ती पत्नी चिन्दू भाग 1/2 जाति घोबी पता नि० ग्राम सिलारपुर भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.44
28	969	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.690	0.086	त्रिबेणी पुत्री कंचनसिंह पत्नी मुरारीसिंह जाति जादौन पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 3.12
कुल	28			10.410	1.272	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 44-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2018-7418

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलों रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम- मुंदावली प0ह0क0-65 रा0नि0 वृत्-04 तहसील -जौरा उपखण्ड- जौरा जिला-मुरैना में कुल 0.454 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- मुंदावली, प0ह0क0-65 रा0नि0 वृत्-04 तहसील- जौरा उपखण्ड- जौरा जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	जौरा
ग. ग्राम	मुंदावली
घ. लगभग क्षेत्रफल	0.454 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल (हेक्ट.)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्ट.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	13	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.440	0.044	दयाशंकर देवेन्द्र पिता रामबाबू जाति ब्राम्हण पता नि0 ग्राम समान भाग भूमिस्वामी।
2	14	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.430	0.044	दयाशंकर देवेन्द्र पिता रामबाबू जाति ब्रा0 पता नि0 ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी बच्चनलाल पुत्र सुन्दरलाल जाति ब्रा0 पता नि0 ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी।
3	16	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.250	0.039	प्रभुसिंह हि0 0.09 शिवचरन 0.09 पुत्रान चतुरे जाति जाटव विश्राम पुत्र बुद्धि हि0 रकवा 0.21 अवधेश पुत्र सुन्दरलाल हि0 रकवा 0.21 जाति ब्रा0 दर भाग 1/3 सुमेरा मातादीन पिस सोनी सामन्ती रामा रेवती नारायणी रामरती पुत्रियां सोनी मु0 सोने बेवा सोनी समान भाग 1/3 कुंअरपाल पुत्र सुमेरा जाति जाटव हि0 1/3 पता निवासी ग्राम

						भूमिस्वामी भू०रा०शा० दुल्ली पुत्र बलराम जाति जाटव नि० पता नि० ग्राम लगान 2.00 थरा अधिपत्य कृषक मु० जा० 12 साल।
4	17	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.370	0.043	विश्राम पुत्र बुध्दा जाति जाटव पता नि० बिरला नगर, ग्वालियर भूमि स्वामी।
5	18	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.670	0.094	रामहित पुत्र जसवंत जाति ब्रा० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।
6	31/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.220	0.033	प्रेमसिंह शशीकान्त पुत्रान जाहर सिंह रामसनेही बेवा जाहर सिंह जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी।
7	31/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.260	0.064	रामभरोषी पुत्र श्रीकृष्ण जाति रावत पता निवासी ग्राम थरा भूमि स्वामी।
8	32	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.430	0.004	श्रीराम जयराम पिस प्रभू दयाल जाति ब्राम्हण पता निवासी ग्राम मुदावली भूमिस्वामी।
9	34	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.380	0.020	श्रीराम जयराम पिस प्रभू दयाल जाति ब्राम्हण पता निवासी ग्राम मुदावली भूमिस्वामी।
10	35	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.060	0.032	श्रीराम जयराम पिस प्रभू दयाल जाति ब्राम्हण पता निवासी ग्राम मुदावली भूमिस्वामी।
11	36	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.320	0.037	श्रीराम जयराम पिस प्रभू दयाल जाति ब्राम्हण पता निवासी ग्राम मुदावली भूमिस्वामी।
कुल	11			3.830	0.454	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष - धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 40-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2018-7417

{ (भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम- थरा प0ह0क0-00042 रा0नि0 वृत्-02 तहसील -जौरा उपखण्ड- जौरा जिला-मुरैना में कुल 1.238 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- थरा प0ह0क0-00042 रा0नि0 वृत्-02 तहसील- जौरा उपखण्ड- जौरा जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवयष्कता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	जौरा
ग. ग्राम	थरा
घ. लगभग क्षेत्रफल	1.238 हेक्टेयर

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल (हेक्ट.)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्ट.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7
1	301	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.430	0.058	रामचरन रामस्वरूप पुत्र हरलाल जाति रावत पता ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 37.55
2	313	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.510	0.023	कुंअरपाल सभाराम विजयसिंह सेवाराम पिता माखन सिंह मु0 आनन्दी बेवा माखनसिंह जाति रावत पता नि0 ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 6.28
3	315	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.070	0.014	कुंअरपाल सभाराम विजयसिंह सेवाराम पिता माखन सिंह मु0 आनन्दी बेवा माखनसिंह जाति रावत पता नि0 ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.69

4	316	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.080	0.019	कुंअरपाल, सभाराम, मेवाराम विजयसिंह पिता माखनसिंह जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-रा० 1.81
5	317	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.010	0.010	कुंअरपाल, सभाराम, मेवाराम विजयसिंह पिता माखनसिंह जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-रा० 0.20
6	318	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.020	0.006	कुंअरपाल सभाराम मेवाराम विजयसिंह पिता माखनसिंह जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-रा० 0.20
7	319	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.020	0.009	कुंअरपाल सभाराम विजयसिंह मेवाराम पिता माखनसिंह मु आनन्दी देवा माखनसिंह जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.22
8	320	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.460	0.027	कुंअरपाल, सभाराम, मेवाराम, विजयसिंह पिता माखनसिंह जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 7.50
9	328	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.370	0.030	कुंअरपाल, सभाराम, मेवाराम, विजयसिंह पिता माखनसिंह जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.27
10	968/328	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.030	0.015	शीला चमेली कमलेश पुत्रियान प्रभू हि० 1/2 शिवचरन पुत्र चतुरे हि० 1/2 दर भाग 1/3 सरूपी पुत्री अंतू भाग 1/3 कुंअरपाल पुत्र सूमेरा मीरा उर्मिला वैजन्ती पुत्रियान सूमेरा भाग 1/6 मातादीन पिता सौनी सामंथी रेवो नारायणी रामरती पुत्रियान सौनी भाग 5/6 दर भाग 1/3 जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 0.44
11	329	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.350	0.027	ब्रजभूषण पुत्र भौरू हि० 1/4 ब्रजभूषण मीरा भाग 1/2 रमेश नाबा० पुत्र किशुनलाल मीना नाबा० पुत्री किशुनलाल सर पिता समान भाग 1/4 जाति जाटव पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
12	351	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.230	0.044	नर्मदा पत्नी रामचन्द्र जाति काछी पता जौरा खुर्द तहसील मुरैना भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.12
13	366/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.210	0.010	बाबूलाल पुत्र प्रहलाद जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.00
14	366/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.270		रामप्रकाश पुत्र मनफूल शीला पुत्री मनफूल कमलेश पुत्री वनवारी समान जाति जाटव निवासी ग्राम हि 1/2 वैजनाथ पुत्र

						रामलाल जाति किरार पता नि० ग्राम भूमि स्वामी
15	367	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.150	0.024	उत्तम नरेश रामअख्यार रामोतार पुत्रान हौलू सनेही गुडडी पुत्रीयान हौलू स० भा० 1/3 बाबू वकील स० भा० 2/3 पुत्रगण गटुआ जाति जाटव स० भा० भूमिस्वामी भू-राजस्व 2.75
16	368	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.010	0.005	कुअरपाल पुत्र सुमेरा जाति जाटव पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू०रा०शा० बिलमुक्ता 2.41
17	369	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.100	0.025	भूखन पुत्र धम्पू मु० कम्मोदी बेवा धम्पू वादामी पुत्री धम्पू समान भाग 1/2 संतोषी रामजीलाल शिवराम रामविलास पुत्रगण रामचरन समान भाग 1/2 जाति जाटव पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.50
18	377	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.190	0.006	शंकर 55/360 मुंशी भा० 45/360 पुत्रगण तुला भूमि स्वामी पंचम पुत्र कन्हई जाति चमार पता ग्राम 100/360 भाग भूमि स्वामी सियाराम पुत्र दुल्लीभा० 60/360 जाति जाटव. नि० ग्राम सभाराम पुत्र मलखान सिंह 100/360 जाति रावत भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.50
19	378	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.160	0.028	रामविलास वेतालसिंह पुत्रगण तेजसिंह समान भाग 1/3 पता नि० ग्राम भूमिस्वामी वदनसिंह धर्मपाल पुत्रान बुद्धी मुन्नी हलुकी पुत्रीयान बुद्धी समान भाग 1/3 भूमि स्वामी नत्थी रामविलास वेताल पुत्रान तेजसिंह स० भा० 1/3 जाति कोरी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 2.12
20	380	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.230	0.016	राजवीर राजेश रामबरन पुत्रगण फैली बैजन्ती बेवा फैली प्रीती नाबा० पुत्री शीला सर राजवीर मामा खुद स० भाग 8/27 मावसिया पुत्र सोना भाग 8/27 भूरी पुत्री सोना 2/27 दर भाग 2/3 रामप्रकाश रामविलास पुत्र शंकर भाग 1/3 जाति कोरी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.83
21	581	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.010	0.010	धनीराम दर्शन कल्ला पुत्रान फेरनसिंह मु० जसोदा बेवा फेरनसिंह समान भाग 1/2 भरतलाल भूपसिंह पुत्रान विशाल विमला अंगूरी पुत्रियान विशाल मु० रामप्यारी बेवा विशालसिंह स० भाग 1/2 जाति रावत पता ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 0.12

22	587	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.230	0.013	<p>धनीराम दर्शन कल्ला पुत्रान फैरनसिंह जसोदा बेवा फैरनसिंह भा0 1/3 मांगीलाल उदल ऋषीकेश पुत्रान उदयसिंह मु0 नर्मदा बेवा उदयसिंह भा0 1/3 नारायणी पुत्री तेजसिंह भाग 1/3 दर भाग 1/18 पता भरतलाल भूपसिंह पुत्रान विशाल विमला अंगुरी पुत्रिया भूमिस्वामी विशाल मु0 रामप्यारी बेवा विशाल भाग 1/18 वादामी पुत्री पोथी भाग 1/18 रामसनेही बेवा जाहरसिंह प्रेमसिंह शशीकान्त पुत्र जाहरसिंह मीरा सुनिता पुत्रियांन जाहरसिंह भाग 1/6 भरोषीलाल पुत्र श्रीकिशुन आशरफी रामरती अंगुरी रामवती पुत्रियांन श्रीकिशुन समान भाग 5/6 दर भाग 1/24 रामश्री बेवा हरीप्रसाद भाग 1/24 छोटे पुत्र गंगाराम भाग 1/12 बाबूलाल पुत्र प्रहलाद भाग 1/18 भूमिस्वामी सुरेश अशोक सोनपाल पुत्रान परिमाल गुडडी पुत्री परिमाल मु0 मुल्लो बेवा परिमाल भाग 1/18 श्रीराम सुवे अमृतलाल राजेश सतीष पुत्रान रामनाथ नारायणी मुन्नी कल्लो श्यामवती पुत्रियान रामनाथ भाग 1/18 सावित्री त्रवेणी कटोरी रामरती पुत्रियान गजाधर स0 भा0 1/24 मु0 सुन्ती बेवा बाबूलाल कमलेश शारदा नाबा0 पुत्रियान बाबूलाल सर0 मां खुद भाग 1/24 भूमिस्वामी जगन्नाथ पुत्र भाग चन्द भाग 1/6 पता रघुनन्दन पुत्र टुंडा सम्पति पुत्री टुंडा समान भाग 1/18 भाग भूमिस्वामी सुन्ती बेवा वाबूलाल भाग 1/24 जाति रावत देवी भरतलाल नाबा0 पिस भीखा कटोरी वालिग गुलाव नाबा0 पुत्रीयान भीखा सर बहन कटोरी स0 भा0 1/18 जाति काछी पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 3.00</p>
23	590	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.120	0.013	<p>मांगीलाल उदल ऋषीकेश पुत्रान सूवालाल उर्फ उदयसिंह मु0 नर्मदा बेवा सूवालाल उर्फ उदयसिंह जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 31.80</p>
24	591	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.420	0.004	<p>केदारसिंह पुत्र गिरवरसिंह जाति रावत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 6.20</p>
25	596	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.150	0.019	<p>हाकिम गजराज ओमप्रकाश वीरेन्द्रसिंह रामलखन पिता प्रहलाद समान भाग 1/2</p>

						भरतलाल रामप्रकाश 2/3 मु० मिथलेश बेवा उम्मेदसिंह इन्द्रजीत नाबा० पुत्र उम्मेदसिंह सर० मु० खुद मिथलेश समान भाग 1/3 दर भाग 1/2 जाति रावत नि० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.05
26	602	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.580	0.029	जण्डेलसिंह पुत्र रोशनलाल जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 177
27	603/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.560	0.015	भरतसिंह हेमराज हेमन्त पिता सूवे मु० नारायाणी बेवा सूवे जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 34.65
28	604	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.080	0.017	रामप्यारी पत्नी वनवारी जाति रावत नि० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 3.44 मुल्ला पुत्र गनपति जाति रावत पता मिवासी ग्राम मु० जा 12 साल अधिपत्य कृषक
29	605	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.150	0.021	पातीराम पुत्र प्रभू दयाल जाति रावत नि० वेरई गिर्द भूमिस्वामी भू०रा०शा० 532
30	606	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.270	0.034	रामप्यारी पत्नी वनवारी जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.87
31	607	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.180	0.043	धनीराम दर्शन कला पुत्रान फेरन सिंह मु० जसोदा बेवा फेरन सिंह जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.25
32	687	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.060	0.045	सूवेलाल पुत्र हरिप्रसाद जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.58
33	688	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.270	0.059	रामदेई पत्नी सोवरनसिंह जाति गुर्जर पता नि० ग्राम महाराजपुर हवाई अड्डे के पास ग्वालियर भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.87
34	698	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.390	0.063	रामदेई पत्नी सोवरनसिंह जाति गुर्जर पता नि० ग्राम महाराजपुर हवाई अड्डे के पास ग्वालियर भूमि स्वामी भू-राजस्व विलमुक्ता 6.00
35	699	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.220	0.034	रामस्वरूप संतोषी पुत्रान तेजा जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.50
36	713	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.490	0.078	रामेश्वरदयाल पुत्र मंचम भूमि स्वामी कटोरी, नर्मदा, मुन्नी पुत्रीया पंचम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.88
37	781	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.350	0.004	वनवारी पुत्र भौरु जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.44
38	782	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.340	0.012	वनवारी पुत्र भौरु जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.44

39	783	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.410	0.045	भूखन चरनसिंह पुत्र वहादुर रेनू पुत्री वहादुर मु० विमला बेवा वहादुर जाति रावत नि० ग्राम भूमि स्वामी
40	799	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.250	0.049	पीतम पुत्र छोटेलाल भाग 54/233 गिराज मुकेश पुत्रगण पीतम सिंह समान भाग 116/233 वारे उर्फ चन्द मुकन्द छोटेलाल भाग 63/233 जाति किरार पता नि० सिकारपुर मुरैना भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.31
41	800	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.370	0.029	बहादुरलाल श्रीलाल लालजीत राजेन्द्र रामरतन पुत्रगण दारिका प्रसाद जाति ब्रा० पता ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 6.72
42	803	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.190	0.035	रामनरेश पुत्र रामरतन जाति ब्रा० पता निवासी कस्वा जौरा भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.70
43	804	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.160	0.041	वनवारी सरनाम राजपाल पुत्रान मुरली बादामी गुड्डी पुत्रीयां मुरली मु० भूरी बेवा मुरली जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.81
44	805	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.500	0.024	जगदीश पुत्र रामस्वरूप भाग 11/50 मदनसिंह पुष्पेन्द्र सिंह नाबा० पुत्रान वकीलसिंह सर पिता खुद समान भाग 39/50 पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 6.93
45	812	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.840	0.003	रामनरेश पुत्र रामरतन जाति ब्रा० पतानिवासी कस्वा जौरा भूमि स्वामी भू-राजस्व 14.17
46	861/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.230	0.033	रामनरेश पुत्र रामरतन जाति ब्रा० पता निवासी कस्वा जौरा भूमि स्वामी भू-राजस्व 372
47	861/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.140		सत्यप्रकाश रामप्रकाश पुत्रगण हजारी भाग 0.74 रूपनारायण पुत्र मानिक चन्द्र भाग 0.97 उषा पुत्री सेवाराम भाग 1/2 गजानन्द उर्फ लालू आशू पुत्रान सुभाष अश्वनी पुत्री सुभाष जाति ब्रा० समान भाग 1/2 दर भाग 0.97 जाति ब्रा० पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 8.44
48	872	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.310	0.002	रामस्वरूप संतोषी पिता तेजा मु० कोशा बेवा तेजा कमला सरवती पुत्रियां तेजा स० भा० 1/2 जाति जाटव भूमिस्वामी रामहेत रसाल महेश पिस विस्सू बसन्ती वादामी पुत्रियां विस्सू स० भाग 5/6 शिशूपाल शैलेन्द्र वा०

						गव्वर नाबा० पुत्रान कप्तान माया वालिग मनीषा नाबा० पुत्रियांन कप्तान सर० मां मु० त्रीवेणी बेवा कप्तान समान भाग 1/6 दर भाग 1/2 भूमि स्वामी भू-राजस्व 8.44
49	873	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.310	0.015	रामस्वरूप संतोषी पिता तेजा मु० कोशा बेवा तेजा कमला सरवती पुत्रियां तेजा स० भा० 1/2 जाति जाटव भूमिस्वामी रामहेत रसाल महेश पिस विस्सू बसन्ती वादामी पुत्रियां विस्सू स० भाग 5/6 शिशूपाल शैलेन्द्र वा० गव्वर नाबा० पुत्रान कप्तान माया वालिग मनीषा नाबा० पुत्रियांन कप्तान सर० मां मु० त्रीवेणी बेवा कप्तान समान भाग 1/6 दर भाग 1/2 भूमि स्वामी भू-राजस्व 872
50	874	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.050	0.007	रामविलाश वेतालसिंह पुत्रगण तेजसिंह समान भाग 1/3 पता नि० ग्राम भूमिस्वामी वदनसिंह धर्मपाल पुत्रान बुद्धी मुन्नी हलूकी पुत्रियांन बुद्धी समान भाग 1/3 भूमि स्वामी नत्थी रामविलाश वेताल पुत्रान तेजसिंह स० भा० 1/3 जाति कोरी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 0.50
51	875	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.080	0.007	महेश पुत्र नेकसिया जाति कोरी पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 368
52	876	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.080	0.004	उत्तम नरेश रामअख्यार रामोतार पुत्रान होलू सनेही गुडडी पुत्रियान होलू जाति जाटव नि० ग्राम भू-राजस्व 1.78
53	877	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.140	0.007	रामहेत रसाल महेश पुत्रान विस्सू 3/4 शिशूपाल शैलेन्द्र वा० गव्वर नाबा० पुत्रान कप्तान माया मनीषा नाबा० पुत्रियांन कप्तान सर० मां मु० त्रवेणी बेवा कप्तान भाग 1/4 जाति जाटव पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 6.31
54	878	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.140	0.007	रामुजीलाल पुत्र कुसेरी जाति कोरी निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 877
55	879/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.260	0.007	बद्री पुत्र लखुआ जाति जाटव पता नि० ग्राम भूमि स्वामी
56	880/मिन 3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.030	0.014	जण्डेलसिंह पुत्र रोशनलाल जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी बिलमुक्ता 3.40
56	56			13.260	1.238	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 42-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2018-7419

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-मैनाबसई, प0ह0क0-118 रा0नि0 वृत्-07 तहसील -जौरा उपखण्ड- जौरा जिला-मुरैना में कुल 1.310 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम-मैनाबसई, प0ह0क0-118 रा0नि0 वृत्-07 तहसील- जौरा उपखण्ड- जौरा जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना
ख. तहसील जौरा
ग. ग्राम मैनाबसई
घ. लगभग क्षेत्रफल 1.310 हेक्टेयर
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल (हेक्ट.)	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7
1	31	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.115	0.011	मुरारीलाल पुत्र श्री छोटेलाल जाति ब्राह्मण निवासी पटवारी का पुरा भूमिस्वामी भू0आा0 1.31
2	32	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.136	0.018	मुरारीलाल पुत्र श्री छोटेलाल जाति ब्राह्मण निवासी पटवारी का पुरा भूमिस्वामी भू0आा0 0.68
3	33	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.136	0.026	रघुवर पुत्र पातरिया जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.25
4	34/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.324	0.046	जुगराज सिंह पुत्र नृपालसिंह उर्फ वावू सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 2.53
5	34/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.324	0.031	नरेन्द्र सिंह पुत्र नृपालसिंह उर्फ बाबू सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू0आा0 2.53

6	91	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.428	0.044	दौलतराम दिनेश पुत्रगण सियाराम जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू0आ0 2.74
7	92/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.293	0.054	भगवानलाल पुत्र हरिविलास हि0 33/169 रामभरोषी पुत्र हरिविलास हि0 9/169 दरभाग 42/169 रामभरोषी ल्होरेराम पुत्रान हरविलास स0भा0 हि0 2/3 हीरालाल पुत्र जींगनलाल हि0 1/3 दर भा0 127/169 जाति कुशवाह निवासी रूअर भूमिस्वामी भू0आ0 2.25
8	92/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.282	0.059	ल्होरे राम पुत्र हरिविलास जाति कुशवाह निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू0आ0 2.17
9	93/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.366	0.034	वीरेन्द्रपुत्र रामदयाल कुशवाह निवासी रूअर मैनाबसई भूमिस्वामी भू. आ. 3.50
10	93/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.376	0.040	मनीराम पुत्र पातरिया जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू0आ0 3.50
11	134/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.293	0.007	गोपाल सिंह पुत्र रामकिशन जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू0आ0 2.58
12	134/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.282		रामबरन पुत्र दुर्गा जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू0आ0 1.67
13	148	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.418	0.101	रामेश्वर वासुदेव कृष्णगोपाल मनोज पुत्रगण रामरतन हि0 60/124 रकबा 3 बीघा रामजीलाल पुत्र राजाराम हि0 40/124 रकबा 2 बीघा ज्ञानसिंह पुत्र भगवानसिंह हि0 9/124 रामऔतार पुत्र देवीराम हि0 15/124 रकबा 15 विश्वांशी दर हि0 1/6 दामोदर रामनिवास रामअख्तयार पुत्रगण लटूरी अशोक धर्मचन्द पुत्रगण हाकिम सिंह भाग 64/124 फूलवती पत्नी रामऔतार हि0 36/124 दर भाग 1/6 श्यामलाल भगरी भरोषी पुत्रगण शिवरी रामकली वैजंती पुत्रियां शिवरी शांती बेवा लज्जाराम राजो पुत्री लज्जाराम हि0 2/21 भगरी पुत्र शिवरी हि0 1 बीघा 5 विश्वा 8 विश्वांशी शान्ती बेवा लज्जाराम राजाबेटी पुत्री लज्जाराम हि0 1 बीघा 5 विश्वा 8 विश्वांशी रामनारायण दीवाच सिंह पुत्रगण गंगाराम समान भाग रकबा 1 बीघा दर भाग 2/21 कुल दर भाग 1/3 रवूदी पत्नी ज्ञानसिंह हि0 रकबा 1 बीघा दरभाग 1/3 धारा सिंह पुरषोत्तम सिंह पुत्रगण रामचरन समान भाग 62/124 मंगल सिंह पुत्र रामचरन भाग

						8/124 धारासिंह पुत्र हीरालाल भाग 23/124 रकबा 1 बीघा 3 विश्वा दीवान सिंह पुत्र रामचरन सिंह हि० 21/124 रामजीलाल पुत्र राजाराम हि० 10/124 दर भाग 1/6 मीरा पत्नी सुरेश जाति कुशवाह नि. शिकन्दर कम्पू ग्वालियर हि. 108/124 भाग 5 बीघा 8 विश्वा रोशन पुत्र देवचन्द्र हि० 16/124 यानी 16 विश्वा दर भाग 1/6 जाति कुशवाह निवासी रूअर भूमिस्वामी भू०आ० 1.25
14	158	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.240	0.023	रामेश्वर वासुदेव कृष्णगोपाल मनोज पुत्रगण रामरतन हि० 60/124 रकबा 3 बीघा रामजीलाल पुत्र राजाराम हि० 40/124 रकबा 2 बीघा ज्ञानसिंह पुत्र भगवानसिंह हि० 9/124 रामऔतार पुत्र देवीराम हि० 15/124 रकबा 15 विश्वांसी दर हि० 1/6 दामोदर रामनिवास रामअख्तयार पुत्रगण लटूरी अशोक धर्मचन्द्र पुत्रगण हाकिम सिंह भाग 64/124 फूलवती पत्नी रामऔतार हि० 36/124 दर भाग 1/6 श्यामलाल भगरी भरोषी पुत्रगण शिवरी रामकली वैजंती पुत्रियां शिवरी शांती बेवा लज्जाराम राजो पुत्री लज्जाराम हि० 2/21 भगरी पुत्र शिवरी हि० 1 बीघा 5 विश्वा 8 विश्वांशी शान्ती बेवा लज्जाराम राजाबेटी पुत्री लज्जाराम हि० 1 बीघा 5 विश्वा 8 विश्वांशी रामनारायण दीवान सिंह पुत्रगण गंगाराम समान भाग रकबा 1 बीघा दर भाग 2/21 कुल दर भाग 1/3 रवूदी पत्नी ज्ञानसिंह हि० रकबा 1 बीघा दरभाग 1/3 धारा सिंह पुरषोत्तम सिंह पुत्रगण रामचरन समान भाग 62/124 मंगल सिंह पुत्र रामचरन भाग 8/124 धारासिंह पुत्र हीरालाल भाग 23/124 रकबा 1 बीघा 3 विश्वा दीवान सिंह पुत्र रामचरन सिंह हि० 21/124 रामजीलाल पुत्र राजाराम हि० 10/124 दर भाग 1/6 मीरा पत्नी सुरेश जाति कुशवाह नि. शिकन्दर कम्पू ग्वालियर हि. 108/124 भाग 5 बीघा 8 विश्वा रोशन पुत्र देवचन्द्र हि० 16/124 यानी 16 विश्वा दर भाग 1/6 जाति कुशवाह निवासी रूअर भूमिस्वामी शा.न. 156
						रामेश्वर वासुदेव कृष्णगोपाल मनोज पुत्रगण

15	163/ 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	4.126	0.474	<p>रामरतन हि0 60/124 रकबा 3 बीघा रामजीलाल पुत्र राजाराम हि0 40/124 रकबा 2 बीघा ज्ञानसिंह पुत्र भगवानसिंह हि0 9/124 रामऔतार पुत्र देवीराम हि0 15/124 रकबा 15 विश्वांसी दर हि0 1/6 दामोदर रामनिवास रामअख्तयार पुत्रगण लटूरी अशोक धर्मचन्द पुत्रगण हाकिम सिंह भाग 64/124 फूलवती पत्नी रामऔतार हि0 36/124 दर भाग 1/6 श्यामलाल भगरी भरोषी पुत्रगण शिवरी रामकली वैजंती पुत्रियां शिवरी शांती बेवा लज्जाराम राजो पुत्री लज्जाराम हि0 2/21 भगरी पुत्र शिवरी हि0 1 बीघा 5 विश्वा 8 विश्वांशी शान्ती बेवा लज्जाराम राजाबेटी पुत्री लज्जाराम हि0 1 बीघा 5 विश्वा 8 विश्वांशी रामनारायण दीवान सिंह पुत्रगण गंगाराम समान भाग रकबा 1 बीघा दर भाग 2/21 कुल दर भाग 1/3 रवूदी पत्नी ज्ञानसिंह हि0 रकबा 1 बीघा दरभाग 1/3 धारा सिंह पुरषोत्तम सिंह पुत्रगण रामचरन समान भाग 62/124 मंगल सिंह पुत्र रामचरन भाग 8/124 धारासिंह पुत्र हीरालाल भाग 23/124 रकबा 1 बीघा 3 विश्वा दीवान सिंह पुत्र रामचरन सिंह हि0 21/124 रामजीलाल पुत्र राजाराम हि0 10/124 दर भाग 1/6 मीरा पत्नी सुरेश जाति कुशवाह नि. शिकन्दर कम्पू ग्वालियर हि. 108/124 भाग 5 बीघा 8 विश्वा रोशन पुत्र देवचन्द्र हि0 16/124 यानी 16 विश्वा दर भाग 1/6 जाति कुशवाह निवासी रूअर भूमिस्वामी भूआ0 4.37</p>
16	164/ 3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.693	0.025	<p>रामेश्वर वासुदेव कृष्णगोपाल मनोज पुत्रगण रामरतन हि0 60/124 रकबा 3 बीघा रामजीलाल पुत्र राजाराम हि0 40/124 रकबा 2 बीघा ज्ञानसिंह पुत्र भगवानसिंह हि0 9/124 रामऔतार पुत्र देवीराम हि0 15/124 रकबा 15 विश्वांसी दर हि0 1/6 दामोदर रामनिवास रामअख्तयार पुत्रगण लटूरी अशोक धर्मचन्द पुत्रगण हाकिम सिंह भाग 64/124 फूलवती पत्नी रामऔतार हि0 36/124 दर भाग 1/6 श्यामलाल भगरी भरोषी पुत्रगण शिवरी रामकली वैजंती पुत्रियां शिवरी शांती बेवा लज्जाराम राजो</p>

						पुत्री लज्जाराम हि० 2/21 भगरी पुत्र शिवरी हि० 1 बीघा 5 विश्वा 8 विश्वांशी शान्ती बेवा लज्जाराम राजाबेटी पुत्री लज्जाराम हि० 1 बीघा 5 विश्वा 8 विश्वांशी रामनारायण दीवान सिंह पुत्रगण गंगाराम समान भाग रकबा 1 बीघा दर भाग 2/21 कुल दर भाग 1/3 रवूदी पत्नी ज्ञानसिंह हि० रकबा 1 बीघा दरभाग 1/3 धारा सिंह पुरषोत्तम सिंह पुत्रगण रामचरन समान भाग 62/124 मंगल सिंह पुत्र रामचरन भाग 8/124 धारासिंह पुत्र हीरालाल भाग 23/124 रकबा 1 बीघा 3 विश्वा दीवान सिंह पुत्र रामचरन सिंह हि० 21/124 रामजीलाल पुत्र राजाराम हि० 10/124 दर भाग 1/6 मीरा पत्नी सुरेश जाति कुशवाह नि. शिकन्दर कम्पू ग्वालियर हि. 108/124 भाग 5 बीघा 8 विश्वा रोशन पुत्र देवचन्द्र हि० 16/124 यानी 16 विश्वा दर भाग 1/6 जाति कुशवाह निवासी रूअर भूमिस्वामी भू०आ० 3.56
17	182/ मिन-3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.439	0.002	कलावती बेवा रमेश, मुकेश, महेश, रामपाल पुत्रगण रमेश हि० 4/5, सूरज कपिल नाबालिग पुत्रगण राधेश्याम सर. मां. खुद भारती बेवा राधेश्याम हि० 1/5 जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू०आ० 3.00
18	183	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.219	0.015	सियाराम पुत्र छविराम रामवेटी पुत्री छविराम हि० 5/8 शगुना भन्ती बादामी पुत्रीयान पंछी हि० 3/8 जाति कुशवाह नि. ग्राम भूमिस्वामी भू०आ० 1.35
19	184	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.209	0.021	सियाराम पुत्र छविराम जाति कुशवाह निवासी रूअर भूमिस्वामी भू०आ० 1.00
20	185	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.376	0.050	दौलतराम पुत्र सियाराम जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू०आ० 2.12
21	135	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.794	0.121	मुन्ना राकेश श्रीनिवास राजपाल पुत्रगण रामदयाल मीना कमलेश पुत्रीयान रामदयाल हि० 44/76 स० भा० रतनू पुत्र प्यारे हि० 32/76 जाति कुशवाह नि० रूअर भू०आ० 4.81
22	147/ 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.230	0.084	विजय सिंह करनसिंह किशन सिंह शिवचरन सोनेराम पुत्रगण गोबिन्दा रामप्यारी चिरोंजी बैजन्ती पुत्रियान गोबिन्दा हि० 8/10 हरीसिंह सत्यबीर - नाबा० पुत्रगण चिम्न

					<p>सरोज कैलाशी केतुकी नाबा० पुत्रीयान चिम्मन सर मां खुद संतो बेवा चिम्मन हि० 1/10 पन्ना मातादीन नृपाल पुत्रगण शिवसिंह हि० 1/3 रामबाबू पुत्र नत्था बंदसिया पुत्री नत्था हि० 2/3 दर भाग 1/10 रकबा 22/144 रामरती बेवा प्यारे रामनिवास मनोज रामेश्वर पुत्रगण प्यारे सुनीता सीमा उर्फ गुड्डी पुत्रीयान प्यारे हि० 3/144 भागवती बेवा रामजीलाल बीरसिंह कमलेश गब्बर पुत्रगण रामजीलाल हि० 4/5 लोगश्री बेवा भूरा अजय पुत्र भूरा मधू पुत्री भूरा हि० 1/5 दर भाग 3/144 रामसनेही बेवा हलुके राकेश दिनेश पुत्र हलुके शिवदेई पुत्री हलुके हि० 3/144 रामअख्यार पुत्र मवसिया धनवंती नारायणी पुत्रिया मवसिया कमलसिंह पुत्र सामंत सिंह हि० 13/144 महाराज सिंह पुत्र हरनारायण हि० 44/144 कल्लू जनकसिंह पुत्रगण काशीराम सातो पुत्री काशीराम हि० 12/144 लक्ष्मण सिंह विद्रावन सिंह पुत्र पंचम सिंह हि० 8/144 दर भाग 3/4 रामनारायण दीवानसिंह पुत्रगण गंगाराम हि० 8/144 पंचम रमले रमेश सुघर सिंह पुत्रगण वेदरिया, शांती पुत्री वेदरिया हि० 10/144 दर भाग 1/8 कमला बेवा मोतीराम, कृष्णा रिन्कू दीपक पुत्रगण मोतीराम, तुलसी, लाली, पूनम, रानी, पुत्रीयान मोतीराम हि० 1/7 उम्मेद खेमराज पुत्रगण बद्री मुन्नी, ज्ञानो, कपूरी, उर्मिला पुत्रीयान बद्री हि० 6/7 रकबा 18/144 दर हि० 1/8 जाति कुशवाह निवासी रेतुअन का पुश भूमिस्वामी भू०आ० 2.56</p>	
23	147/ 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.627	0.014	<p>विजय सिंह करनसिंह किशन सिंह शिवचरन सोनेराम पुत्रगण गोबिन्दा रामप्यारी चिरोंजी बैजन्ती पुत्रियान गोबिन्दा हि० 8/10 हरीसिंह सत्यबीर नाबा० पुत्रगण चिम्मन सरोज कैलाशी केतुकी नाबा० पुत्रीयान चिम्मन सर मां खुद संतो बेवा चिम्मन हि० 1/10 पन्ना मातादीन नृपाल पुत्रगण शिवसिंह हि० 1/3 रामबाबू पुत्र नत्था बंदसिया पुत्री नत्था हि० 2/3 दर भाग 1/10 रकबा 22/144 रामरती बेवा प्यारे रामनिवास मनोज रामेश्वर पुत्रगण प्यारे सुनीता सीमा उर्फ गुड्डी पुत्रीयान प्यारे हि० 3/144 भागवती बेवा रामजीलाल बीरसिंह</p>

						कमलेश गब्बर पुत्रगण रामजीलाल हि0 4/5 लोगश्री बेवा भूरा अजय पुत्र भूरा मधू पुत्री भूरा हि0 1/5 दर भाग 3/144 रामसनेही बेवा हलुके राकेश दिनेश पुत्र हलुके शिवदेई पुत्री हलुके हि0 3/144 रामअख्यार पुत्र मवसिया धनवंती नारायणी पुत्रिया मवसिया कमलसिंह पुत्र सामंत सिंह हि 13/144 महाराज सिंह पुत्र हरनारायण हि0 44/144 कल्लू जनकसिंह पुत्रगण काशीराम सातो पुत्री काशीराम हि 12/144 लक्ष्मण सिंह विद्रावन सिंह पुत्र पंचम सिंह हि0 8/144 दर भाग 3/4 रामनारायण दीवानसिंह पुत्रगण गंगाराम हि0 8/144 पंचम रमले रमेश सुधर सिंह पुत्रगण वेदरिया, शांती पुत्री वेदरिया हि0 10/144 दर भाग 1/8 कमला बेवा मोतीराम, कृष्णा रिन्कू दीपक पुत्रगण मोतीराम, तुलसी, लाली, पूनम, रानी, पुत्रीयान मोतीराम हि0 1/7 उम्मेद खेमराज पुत्रगण बद्री मुन्नी, ज्ञानो, कपूरी, उर्मिला पुत्रीयान बद्री हि0 6/7 रकवा 18/144 दर हि0 1/8 जाति कुशवाह निवासी रेतुअन का पुरा भूमिस्वामी भू0आ0 शा.न. 147/1
24	178	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.219	0.010	मुन्ना, राकेश, श्रीनिवास, राजपाल पुत्रगण रामदयाल मीना, कमलेश, पुत्रीयान रामदयाल हि0 2/3 रतनू पुत्र प्यारे हि0 1/3 जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू0आ0 1.25
कुल	24			12.945	1.310	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

न्यायालय कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 2190-91-रीडर-1-भू-अर्जन-2018

मंदसौर, दिनांक 15 जून 2018

प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2017-18

(घोषणा)

(भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत घोषणा)

चुंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, निचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 के पद (1) वर्णित भूमि की अनुसूची क्रमांक 2 के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भू-अर्जन पूर्णवास और पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि, निजी भूमि पर स्थित भूमि अर्जन की आवश्यकता है ।

अनुसूची क्रमांक - 1

- (1) भूमि का वर्णन(क) जिला मंदसौर
(ख) तहसील शामगढ
(ग) कस्बा शामगढ
(घ) क्षेत्र फल 0.178 हे.

अनुसूची क्रमांक - 2

नागदा कोटा सेक्शन के रैल्वे समापार फाटक क्रमांक 46 कि.मी 786/10-12 कस्बा शामगढ आर.औ.बी. निर्माण योजना

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि	
				सिंचित	असिंचित
1	2	3	4	5	6
1	ईस्माईल पिता नूरमोहम्मद मुसलमान निवासी शामगढ	1226/3	0.619	0.178	--

- 2 सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- नागदा कोटा सेक्शन के रैल्वे समापार फाटक क्रमांक 46 कि.मी 786/10-12 कस्बा शामगढ आर.औ.बी. निर्माण योजना
- 3 भूमि का नक्षा (प्लान) का निरीक्षण:- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
औमप्रकाश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन

क्र. 4847-भू-अर्जन-2018-प्र. क्र. 15-अ-82-2017-18

उज्जैन, दिनांक 18 जून 2018

(अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
(क्र. 30 सन् 2013))

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में उज्जैन-फतेहाबाद रेल आमान परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत ग्राम दाऊदखेड़ी तहसील व जिला उज्जैन के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि उज्जैन-फतेहाबाद रेल आमान परिवर्तन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्नवर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम- दाऊदखेड़ी

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
	सिंचित	असिंचित	कुल
उज्जैन-फतेहाबाद रेल आमान परिवर्तन परियोजना	0.177	0.031	0.208
योग	0.177	0.031	0.208

अनुसूची (2)

उज्जैन-फतेहाबाद रेल आमान परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत ग्राम दाऊदखेड़ी की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम- दारुदखेड़ी

तहसील व जिला उज्जैन

क्र 0	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		अधिग्रहित परिसंपत्ति
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	
1	श्री कन्हैयालाल, बाबुलाल, हीरालाल पिता भैरूलाल नि० ग्राम चिंतामण जवासिया	13/1	—	0.031	0.031	—	0.031	मकान व कुआं
2	श्री बाबुलाल पिता भैरूलाल नि० ग्राम चिंतामण जवासिया	13/2	1.937	—	1.937	0.031	—	—
3	श्री बाबुलाल पिता भैरूलाल श्री मनीष पिता बाबुलाल नि० ग्राम चिंतामण जवासिया	13/3	1.000	—	1.000	0.105	—	—
4	श्री कन्हैयालाल, बाबुलाल, हीरालाल पिता भैरूलाल नि० ग्राम चिंतामण जवासिया	13/4	0.073	—	0.073	0.010	—	—
5	श्री हीरालाल पिता भैरूलाल नि० ग्राम चिंतामण जवासिया	13/5	1.937	—	1.937	0.031	—	—
योग			4.947	0.031	4.978	0.177	0.031	—

क्र. 4848-भू-अर्जन-2018-प्र. क्र. 13-अ-82-2017-18

(अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013))

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में उज्जैन-फतेहाबाद रेल आमान परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत ग्राम नीलकण्ठ तहसील व जिला उज्जैन के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि उज्जैन-फतेहाबाद रेल आमान परिवर्तन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क.30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्नवर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम- नीलकण्ठ

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
	सिंचित	असिंचित	कुल
मान परिवर्तन परियोजना	2.93	—	2.93
योग	2.93	—	2.93

अनुसूची (2)

उज्जैन-फतेहाबाद रेल आमान परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत ग्राम नीलकण्ठ की प्रभावित भूमि का वितरण

ग्राम- नीलकण्ठ

तहसील व जिला उज्जैन

क्र. सं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा कमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		अधिग्रहित परिसंपत्ति
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	
1	श्री गोविंद सिंह पिता शंकरसिंह नि० चंद्रवती गंज	270	0.64	—	0.64	0.14	—	—
2	श्री गोविंद सिंह, श्यामसिंह पिता शंकरसिंह नि० चंद्रवतीगंज	271/2	1.37	—	1.37	0.02	—	—
3	श्री गोविंद सिंह, श्यामसिंह पिता शंकरसिंह नि० चंद्रवतीगंज	279/1	2.52	—	2.52	0.74	—	—
4	श्री अब्बास पिता मल्लाजी नि० खजराना इंदौर	280	2.69	—	2.69	1.49	—	नलकूप-1 पाइपलाइन1
5	श्री अब्बास पिता मल्लाजी नि० खजराना इंदौर	283	0.41	—	0.41	0.18	—	—
6	श्रीमती सुनीता, संतोष, मधुबाई, मायाबाई, ममताबाई, पिता मोतीराम नि० चंद्रावतीगंज	284/1	0.53	—	0.53	0.18	—	—
7	श्रीमती सुनीता, संतोष, मधुबाई, मायाबाई, ममताबाई, पिता मोतीराम नि० चंद्रावतीगंज	284/2	1.20	—	1.20	0.16	—	—
8	श्री शिवनारायण पिता शंकरलाल नि० चंद्रवतीगंज	294/1	0.95	—	0.95	0.02	—	—
	योग		10.41	—	10.41	2.93	—	—

क्र. 4849-भू-अर्जन-2018-प्र. क्र. 14-अ-82-2017-18

(अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन्2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में उज्जैन-फतेहाबाद रेल आमान परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत ग्राम चिंतामण जवासिया तहसील व जिला उज्जैन के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि उज्जैन-फतेहाबाद रेल आमान परिवर्तन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क.30 सन्2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्नवर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम-चिंतामण जवासिया

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
	सिंचित	असिंचित	कुल
उज्जैन-फतेहाबाद रेल आमान परिवर्तन परियोजना	0.73	0.03	0.76
योग	0.73	0.03	0.76

अनुसूची (2)

उज्जैन-फतेहाबाद रेल आमान परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत ग्राम चिंतामण जवासिया की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम- चिंतामण जवासिया

तहसील व जिला उज्जैन

क्र 0	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		अधिग्रहण परिसंपत्ति
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	
1	श्री शरदचंद्र दत्तक पुत्र गणुजी नि.जयसिंहपुरा उज्जैन	228	—	0.65	0.65	—	0.03	—
2	श्री गणेश प्रसाद पिता लक्ष्मीनारायण नि0 ग्राम चिंतामण	229	1.12	—	1.12	0.13	—	—
3	श्री आशीष पिता गोविंद निवासी उज्जैन	230 239 / 1 / 2	0.12 0.68	— —	0.12 0.68	0.03 0.07	— —	— वृक्ष इमली-1
4	श्री राजेश पिता सीताराम निवासी-चिंतामण	259 / 1	3.70	—	3.70	0.37	—	वृक्ष बबूल-13
5	श्री कैलाश पिता सीताराम निवासी- चिंतामण	260	6.76	—	6.76	0.13	—	वृक्ष सूकेलिप्टिस -7 , गुराड- 1, पानी की पक्की टंकी 3.45 बाय 1.55 मी.
	योग		12.38	0.65	13.03	0.73	0.03	

क्र. 4850-भू-अर्जन-2018-प्र. क्र. 16-अ-82-2017-18

१ (अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में उज्जैन-फतेहाबाद रेल आमान परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत ग्राम फतेहाबाद तहसील व जिला उज्जैन के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि उज्जैन-फतेहाबाद रेल आमान परिवर्तन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क.30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्नवर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम- फतेहाबाद

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
	सिंचित	असिंचित	कुल
उज्जैन-फतेहाबाद रेल आमान परिवर्तन परियोजना	0.74	—	0.74
योग	0.74	—	0.74

अनुसूची (2)

उज्जैन-फतेहाबाद रेल आमान परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत ग्राम फतेहाबाद की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम- फतेहाबाद

तहसील व जिला उज्जैन

क्र०	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		अधिग्रहित परिसंपत्ति
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	
1	श्रीमती अयोध्याबाई पति निर्भयसिंह नि० हांसाखेड़ी तह सांवेर	515/1 515/2	0.50 0.46	— —	0.50 0.46	0.01 0.08	— —	—
2	श्री जगदीश, मोहनलाल, देवीलाल, राजेश, हेमाबाई पिता छगनलाल, भागवंताबाई बेवा छगनलाल	514	0.91	—	0.91	0.22	—	—
3	श्रीमती उल्फत बी बेवा सरदार खाँ, गुलाल खाँ पिता सरदार खाँ, आमनाबी पिता सरदार खाँ रेहमत बी बेवा नवाब खाँ	513/2	1.03	—	1.03	0.43	—	—
4	श्री मम्मू पिता सरदार खाँ ग्राम फतेहाबाद	शासकीय भूमि पर निर्मित SII	—	—	—	—	—	रिक्त भूखंड 4.50 बाय 13.40 मी. एवं नलकूप-1
5	श्री गणेश पिता काशीराम बलाई ग्राम फतेहाबाद	शासकीय भूमि पर निर्मित SII	—	—	—	—	—	रिक्त भूखण्ड 8.5 बाय 9.65 मी. एवं पक्का मकान 8.50 बाय 3.75 मी.
6	श्री मम्मू पिता सरदार खाँ ग्राम फतेहाबाद	शासकीय भूमि पर निर्मित SII	—	—	—	—	—	रिक्त भूखण्ड 8.0 बाय 13.40 मी. एवं नलकूप -1
7	श्री मुकेश पिता रामरतन बलाई ग्राम फतेहाबाद	शासकीय भूमि पर निर्मित SII	—	—	—	—	—	पक्का मकान 10.50 बाय 13.40 मी.
8	श्री हरिराम पिता सोमाजी ग्राम फतेहाबाद	शासकीय भूमि पर निर्मित SII	—	—	—	—	—	पक्का मकान 1.50 बाय 13.40 मी.
	योग		2.90	—	2.90	0.74	—	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनीष सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 18 जून 2018

क्र. 2790-भू-अर्जन-2018-रा. प्र. क्र. 13-अ-82-2017-18

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

(क्रमांक-30 सन 2013 की धारा-19(1) के अन्तर्गत)

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अनुसूची (1) में वर्णित निजी भूमि धारकों की भूमि के अधिकारों का अर्जन किया जाना है। किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है। इसलिए धारा-19(2) के तहत घोषणा के सार के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

--: अनुसूची-(1) ::-

भूमि का वर्णन :-

(क) जिला :-

बड़वानी

(ख) तहसील :-

वरला

(ग) ग्राम :-

घेगाँव

(घ) लगभग क्षेत्रफल :-

भूमि का क्षेत्रफल 0.593 हेक्टेयर

क.	भूमि स्वामी का नाम	सर्वे नम्बर	कुल रकबा	खूब प्रभावित रकबा हे. में.			अन्य परिसम्पत्तियाँ
				सिंचित	असिंचित	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	निर्मल कुमार पिता मांगीलाल जैन निवासी-बलवाडी	104/3	0.566	0.405	--	0.405	33-करंजा 34-पलास 20-साजड 02-टेमरु 01-नीम, 01-बेलपत्र 29-सागवान 01-ओक(फाफड़ा) 01-बेर 01-महुआँ 03-सीताफल
		106	0.445	0.140	--	0.140	
	योग :-	02	1.011	0.545	--	0.545	कुल-126
2	राजेन्द्र, सुशील, सुनिल, प्रदीप, मनोजकुमार पिता इन्द्रबहादुर, रामजीबाई बेवा इन्द्रबहादुर जाति कायस्थ, निवासी-बलवाडी	104/2	2.460	--	0.048	0.048	--
	कुल योग:-	03	3.471	0.545	0.048	0.593	126 पेड़/पौधे

--: अनुसूची - (2) ::-

- 1- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- घेगाँव बैराज योजना निर्माण हेतु।
- 2- भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर जिला बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी रौधवा एव कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, विभाग बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अमित तोमर, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश

सीधी, दिनांक 12 जून 2018

क्र. 365-भू-अर्जन-2018

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान होने से कि नीचे दी गयी अनुसूचा के पद (1) में वर्णित ग्रामों की भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता होने से इन ग्रामों की धारा-19 का प्रकाशन दिनांक 23.06.2017 को किया जा चुका है। वर्तमान में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि धारा-19 के पश्चात् अंतिम अवाई पारित नहीं हो सका है, क्योंकि रेलवे विभाग के द्वारा प्रस्तुत किये गये अर्जन के प्रारम्भिक प्रस्ताव दिनांक 23.12.2018 में ग्राम गाडा जोलर सिंह की भूमि अर्जन का 7.883 हे० का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें पश्चात् में 7.113 हे० का अर्जन प्रस्ताव धारा-11 में तथा 1.360 हे० का धारा-19 में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि धारा-19 में एलायमेंट में एवं रकबे में परिवर्तन आया है। इसके अतिरिक्त रेलवे विभाग को बार-बार बताये जाने के बाद भी अर्जित भूमि के दोनो ओर सीमा चिन्ह पत्थर आदि एवं सीमा चिन्ह अत्यंत विलम्ब से गढ़ाये जाने से अवधि अधिक व्यतीत हो गयी है। इस संदर्भ में वास्तविक स्थिति की जानकारी से ससीक्षा बैठक दिनांक 13.08.16, 26.02.18, 25.04.18, 11.06.18 की मौखिक एवं लिखित रूप से अवगत कराया गया था, इसके पश्चात् पत्र क्रमांक 219/एस.डी.ओ./2018 सीधी दिनांक 24 फरवरी 2018 के माध्यम से लिखित रूप से वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि रेलवे के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अंतिम अर्जन प्रस्ताव में अन्तर होने से विलम्ब एवं देरी हुई है। अतः समयावधि में एलायमेंट की समस्या के कारण 06 माह की वृद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है। म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(1)-2014-सात-शा, 2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 - भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में, दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए, किसी लोक प्रयोजन के संबंध में, इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जाएगा। (म0प्र0 राजपत्र भाग 1 दिनांक 03.10.2014 पृष्ठ 2893 पर प्रकाशित) उक्त वर्णित अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास द्वारा प्रेषित पूर्व पत्र क्रमांक 219/एस.डी.ओ./2018 सीधी दिनांक 24 फरवरी 2018 एवं प्रस्ताव के अनुक्रम में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (7) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक एवं धारा-25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्रामों की धारा-19 की उपधारा (4) की समयावधि में छः माह की वृद्धि की जाती है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के परन्तुक अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त सीधी जिले की तहसील गोपद बनास की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है :-

(1) भूमि का वर्णन

ग्राम का नाम	जिसे भूमि रकबा (खण्ड) लगभग	धारा-19 के जारी होने का दिनांक	धारा-19 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक	धारा-19 की समयावधि में की गयी वृद्धि
गाडा जोलर सिंह	1.360	23-06-2017	23-06-2018	धारा-19 की उपधारा 4 की अधिसूचना में 06 माह की वृद्धि की जाती है।

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - रीवा-सीधी नई रेल लाईन हेतु।
- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन कार्यालय कलेक्टर सीधी एवं उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास जिला सीधी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

क्र. 363-भू-अर्जन-2018

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान होने से कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित ग्रामों की भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता होने से इन ग्रामों की धारा-19 का प्रकाशन दिनांक 23.06.2017 को किया जा चुका है। वर्तमान में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि धारा-19 के पश्चात् अंतिम अवार्ड पारित नहीं हो सका है, क्योंकि रेलवे विभाग के द्वारा प्रस्तुत किये गये अर्जन के प्रारंभिक प्रस्ताव क्रमांक DY/DO/327/612/III दिनांक 29.09.2015 में ग्राम विसैघाटोला की भूमि अर्जन का 5.262 हे० का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें पश्चात् में 5.251 हे० का अर्जन प्रस्ताव धारा-11 में तथा 3.767 हे० का धारा-19 में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि धारा-19 में एलायमेंट में एवं रकबे में परिवर्तन आया है। इसके अतिरिक्त रेलवे विभाग को बार-बार बताये जाने के बाद भी अर्जित भूमि के दोनो ओर सीमा चिन्ह पत्थर आदि एवं सीमा चिन्ह अत्यंत विलम्ब से गढ़ाये जाने से अवधि अधिक व्यतीत हो गयी है। इस संदर्भ में वास्तविक स्थिति की जानकारी से समीक्षा बैठक दिनांक 13.08.16, 26.02.18, 25.04.18, 11.06.18 की मौखिक एवं लिखित रूप से अवगत कराया गया था, इसके पश्चात् पत्र क्रमांक 219/एस.डी.ओ./2018 सीधी दिनांक 24 फरवरी 2018 के माध्यम से लिखित रूप से वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि रेलवे के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अंतिम अर्जन प्रस्ताव में अन्तर होने से विलम्ब एवं देरी हुई है। अतः समयावधि में एलायमेंट की समस्या के कारण 08 माह की वृद्धि किया जगना उचित प्रतीत होता है। म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(1)-2014-सात-शा, 2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 - भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में आते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में, दस हजार हेक्टेयर से अधिक किसी क्षेत्र के लिए, किसी लोक प्रयोजन के संबंध में, इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जाएगा। (मप्र0 राजपत्र भाग 1 दिनांक 03.10.2014 पृष्ठ 2893 पर प्रकाशित) उक्त वर्णित अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास द्वारा प्रेषित पूर्व पत्र क्रमांक 219/एस.डी.ओ./2018 सीधी दिनांक 24 फरवरी 2018 एवं प्रस्ताव के अनुक्रम में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (7) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक एवं धारा-25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्रामों की धारा-19 की उपधारा (4) की समयावधि में छः माह की वृद्धि की जाती है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के परन्तुक अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त सीधी जिले की तहसील गोपद बनास की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है:-

(1) भूमि का वर्णन :-

क्र.	ग्राम का नाम	निजी भूमि रकबा (क्षेत्रफल लगभग)	धारा-19 के जारी होने का दिनांक	धारा-19 की 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक	धारा-19 की समयावधि में की गयी वृद्धि
1	विसैघाटोला	3.767	23-06-2017	23-06-2018	धारा-19 की उपधारा 4 की अधिसूचना में 08 माह की वृद्धि की जाती है।

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - रीवा-सीधी नई रेल लाईन हेतु।
- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन कार्यालय कलेक्टर सीधी एवं उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास, जिला सीधी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

क्र. 361-भू-अर्जन-2018

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान होने से कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) म वर्णित ग्रामों की भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता होने से इन ग्रामों की धारा-19 का प्रकाशन दिनांक 23.06.2017 को किया जा चुका है। वर्तमान में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि धारा-19 के पश्चात् अंतिम अवार्ड पारित नहीं हो सका है, क्योंकि रेलवे विभाग के द्वारा प्रस्तुत किये गये अर्जन के प्रारंभिक प्रस्ताव क्रमांक DY/DO/327/612/III दिनांक 29.09.2015 में ग्राम गाढा बबन सिंह की भूमि अर्जन का 4.049 हे० का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें पश्चात् में 16.089 हे० का अर्जन प्रस्ताव धारा-11 में तथा 13.431 हे० का धारा-19 में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि धारा-19 में एलायमेंट में एवं रकबे में परिवर्तन आया है। इसके अतिरिक्त रेलवे विभाग को बार-बार बताये जाने के बाद भी अर्जित भूमि के दोनो ओर सीमा चिन्ह पत्थर आदि एवं सीमा चिन्ह अत्यंत विलम्ब से गढाये जाने से अवधि अधिक व्यतीत हो गयी है। इस संदर्भ में वास्तविक स्थिति की जानकारी से समीक्षा बैठक दिनांक 13.08.16, 28.02.18, 25.04.18, 11.06.18 की मौखिक एवं लिखित रूप से अवगत कराया गया था, इसके पश्चात् पत्र क्रमांक 219/एस.डी.ओ./2018 सीधी दिनांक 24 फरवरी 2018 के माध्यम से लिखित रूप से वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि रेलवे के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अंतिम अर्जन प्रस्ताव में अन्तर होने से विलम्ब एवं देरी हुई है। अतः समयावधि में एलायमेंट की समस्या के कारण 06 माह की वृद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है। म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 18-15-(1)-2014-सात-शा, 2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 - भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में, दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए, किसी लोक प्रयोजन के संबंध में, इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जाएगा। (म०प्र० राजपत्र भाग 1 दिनांक 03.10.2014 पृष्ठ 2893 पर प्रकाशित) उक्त वर्णित अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास द्वारा प्रेषित पूर्व पत्र क्रमांक 219/एस.डी.ओ./2018 सीधी दिनांक 24 फरवरी 2018 एवं प्रस्ताव के अनुक्रम में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (7) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक एवं धारा-25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्रामों की धारा-19 की उपधारा (4) की समयावधि में छः माह की वृद्धि की जाती है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के परन्तुक अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त सीधी जिले की तहसील गोपद बनास की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है :-

(1) भूमि का वर्णन :-

क्र.	ग्राम का नाम	निजी भूमि रकबा (क्षेत्रफल लगभग)	धारा-19 के जारी होने का दिनांक	धारा-19 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक	धारा-19 की समयावधि में की गयी वृद्धि
1	गाढा बबन सिंह	13.431	23-06-2017	23-06-2018	धारा-19 की उपधारा 4 की अधिसूचना में 06 माह की वृद्धि की जाती है।

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - रीवा-सीधी नई रेल लाईन हेतु।
- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन कार्यालय कलेक्टर सीधी एवं उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास, जिला सीधी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

क्र. 359-भू-अर्जन-2018

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान होने से कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित ग्रामों की भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता होने से इन ग्रामों की धारा-19 का प्रकाशन दिनांक 23.08.2017 को किया जा चुका है। वर्तमान में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि धारा-19 के पश्चात् अंतिम अवार्ड पारित नहीं हो सका है, क्योंकि रेलवे विभाग के द्वारा प्रस्तुत किये गये अर्जन के प्रारंभिक प्रस्ताव क्रमांक DY/DO/327/612/III दिनांक 23.12.2016 में ग्राम पडैनियाखुर्द की भूमि अर्जन का 1.282 हे० का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें पश्चात् में 0.422 हे० का अर्जन प्रस्ताव धारा-11 में तथा 0.359 हे० का धारा-19 में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि धारा-19 में एलायमेंट में एवं रकबे में परिवर्तन आया है। इसके अतिरिक्त रेलवे विभाग को बार-बार बताये जाने के बाद भी अर्जित भूमि के दोनों ओर सीमा चिन्ह पत्थर आदि एवं सीमा चिन्ह अत्यंत विलम्ब से गडाये जाने से अवधि अधिक व्यतीत हो गयी है। इस संदर्भ में वास्तविक स्थिति की जानकारी से समीक्षा बैठक दिनांक 13.08.16, 26.02.18, 25.04.18, 11.08.18 की मौखिक एवं लिखित रूप से अवगत कराया गया था, इसके पश्चात् पत्र क्रमांक 219/एस.डी.ओ./2018 सीधी दिनांक 24 फरवरी 2018 के माध्यम से लिखित रूप से वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि रेलवे के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अंतिम अर्जन प्रस्ताव में अन्तर होने से विलम्ब एवं देरी हुई है। अतः समयावधि में एलायमेंट की समस्या के कारण 06 माह की वृद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है। म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 18-15-(1)-2014-सात-शा, 2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 - भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में, दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए, किसी लोक प्रयोजन के संबंध में, इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जाएगा। (म०प्र० राजपत्र भाग 1 दिनांक 03.10.2014 पृष्ठ 2893 पर प्रकाशित) उक्त वर्णित अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास द्वारा प्रेषित पूर्व पत्र क्रमांक 219/एस.डी.ओ./2018 सीधी दिनांक 24 फरवरी 2018 एवं प्रस्ताव के अनुक्रम में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (7) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक एवं धारा-25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्रामों की धारा-19 की उपधारा (4) की समयावधि में छः माह की वृद्धि की जाती है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के परन्तुक अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त सीधी जिले की तहसील गोपद बनास की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है :-

1) भूमि का वर्णन :-

क्र.	ग्राम का नाम	निजी भूमि रकबा (क्षेत्रफल लगभग)	धारा-19 के जारी होने का दिनांक	धारा-19 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक	धारा-19 की समयावधि में की गयी वृद्धि
1	पडैनियाखुर्द	0.359	23-06-2017	23-06-2018	धारा-19 की उपधारा 4 की अधिसूचना में 06 माह की वृद्धि की जाती है।

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - सीवा-सीधी नई रेल लाईन हेतु।
- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन कार्यालय कलेक्टर सीधी एवं उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास, जिला सीधी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

क्र. 351-भू-अर्जन-2018

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान होने से कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित ग्रामों की भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता होने से इन ग्रामों की धारा-19 का प्रकाशन दिनांक 23.08.2017 को किया जा चुका है। वर्तमान में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि धारा-19 के पश्चात् अंतिम अवार्ड पारित नहीं हो सका है, क्योंकि रेलवे विभाग के द्वारा प्रस्तुत किये गये अर्जन के प्रारंभिक प्रस्ताव क्रमांक DY/DO/327/612/IV दिनांक 21.12.2016 में ग्राम कोठार की भूमि अर्जन का 11.585 हे० का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें पश्चात् में 10.135 हे० का अर्जन प्रस्ताव धारा-11 में तथा 8.091 हे० का धारा-19 में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि धारा-19 में एलायमेंट में एवं रकबे में परिवर्तन आया है। इसके अतिरिक्त रेलवे विभाग को बार-बार बताये जाने के बाद भी अर्जित भूमि के दोनों ओर सीमा चिन्ह पत्थर आदि एवं सीमा चिन्ह अत्यंत विलम्ब से गडाये जाने से अवधि अधिक व्यतीत हो गयी है। इस संदर्भ में वास्तविक स्थिति की जानकारी से समीक्षा बैठक दिनांक 13.08.18, 28.02.18, 25.04.18, 11.06.18 की मौखिक एवं लिखित रूप से अवगत कराया गया था, इसके पश्चात् पत्र क्रमांक 219/एस.डी.ओ./2018 सीधी दिनांक 24 फरवरी 2018 के माध्यम से लिखित रूप से वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया था इस प्रकार स्पष्ट है कि रेलवे के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अंतिम अर्जन प्रस्ताव में अन्तर होने से विलम्ब एवं देरी हुई है। अतः समयावधि में एलायमेंट की समस्या के कारण 08 माह की वृद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है। म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 18-15-(1)-2014-सात-शा, 2ए दिनांक 29 अक्टूबर 2014 - भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में, दस हजार हेक्टेयर से अनाधिक किसी क्षेत्र के लिए, किसी लोक प्रयोजन के संबंध में, इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलेक्टर को सूचित सरकार समझा जाएगा। (म०प्र० राजपत्र भाग 1 दिनांक 03.10.2014 पृष्ठ 2893 पर प्रकाशित) उक्त वर्णित अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास द्वारा सूचित पूर्व पत्र क्रमांक 219/एस.डी.ओ./2018 सीधी दिनांक 24 फरवरी 2018 एवं प्रस्ताव के अनुक्रम में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (7) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक एवं धारा-25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्रामों की धारा-19 की उपधारा (4) की समयावधि में 08 माह की वृद्धि की जाती है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के परन्तुक अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त सीधी जिले की तहसील गोपद बनास की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है :-

(1) भूमि का वर्णन :-

क्र	ग्राम का नाम	निजी भूमि रकबा (क्षेत्रफल लगभग)	धारा-19 के जारी होने का दिनांक	धारा-19 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक	धारा-19 की समयावधि में की गयी वृद्धि
1	कोठार	6-091	23-06-2017	23-06-2018	धारा-19 की उपधारा 4 की अधिसूचना में 08 माह की वृद्धि की जाती है।

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - रीवा-सीधी नई रेल लाईन हेतु।
- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन कार्यालय कलेक्टर सीधी एवं उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास, जिला सीधी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप कुमार, कलेक्टर एवं समुचित मरकर,

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 23 मई 2018

प्र. क्र. 05-अ-82-14-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—रेहटी
(ग) नगर तथा ग्राम—अमीरगंज
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.100 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
34/2	2.000
34/3	0.720
35/3	0.280
35/2/1	1.000
35/2/2	0.400
36/2	0.600
36/4	2.000
38/2क	0.100

योग . . . 7.100

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—महादेव बेदरा तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, बुधनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

सीहोर, दिनांक 1 जून 2018

प्र. क्र. 4-अ-82-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—रेहटी
(ग) ग्राम—अमीरगंज
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.422 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
113/1/2	0.590
122/2	0.020
122/3	0.302
122/4	2.000
124/2	0.720
397/1/2	1.280
124/3	2.000
124/7	0.350
127/2	1.510
122/5/1	0.825
122/5/2	0.825
योग . . .	10.422

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—अमीरगंज तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, बुधनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

सीहोर, दिनांक 20 जून 2018

प्र. क्र. 1-अ-82-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—बुधनी
(ग) नगर तथा ग्राम—बासापुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.649 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
42/6	0.199
42/11	0.038
42/20	0.432
42/21	0.315
42/2	0.157
42/19/2	0.113
42/9	0.395
योग	1.649

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—तीसरी रेल लाईन हेतु भूमि-अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, बुधनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—बुधनी
(ग) नगर तथा ग्राम—तालपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—15.697 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5/3	2.349
5/2	0.528

(1)

(2)

6/1	0.014
5/5	0.639
8/1	1.435
5/4	1.491
9/2	0.280
9/1	0.020
29	0.624
5/1	1.324
23	2.271
27/3	0.568
27/2	0.707
27/1	0.113
26/1	0.735
26/2	0.505
24/2	0.823
25	0.400
24/1	0.498
26/3	0.373
योग	15.697

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—तीसरी रेल लाईन हेतु भूमि-अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, बुधनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—बुधनी
(ग) नगर तथा ग्राम—माना
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.918 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
14	2.763
9	0.580

(1)	(2)	(1)	(2)
7/2	1.456	373/2	0.050
6/4	0.280	384	0.060
7/1	0.592	398	0.097
6/2	1.311	391/1	0.197
6/1	0.746	390/1	0.122
6/3	1.190	390/2	0.029
	योग . . . 8.918	387	0.008
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—तीसरी रेल लाईन हेतु भूमि-अर्जन.		388	0.185
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, बुधनी के कार्यालय में किया जा सकता है.		392	0.045
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरूण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		393	0.247
		708/1	0.054
		1325/1	0.405
		502/1/2	0.046
		502/2	0.062

योग . . . 2.312

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 6 जून 2018

प्र. क्र. 01-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषणा की है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला—छतरपुर
 (ख) तहसील—छतरपुर
 (ग) ग्राम—बंधीकला
 (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—2.312 हेक्टेयर.

अर्जित की जा रही भूमि का खसरा क्र. अर्जित रकबा/क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)	(2)
373/5/ख	0.228
373/1	0.218
373/4	0.259

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—तरपेड़ मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
 (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), छतरपुर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश भण्डारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 11 जून 2018

क्र. 6070-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—चौरई

- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-धनौरा, प.ह.नं.-02, ब. नं.-135,
रा. नि. मं.-चौरई.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला 02.771 हेक्टेयर एवं
प्रस्तावित क्षेत्रफल— प्रस्तावित क्षेत्रफल पर
आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
122/1	0.248
122/4	0.248
136/1	0.177
169	0.129
136/2-3	0.615
136/4	0.354
136/5	0.177
192/2	0.300
200/3	0.220
257/12	0.113
257/13	0.190
योग . . .	02.771 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी बेवसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की बेवसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उप संभाग क्रमांक-2, सिंगना, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 6071-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चौरई
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-सिंगना, प.ह.नं.-10, ब. नं.-282,
रा. नि. मं.-चौरई.
(घ) अर्जित किये जाने वाला 02.287 हेक्टेयर एवं
प्रस्तावित क्षेत्रफल— प्रस्तावित क्षेत्रफल पर
आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
215/1	0.036
210, 211, 212, 113, 240/1घ.	0.140
205/8, 206/8, 207/8, 208/8, 209/9, 240/8.	0.140
205/3, 206/3, 207/3, 208/3, 209/3, 240/3.	0.082
205/7, 206/7, 207/7, 208/7, 209/7, 240/7.	0.050
203	0.148
202/1	0.070
202/2	0.070
187/3, 188/3, 189/3	0.152
187/2, 188/2, 189/2	0.077
187/1, 186/1, 188/1	0.077
183/2, 185/2, 186/2	0.223
23	0.012

		अधिकार अधिनियम 2013'' की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
(1)	(2)	अनुसूची
16/1क	0.240	(1) भूमि का वर्णन—
16/1ख	0.178	(क) जिला—छिन्दवाड़ा
16/1ग	0.288	(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा
16/1घ	0.212	(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-भूला, प.ह.नं.-41, ब. नं.-436, रा. नि. मं.-छिन्दवाड़ा 1.
16/1ङ	0.052	(घ) अर्जित किये जाने वाला 0.944 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल— प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
6, 16/5	0.040	
	<u>योग . . . 02.287 हेक्टेयर एवं</u> प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां	
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांधी तट नहर की 3 आर माइनर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.		प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.		प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.		14/1 0.225
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.		10 0.120
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.		11/1 0.249
		71/2 0.080
		68/3 0.170
		43/1-2 0.100
		<u>योग . . . 0.944 हेक्टेयर एवं</u> प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
		(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
		(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
		(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
		(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई,

क्र. 6072-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक-1, सिंगना, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र. 6073-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—छिन्दवाड़ा
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-नगझिर, प.ह.नं.-37, ब. नं.-285, रा. नि. मं.-छिन्दवाड़ा 1.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला 03.093 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल— प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
90/1	0.060
90/2	0.120
128	0.324
89	0.335
91/1	0.140
91/4	0.115
98/1	0.280
92	0.220
124/4	0.550
179/2	0.120
182/3	0.607
182/4	0.222
172 चरनोई	कच्चा मकान-2
योग	03.093 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक-1, सिंगना, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 6074-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—छिन्दवाड़ा

- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-डांगवाना पिपारिया, प.ह.नं.-39, ब. नं.-223, रा. नि. मं.-छिन्दवाड़ा 1.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला 01.118 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल— प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
400/3	0.878
400/2	0.240
योग . .	01.118 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक-1, सिंगना, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 6075-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—चौरई
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-बामहनवाड़ा, प.ह.नं.-15, ब. नं.-202, रा. नि. मं.-चौरई.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला 02.287 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल— प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
299/13	0.152
299/3	0.048
300/2	0.077
300/4	0.077
300/3	0.072
300/5-6	0.040
302/1	0.080
357/1, 358/1	0.162
357/4, 358/4	0.020
359/3	0.005
359/2	0.070
359/1	0.058
388/3	0.145
388/2	0.165
387/1	0.004
328/2	0.176
327/2	0.076
327/3	0.024
331/2, 332/2	0.076
331/4, 332/4	0.076
332/7	0.024
331/3, 232/3	0.146
352/1	0.137

(1)	(2)	अधिकार अधिनियम 2013'' की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
352/4	0.024	अनुसूची
324	0.035	
353	0.168	
367/1	0.080	
367/10	0.070	
	योग . . 02.287 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां	(1) भूमि का वर्णन—
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर की 1 आर माइनर, 2 आर माइनर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.		(क) जिला—छिन्दवाड़ा
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.		(ख) तहसील—चौरई
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.		(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-सिरेगांव प.ह.नं.-16, ब. नं.-288, रा. नि. मं.-चौरई.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.		(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.		02.142 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
		प्रस्तावित खसरा नम्बर
		प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
		(1)
		(2)
		67/1
		67/3
		67/4, 69/1, 70/2, 75/1
		66/3
		64/1
		62/1
		56
		57/2
		57/3
		48/1
		57/1
		55
		49/1, 54/2
		45
		14/1
		14/2
		14/3
		13
		56
		53/4
		53/3
		53/2
		53/1
		444/2, 444/3
		340/2-5

क्र. 6076-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

(1)	(2)
442/1	0.125
445/1, 446/1	0.018
341	0.067
340/4	0.023
320, 321, 322/2	0.312
334/3	0.019
273/2क, 273/2घ	0.121
273/2ख, 273/2ड	0.023
273/2ग,	0.021
272/8, 273/1, 273/3	0.096
272/9, 273/5-6	0.045
योग . . .	02.142 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत 4 आर, 5 आर नांदना की 1 आर, 2 आर, 3 आर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.	
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट http://www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.	
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	

क्र. 6077-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चौरई
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-खटकर, प.ह.नं.-10, ब. नं.-40, रा. नि. मं.-चौरई.
(घ) अर्जित किये जाने वाला 0.470 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल— प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
350/2	0.029
287/10, 342/4, 343/4, 344/13, 345/8, 347/4	0.016
339/1, 340, 341, 342/2, 343/2, 357/7	0.050
287/12, 342/6, 343/6, 344/15, 345/11, 347/6	0.016
339/3, 340/3, 341/3, 342/6, 343/6, 345/11, 344/15	0.037
287/11, 342/5, 343/5, 344/14, 345/10, 347/5	0.016
339/2, 340/2, 341/2, 342/5, 343/5, 357/9, 352/10	0.045
287/4क, 342/3क, 343/3क, 344/9क, 345/4क, 347/2क	0.010
287/3, 344/4, 345/3, 346/2, 347/3	0.040
287/7, 344/1, 345/7, 347/1	0.045

(1)	(2)
287/2, 345/2, 346/1	0.037
289/3	0.048
289/4, 289/5	0.071
271/2, 272/2, 275/1,	0.010
276/1, 291/1, 293/2	
योग	0.470 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर की 3 आर माइनर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी बेवसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की बेवसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 14 जून 2018

क्र. 6178-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन,

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चांद
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-परसोली, प.ह.न.-14,
ब. न.-158, रा. नि. मं.-चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला 03.199 हेक्टेयर एवं
प्रस्तावित क्षेत्रफल— प्रस्तावित क्षेत्रफल पर
आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
290	0.015
291	0.144
292/3, 292/4	0.144
293/1, 293/2	0.097
292/1, 292/2	0.141
293/3	0.047
295/1	0.125
43, 95, 97/5	0.120
44/1/3, 94/1-2	0.156
44/2/3	0.033
44/2/2	0.033
44/2/1	0.033
49, 50	0.066
51, 52	0.079
56	0.045
68/2	0.054
67/1, 68/1	0.240
58/1	0.117
148/2, 149/2	0.172
471/4	0.010
471/5-7	0.042
471/6	0.034
473/1, 474/1,	0.124
475/1, 477/1	

(1)	(2)	(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
473/2, 474/2, 475/2	0.080		
476, 477/2	0.096		
473/3, 474/3, 475/3, 477/3, 478/3	0.072	(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
446/6	0.020		
509/2, 510/2	0.024		
507/1/1	0.018		
505/2, 506/3	0.067		
506/2, 508	0.075		
559, 562/1	0.056		
507/2	0.038		
531/1-2, 533	0.094		
545	0.023		
177, 270/11	0.060		
215/1	0.035		
215/8	0.080		
215/2	0.160		
210/5, 230/33	0.030		
230/4, 230/5	0.090		
239/3	0.010		
योग . . .	03.199 हेक्टर एवं		
	प्रस्तावित क्षेत्रफल		
	पर आने वाली		
	संपत्तियां		
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पंच व्यपवर्तन परियोजना की नांदना वितरक नहर की 13 आर, 14 एल, 15 आर माइनर एवं खैरघाट उपवितरक नहर की 1 आर, 2 एल माइनर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.		
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी बेवसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की बेवसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.		
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.		
			क्र. 6179-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
			अनुसूची
		(1)	भूमि का वर्णन—
		(क)	जिला—छिन्दवाड़ा
		(ख)	तहसील—चांद
		(ग)	नगर/ग्राम—ग्राम-नांदना, प.ह.न.-14, ब. न.-148, रा. नि. मं.-चांद.
		(घ)	अर्जित किये जाने वाला 04.002 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल— प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
		प्रस्तावित खसरा	प्रस्तावित रकबा
		नम्बर	(हेक्टेयर में)
		(1)	(2)
		344	0.020
		342/2, 343/2	0.044
		342/1, 343/1	0.080
		107/2	0.054
		304/1	0.040
		304/2	0.240
		303/2, 305/2,	
		307/2, 308/2,	0.160
		309/2, 338/5	
		303/3, 305/3,	
		307/3, 308/3,	0.098
		309/3, 338/6	

(1)	(2)
310, 311, 313, 314, 315/1	0.226
312/1, 317/1	0.030
279, 280, 282, 284	0.010
336/3, 347/1	0.010
334/1, 335/1	0.080
95	0.165
98/1	0.140
98/3	0.014
99	0.210
124	0.108
98/2, 101/1, 102/1, 114/1, 115/1, 116/1	0.072
117/3, 118/2	0.105
125/8	0.095
121/2	0.108
120, 121/1, 127	0.168
137/1, 137/2	0.130
137/3	0.010
183/2	0.054
182, 186	0.156
188/3	0.360
192/8, 192/9	0.093
192/3	0.222
196/1, 192/10	0.057
195/1	0.003
19/2	0.090
20, 21	0.135
16/1	0.102
16/5	0.087
16/3	0.082
90, 91	0.072
92/9	0.072

योग 04.002 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नांदना वितरक नहर की 1 आर, 2 एल माइनर एवं नांदना वितरक नहर की 13 आर माइनर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी बेवसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की बेवसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 12 जून 2018

पत्र क्र. 1127-भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित

भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) ग्राम—मझगवां
(घ) क्षेत्रफल—1.510 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
51	0.132	-
58	0.090	-
59	0.552	-
60	0.060	-
64	0.102	-
65	0.078	-
66	0.108	-
132	0.168	-
133	0.220	-
योग . .	1.510	-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “मझगवां शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1129-भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) ग्राम—खम्हरिया
(घ) क्षेत्रफल—3.618 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
778	0.134	-
812/1/क	0.191	-
812/1/ख	0.156	-
812/2/2	0.336	-
812/2/1/2	0.150	-
812/2/1/3	0.150	-
871	0.004	-
872	0.285	-
874	0.306	-
951	0.019	-
952	0.258	-
962	0.132	-
963	0.102	-
968	0.294	-
970	0.270	-
971	0.246	-
972	0.090	-
975	0.004	-
976	0.064	-
977	0.095	-
980	0.104	-
982	0.204	-
1017	0.024	-
योग . .	3.618	-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “मझगवां शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1131-भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) ग्राम—करसरा
(घ) क्षेत्रफल—4.427 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
261	0.004	-
263	0.258	-
274	0.019	-
278	0.072	-
279	0.096	-
280	0.142	-
412	0.315	-
413	0.024	-
421	0.220	-
423	0.132	-
424	0.276	-
425	0.240	-
443	0.084	-
445	0.210	-
456	0.498	-
515	0.108	-
525	0.246	-
526	0.092	-
649	0.032	-
651	0.042	-

(1)	(2)	(3)
653	0.009	-
654	0.115	-
655	0.099	-
657	0.018	-
661/1	0.452	-
661/2	0.131	-
666/1	0.053	-
666/2	0.286	-
667	0.018	-
668	0.038	-
674	0.010	-
731	0.088	-
योग	4.427	-

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "मझगवाँ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1133-भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) ग्राम—भरजुना खुर्द
(घ) क्षेत्रफल—2.633 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
216/1	0.141	-
216/2	0.192	-

(1)	(2)	(3)	घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		
216/3	0.192	-	अनुसूची		
217/1	0.144	-			
219/2	0.052	-			
219/3	0.013	-	(1) भूमि का वर्णन—		
237	0.001	-	(क) जिला—सतना		
238	0.252	-	(ख) तहसील—रघुराजनगर		
239	0.093	-	(ग) ग्राम—बराज		
240	0.351	-	(घ) क्षेत्रफल—4.125 हेक्टेयर.		
245	0.009	-			
247/1/1	0.053	-	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	
247/1/2	0.012	-		निजी भूमि	शासकीय भूमि
247/1/3	0.097	-	(1)	(2)	(3)
247/2/1	0.081	-	371	0.146	-
247/2/2	0.053	-	372	0.077	-
247/3	0.101	-	375/2	0.074	-
247/480/1/1	0.009	-	375/3	0.074	-
247/480/1/3	0.043	-	376/2	0.205	-
247/480/2/1	0.046	-	376/3	0.205	-
247/480/2/2	0.009	-	377	0.007	-
247/480/3	0.046	-	378	0.076	-
254/1	0.323	-	382/1	0.168	-
254/2	0.080	-	383/1/क/1	0.032	-
254/3	0.080	-	384/1	0.331	-
254/4	0.080	-	384/2	0.034	-
254/5	0.080	-	385/1	0.216	-
योग	2.633	-	386/1	0.010	-
			387	0.118	-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "मझगवाँ शखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.			388	0.223	-
			389/2	0.170	-
			389/3/1	0.068	-
			439	0.173	-
			441	0.560	-
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.			442/1	0.031	-
			442/2/क	0.172	-
			442/2/ख	0.247	-
			443	0.055	-
पत्र क्र. 1135-भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा			454/1/क/2	0.055	-
			454/4/क	0.043	-
			454/4/ग	0.068	-
			454/2/क	0.061	-
			454/2/ख	0.054	-

(1)	(2)	(3)
455	0.041	-
463	0.331	-
योग	4.125	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "मझगवाँ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1137-भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) ग्राम—फुटौधा
(घ) क्षेत्रफल—3.443 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
555	2.672	-
561	0.010	-
562	0.006	-
563	0.475	-
566	0.280	-
योग	3.443	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "मझगवाँ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1139-भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम—बरा
(घ) क्षेत्रफल—5.623 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
209	0.072	-
210	0.201	-
212	0.266	-
220	0.230	-
270	0.392	-
271	0.158	-
272	0.123	-
273	0.173	-
274	0.026	-
706	0.192	-
707	0.216	-
708	0.389	-
710	0.008	-
718	0.160	-
719	0.080	-
720	0.306	-
721	0.360	-
725	0.040	-
726	0.144	-
727	0.112	-
738	0.090	-
739	0.256	-
740	0.141	-
745	0.230	-
746	0.216	-

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
747	0.112	-	18	0.096	-
754	0.282	-	25	0.160	-
755	0.182	-	26	0.096	-
756	0.186	-	27	0.134	-
757	0.028	-	33	0.013	-
760	0.252	-	34	0.025	-
योग	5.623		35	0.031	-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "मझगवाँ शखा नहर निर्माण में" आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.			36	0.015	-
			37	0.310	-
			40	0.030	-
			47	0.020	-
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.			48	0.340	-
			55	0.010	-
			56	0.275	-
			57	0.036	-
			59	0.080	-
			62	0.100	-
			64	0.150	-
			68	0.030	-
			69	0.340	-
			70	0.026	-
			72	0.045	-
			73	0.250	-
			332	0.110	-
(1) भूमि का वर्णन—			334	0.088	-
(क) जिला—सतना			335	0.185	-
(ख) तहसील—कोटर			343	0.002	-
(ग) ग्राम—सेमरी			344	0.026	-
(घ) क्षेत्रफल—5.192 हेक्टेयर.			345	0.077	-
खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)		359	0.041	-
	निजी भूमि	शासकीय भूमि			
(1)	(2)	(3)	366	0.044	-
4	0.265	-	360	0.002	-
5	0.012	-	361	0.074	-
10	0.040	-	362/2	0.100	-
11	0.593	-	371	0.270	-
12	0.020	-	388	0.366	-
16	0.070	-	389	0.165	-
17	0.030	-	योग	5.192	-

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "मझगवाँ शाखा नहर निर्माण में" आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1143-भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—कोटर
(ग) ग्राम—बूड़ा
(घ) क्षेत्रफल—3.324 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
2	0.172	-
3	0.155	-
4/1	0.659	-
8/1	0.048	-
8/2	0.019	-
9/1	0.124	-
9/2	0.060	-
11/1	0.128	-
11/2	0.077	-
54	0.104	-
63	0.314	-
64	0.033	-
65	0.028	-
66	0.005	-
67	0.134	-
72	0.130	-
74/1	0.173	-
74/2	0.077	-
75/1	0.130	-
75/2	0.144	-

(1)	(2)	(3)
171	0.580	-
173	0.030	-
योग .	3.324	-

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "मझगवाँ शाखा नहर निर्माण में" आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 19 जून 2018

क्र. 3196-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस लघु सिंचाई योजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—कुरई
(ग) ग्राम— करहैया, प.ह.नं.-26, रा.नि.मं.-सुकतरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—18.48 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1) (2)

ग्राम—करहैया (निजी भूमि)

421	0.44
422	0.86
423	0.81

(1)	(2)	(ग)	ग्राम— ऐरमा, प.ह.नं.-22, रा.नि.मं.-सुकतरा
424	1.06	(घ)	लगभग क्षेत्रफल—1.50 हेक्टेयर.
419	0.24	खसरा	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित
425	1.40	नम्बर	अर्जित रकबा
426	1.97		(हेक्टेयर में)
427	1.88	(1)	(2)
430	0.01	ग्राम—ऐरमा (निजी भूमि)	
431	1.39	332/1	0.02
446	0.13	332/2	0.04
443	0.87	333	0.16
445	0.76	332/3	0.19
437	1.00	331/3	0.01
440	1.02	334	0.14
417	1.54	335/1	0.05
416	0.78	314	0.13
415	0.90	300/1	0.13
410	0.71	300/2	0.06
411	0.71	300/3	0.06
		283	0.16
		282/1	0.03
	योग . . . 18.48	67	0.14
		68	0.11
		72	0.07
		योग . . . 1.50	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये आवश्यक है—ऐरमा जलाशय (डूब क्षेत्र) निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरई, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 3197-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस लघु सिंचाई योजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—कुरई

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये आवश्यक है—ऐरमा जलाशय (नहर कार्य) निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरई, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 3198-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस लघु सिंचाई योजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—कुरई

- (ग) ग्राम— ऐरमा, प.ह.नं.-22, रा.नि.मं.-सुकतरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.17 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
ग्राम—ऐरमा (निजी भूमि)	

54	0.11
44	0.03
57	0.07
56/1	0.05
47/2	0.02
56/2	0.02
49/1	0.05
56/3	0.03
47/3	0.02
42/2	0.04
56/4	0.02
49/4	0.02
47/4	0.03
42/1	0.05
51	0.08
45	0.11
43	0.04
49/2	0.05
48/1	0.05
48/2	0.06
47/1	0.03
37/1	0.02
37/2	0.17

योग . . . 1.17

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये आवश्यक है—थांवरझोड़ी जलाशय (नहर कार्य) निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरई, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 3199 भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस लघु सिंचाई योजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—कुरई
(ग) ग्राम— आगरी, प.ह.नं.-22, रा.नि.मं.-सुकतरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.50 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
ग्राम—आगरी (निजी भूमि)	

9/5	0.07
11/2	0.02
56/2	0.04
57	0.03
54/3	0.08
157/2	0.07
166/2	0.10
166/3	0.20
166/4	0.02
170	0.10
10/2	0.08
58/2	0.01
177/3	0.91
176/2	0.02
176/3	0.05
177/1	0.62
178/2	0.02
178/3	0.06

योग . . . 2.50

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये आवश्यक है—ऐरमा जलाशय (नहर एवं स्पिल कार्य) निर्माण हेतु.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरई, जिला सिवनी में किया जा सकता है।

क्र. 3200-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस लघु सिंचाई योजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—कुरई
(ग) ग्राम—पोतलई, प.ह.नं.-24, रा.नि.मं.-सुकतरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—15.63 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
ग्राम—पोतलई (निजी भूमि)	
216/1	2.67
217	0.15
216/2	2.50
215	0.43
200	0.32
197	0.41
196/2	0.32
219/1	0.43
219/6	0.26
219/2	0.72
219/7	0.26
219/3	0.87
219/5	0.25
219/4	1.23
221	2.99
222	0.65
223	0.75
224/1/2	0.42
योग . . .	15.63

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये आवश्यकता है—थांवरझोड़ी जलाशय (डूब क्षेत्र) निर्माण हेतु.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरई, जिला सिवनी में किया जा सकता है।

क्र. 3201-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस लघु सिंचाई योजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—कुरई
(ग) ग्राम—थांवरझोड़ी, प.ह.नं.-21, रा.नि.मं.-सुकतरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.35 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
ग्राम—थांवरझोड़ी (निजी भूमि)	
141	0.16
145	0.18
146	0.26
307/2	0.27
280	0.01
282	0.46
283/10	0.06
283/11	0.15
307/1	0.08
304	0.12
303/1	0.22
303/2, 302	0.042
306/1	0.06
306/2	0.06
243/1	
243/3	
243/4	0.84
243/5	
243/6	
योग . . .	3.35

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये आवश्यकता है—थांवरझोड़ी जलाशय (नहर कार्य) निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरई, जिला सिवनी में किया जा सकता है।

क्र. 3202-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस लघु सिंचाई योजना में किसी भी परिवार को बिस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—कुरई
(ग) ग्राम—करहैया, प.ह.नं.-26, रा.नि.मं.-सुकतरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.18 हेक्टेयर.

खसरा	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित
नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)	(2)
-----	-----

ग्राम—करहैया (निजी भूमि)

405	0.18
योग . . .	<u>0.18</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये आवश्यकता है—ऐरमा जलाशय (नहर कार्य) निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरई, जिला सिवनी में किया जा सकता है।

क्र. 3203-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस लघु सिंचाई योजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—कुरई

(ग) ग्राम— थांवरझोड़ी, प.ह.नं.-21, रा.नि.मं.-सुकतरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—22.70 हेक्टेयर.

खसरा	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित
नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)	(2)
-----	-----

ग्राम—थांवरझोड़ी (निजी भूमि)

271/1	0.79
251/1	0.09
253	0.03
249/1	3.50
271/2	0.79
251/2	0.10
249/2	1.21
258	0.11
248	0.90
247	0.20
260/1	2.32
260/2	1.94
260/3	1.11
260/4	0.25
264	0.35
266/1	0.59
266/2	0.46
267	1.1
140	0.87
140	0.15
106	0.21
108	0.05
87/3	0.30
100	0.22
87/1	0.52
110/1	0.76
87/2	0.40
110/2	2.19
87/4	0.36
110/3	0.76

योग . . . 22.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये आवश्यकता है—थांवरझोड़ी जलाशय (डूब क्षेत्र) निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरई, जिला सिवनी में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गोपालचन्द्र डाड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.